सर्व शिक्षा अभियान

Final 20.08.2003

दीर्घकालीन योजना एवं बजट

(2002-2007)

जनपद-हरदोई

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	1-5
2.	शैक्षिक परिदृश्य	2-13
3.	नियोजन प्रक्रिया	14-23
4.	सर्वाशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	24-26
5.	समस्याएं एवं रणनिति	27-30
6.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार-एक	31-32
7.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार-दो शिक्षा गांरटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार	33-40
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	41-68
9.	गुणवत्ता संबंद्धर्न	69-100
10.	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	101-114
11.	बजट परीशिष्ट	115-120
12.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2003-04	121-122

ऐतिहासिक पृष्टभूमि

हरदोई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 6 हे0 में फैला ऊँचा क्रमहीन टीला है यह टीला यहां की मूल आबादी ठठेरा जनजाति से सम्बन्धित रहा हो सकता है। जनश्रुति है कि हिरणाकश्यप नामक एक ठठेरा राजा भी यहां हुआ, जो हरिद्रोही था। हरदोई के इस टीले का सम्बन्ध हरिदेव बख्श से भी रहा हो सकता है जिनके नाम से हरदेवगंज नामक मोहल्ला आज भी स्थित है। एक जनश्रुति हरदेव बाबा से सम्बन्धित है जिनका मंदिर यहां स्थित है। इस मंदिर के मूर्ति अवशेष कनिष्क युगीन प्रतीत होते हैं। जो इस टीले से ही संग्रहीत किये गये हो सकते हैं।

हरदोई जनपद के प्राचीन जैन बौद्ध,कालीन,टीलों,डीहों, भग्नावशेषों, धार्मिक उपासना व पूजा स्थल सम्बन्धी अवशेषों आदि के सम्बन्ध में स्थानीय मान्यतायें, जनश्रुतियां व किवदंतियां प्रचलित रही हैं कि ये ऐतिहासिक व पुरातत्व सम्बन्धी अवशेष इस क्षेत्र की मूल निवासी रही ठठेरा जाति से सम्बन्धित है जो अधिकांश भाग में वसी हुई थी।

अनेक जनकथाओं व मान्यताओं में प्रचलित है कि सम्पूर्ण जिला हरदोई मुख्य रूप से ठठेरा जनजाति के मूल निवासियों से आच्छादित था। अपवाद स्वरूप परगना पाली एवं पचहोहा के उत्तर पश्चिम भाग पर किसान जाति के लोगों का अधिकार था। परगना सण्डीला तथा परगना कल्यानमल के कुछ भू-भागों पर आरख जाति के लोगों का अधिकार था। परगना गोड़वा में कुर्मी और झोझा जाति के लोग रहते थे। पासी और राजपासी जाति के लोग भी हरदोई के प्राचीन निवासी व भू-स्वामियों के रूप में जाने जाते रहे हैं। भील जाति के लोग भी इस जिले के एक भाग के मूल निवासी माने जाते हैं। ठठेरा, आरख, झोझा व भील जाति के इन मूल निवासियों को समय-समय पर पश्चिम से आने वाले आक्रान्ताओं ने इस क्षेत्र से खदेड़ दिया। वे या तो यहां से स्थान छोड़ कर चले गये अथवा भूमिहीन, प्रभावहीन जनसमूह के रूप में अपनी जाति, धर्म व आस्थायें बदलने के लिए विवश हुये। नवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक यही जनजातियां इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, भू-स्वामी थे, छोटे-छोटे मुखिया थे जो कन्नौज राजसत्ता के अधीन कबीलों, समूहों के सरदारों के रूप में हरदोई जनपद पर अधिपत्य कायम किये हुए थे। कई शताब्दियों तक पश्चिम दिशा से निरन्तर आने वाले राजपूतों ने भी इस क्षेत्र के मूल निवासियों को धीरे-धीरे यहां से विस्थापित किया। इस क्षेत्र में बाहर से आकर बसने वाले राजपूतों में रैकवार, सोमवंशी, गौर, अहवन, जनवार, चन्देल प्रमुख हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के मूल निवासी यहां से खदेड़ दिये गये, शेष ने भू-स्वामित्व से वंचित होकर कृषि सहायकों, मजदूरों की हैसियत स्वीकार कर ली।

ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी से आठवीं शती के पूर्वार्ध तक हरदोई जनपद शिशुनाग, नंद मौर्य, शुंग, कनिष्क, गुप्त, मौखरि, वर्धन, इत्यादि वंशों के अधीन शासित रहा। आठवीं शती के उत्तरार्ध से 1193 ई0 तक अयोध्या नरेश एवं गुर्जर प्रतिहार तथा गहादावाला नरेश के शासन के अन्तर्गत रहा। 1193 से 1394 ई0 तक अवध के सूबेदारों द्वारा शासित रहा। 1394 ई0 से 1488 ई0 तक शर्को राजवंश के अधीन शासित रहा। 1489 ई0 से 1527 ई0 तक अफगान सरदारों के अर्न्तगत रहा। 1527 ई0 से 1538 तक अवध के मुगल सरदारों तथा 1539 से 1554 ई0 तक शेरशाह सूरी के अर्न्तगत रहा। 1539 ई0 में बिलग्राम का प्रसिद्ध चौसा का युद्ध हुमांयु एवं शेरशाह सूरी के बीच हुआ। जिसमें हुमांयु को हारकर ईरान भागना पड़ा तथा शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत का सम्राट बन गया। पुनः 1555 ई0 में 1856 ई0 तक मुगल शासन के अर्न्तगत अवध के नवाबों के अधीन शासित रहा। फरवरी 1856 ई0 में ब्रिटिश शासन के अन्तेगत मि0 डब्लू सी0 चैपर द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन हुआ। पुनः 1858 ई0 से 15 अगस्त, 1947 ई0 तक ब्रिटिश शासन के अर्न्तगत रहा।

प्रशासनिक संरचना

राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से जनपद 5 तहसीलों शाहाबाद, हरदोई, बिलग्राम, सण्डीला तथा सवायजपुर में बंटा है। जनपद 19 विकासखण्डों तथा 7 नगरीय प्रशासनिक इकाईयों एवं 6 टाउन एरिया में विभक्त है। हरदोई तहसील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। जनपद में कुल न्याय पंचायतों की संख्या 191 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 1101 है। प्रशासनिक इकाइयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

सारणी - 1.1

विवरण	संख्या
क्षेत्रफल	5986 वर्ग कि0मी0 ,
ग्रामीण क्षेत्र	5925.25 वर्ग कि0मी0
नगरीय क्षेत्र	60.75 वर्ग कि0मी0
ग्रामीण क्षेत्र	
तहसील	5
विकास खण्ड	19
न्याय पंचायत	191
ग्राम पंचायतें	1101
राजस्व ग्राम	1883
बस्तियों की संख्या	4741
नगरीय क्षेत्र	
नगर निगम	--
नगर महापालिका	--
नगर पालिका	7
टाऊन एरिया	6
वर्ड	175

स्रोत: जनगणना-2001

सारणी - 1.2

जनसंख्या से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य : 2001

विवरण	संख्या
कुल जनसंख्या	3367384
पुरूष जनसंख्या	1843365
महिला जनसंख्या	1524019
अनुसूचित जाति जनसंख्या (अनुमानित)	1063413
दशकीय परिवर्तन	23.67
लिंगानुपात	1000 : 843
घनत्व	568व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0
अनुसूचित जाति का प्रतिशत	33
अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	00.0012
पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत	30
अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिशत	14
सामान्य एवं अन्य	22.99

स्रोत: जनगणना-2001

जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2001 में उ0प्र0 के 70 जिलों में जनपद का 12वां स्थान है तथा प्रदेश की जनसंख्या में इसका 2.05% का योगदान है। लिंगानुपात की दृष्टि से प्रदेश में 66वें स्थान पर तथा घनत्व की दृष्टि से 55वें स्थान पर है।

सारणी – 1.3 (अ)

विकास खण्डवार जनसंख्या : 2001

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनु0जा0की जनसंख्या (अनुमानित)		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	अहिरोरी	104501	84908	189409	34485	28019	62504
2	हरियावां	79091	63419	142510	26100	20928	47028
3	टड़ियावां	83795	67579	151374	27652	22301	49953
4	सुरसा	98106	78756	176862	32374	25989	58363
5	बावन	100136	86719	186855	33044	28617	61661
6	पिहानी	89533	72631	162164	29545	23968	53513
7	भरखनी	93230	72519	165749	30765	23931	54696
8	टोडरपुर	79816	65932	145748	26339	21757	48096
9	शाहाबाद	84401	67556	151957	27852	22293	50145
10	सण्डीला	88364	72691	161055	29160	23988	53148
11	बेंहदर	82513	69139	151652	27229	22815	50044
12	कछौना	71842	59902	131744	23707	19767	47474
13	भरावन	86638	69997	156635	28590	13199	41789
14	कोथावां	87348	66651	153999	28824	21994	50818
15	मल्लावां	58798	49208	108006	19403	16238	35641
16	बिलग्राम	90872	72137	163009	29987	23805	53792
17	माधौगंज	85124	68413	153537	28090	22576	50666
18	हरपालपुर	77860	60994	138854	25693	20128	45821
19	साण्डी	74509	59112	133621	24587	19506	44093
योग		1616477	1308263	2924740	533426	421819	959245

स्रोतः जनगणना--2001

विकास खण्डवार वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े दशकीय परिवर्तन 23.67 प्रतिशत के आधार पर उक्त आंकड़े प्रक्षेपित किये गये हैं। इस प्रकार से जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 29224740 है जिसमें 1616477 पुरूष तथा 1308263 महिलाएं हैं। ग्रामीण अनुसूचित जाति जनसंख्या 959245 हैं जिसमें 533426 पुरूष तथा 421819 महिलाएं है।

सारणी - 1.3 (ब)

नगर क्षेत्र की जनसंख्या-2001

कुल जनसंख्या			अनु0जा0की जनसंख्या		
पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
226918	215756	442674	56729	51439	108168

जनपद में 6 नगर क्षेत्र हैं जिनकी 2001 की कुल जनसंख्या 442674 है जिसमें पुरूष 226918 तथा महिलाएं 215756 हैं नगरीय अनुसूचित जाति जनसंख्या 108168 है। उसके 56729 पुरूष तथा 51439 महिलाएं हैं।

सारणी - 1.3 (अ . ब)

ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र की कुल जनसंख्या : 2001 (अनुमानित)

क्षेत्र	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
नगर क्षेत्र	226918	215756	442674	56729	51439	108168
ग्रामीण क्षेत्र	1616477	1308263	2924740	533426	421819	955245
जनपद की जनसंख्या	1843395	1524019	3367414	590155	473258	1063413

1843395 पुरूष एवं 1524019 महिलाओं को मिलाकर को मिलाकर जनपद की कुल जनसंख्या 3367414 है। इसमें अनुसूचित जाति के 590155 पुरूष तथा 473258 महिलाओं को मिलाकर कुल 1063413 जनसंख्या सम्मिलित है।

अध्याय 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद हरदोई में माह सितम्बर 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) परियोजना प्रारम्भ हुयी जिसमें शिक्षा की पहुँच का विस्तार गुणवत्ता में वृद्धि, ठहराव एवं प्रबन्धन क्षमता में विकास के विशिष्ट उद्देश्य रखे गये थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप शैक्षिक परिदृश्य में सुधार हुआ है।

वर्ष 2001 की जनगणना से सम्बन्धित शैक्षिक आंकड़े यथा, कुल पुरुष, महिला एवं जनपद की कुल साक्षरता दर प्राप्त हो गयी है जो क्रमशः 65.08, 37.62 एवं 52.64 हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं, कि पिछले दशक में साक्षरता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है विशेषकर महिला साक्षरता दर में।

सारणी 2.1
जनपद की साक्षरता की स्थिति (प्रतिशत में)

विवरण	1991	2001
जनपद की कुल साक्षरता दर	37.7	52.64
पुरुष	55.7	65.08
महिला	19.7	37.62
ग्रामीण साक्षरता दर	33.8	42.08
पुरुष	47.6	57.47
महिला	16.3	26.7
शहरी साक्षरता दर	54.9	82.17
पुरुष	64.1	83.33
महिला	44.1	78.02

स्रोत :- जनगणना 1991 व 2001

जनपद की साक्षरता दर से सम्बन्धित विकास खण्डवार आंकड़े सारणी 2.1 में प्रदर्शित किये गये हैं जिससे कि योजना निर्माण में संख्यात्मक ज्ञान का उपयोग किया जा सके।

सारणी 2.2

विकास खण्ड वार साक्षरता की प्रतिशत स्थिति

क्रमांक	विकासखण्ड	वर्ष 1991			वर्ष 2001		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	भरखनी	52.1	19.2	37.9	62.52	30.72	46.62
2	शाहाबाद	51.4	18.0	36.7	63.54	28.62	46.08
3	टोडरपुर	44.9	13.5	30.9	54.26	21.60	37.93
4	पिहानी	43.3	13.7	30.3	52.89	24.92	38.90
5	बावन	50.2	19.0	36.5	61.26	30.40	45.83
6	हरियांवा	48.9	16.3	34.5	52.76	26.08	39.42
7	टडियांवा	45.7	14.5	32.1	51.22	23.49	37.35
8	सुरसा	49.7	16.2	35.1	56.13	26.24	41.18
9	अहिरोरी	45.4	13.6	31.5	51.84	22.89	37.36
10	हरपालपुर	52.4	19.4	38.2	60.43	31.04	45.73
11	साण्डी	48.9	14.6	34.0	55.60	24.65	40.12
12	बिलग्राम	36.2	14.8	32.6	51.66	23.82	37.74
13	माधोगंज	51.7	21.4	38.3	58.50	35.38	46.90
14	मल्लांवा	61.6	31.4	48.0	68.92	48.80	58.86
15	कोथांवा	45.5	14.2	31.6	50.96	22.62	36.79
16	कछौना	45.9	16.9	32.9	51.45	27.37	39.41
17	बेहन्दर	42.3	12.5	29.0	49.92	19.75	34.83
18	सण्डीला	39.6	12.4	27.5	49.70	20.71	35.20
19	भरावन	42.3	13.3	29.4	50.02	21.41	35.71
	योग ग्रामीण	47.6	16.3	33.8	57.47	26.70	42.08

स्रोत :- जनगणना 2001

जनपद के 2001 के साक्षरता सम्बन्धी आंकड़ों से प्रतीत होता है, कि विकास खण्ड बेहदर की साक्षरता दर 27.5 है जिसमें महिलाओं की साक्षरता 12.4 प्रतिशत तथा पुरुषों की साक्षरता दर 49.7 प्रतिशत है। अतः इस विकास खण्ड में सर्वशिक्षा अभियान के दौरान अधिक शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करने की आवश्यकता है। इसी कम में कमशः भरावन एवं कोथावां में भी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

सारणी 2.3

विवरण	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	नियुक्त शिक्षा मित्रों की संख्या		
				स्वीकृत	नियुक्त	रिक्त
प्राथमिक विद्यालय	5962	4170	1792	2068	1360	708
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1830	1333	497	–	–	–

स्रोत : बेसिक शिक्षा

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 5962 तथा शिक्षा मित्रों के 2068 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 4170 शिक्षकों एवं 1360 शिक्षा मित्रों को मिलाकर 5530 पद भरे हुये हैं। 2002-03 के नामांकन के अनुसार 1:40 के अनुसार आवश्यक पदों को देखते हुये अभी भी 3850 अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षा मित्रों की आवश्यकता है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1830 के सापेक्ष 1333 शिक्षक कार्यरत हैं। अतः 487 शिक्षकों की आवश्यकता है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत पूरा किया जायेगा।

सारणी 2.4
शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

क्रम	विवरण	परिषदीय/ शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	2217	77	2294	340	191	531	2557	268	28[illegible]
2	मा0वि0 से सम्बद्ध प्रा0वि0	--	12	12	6	12	18	6	24	30
3	उच्च प्राथमिक विद्या0	435	13	448	115	19	134	550	32	582
4	मा0 वि0 से सम्बद्ध उ0प्रा0वि	8	7	15	7·5	28	103	83	35	118
5	केन्द्रीय विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	नवोदय विद्यालय	01	--	01	--	--	--	01	--	01
7	हाईस्कूल	4	3	7	44	8	52	47	11	58
8	इण्टरमीडिएट	5	4	9	48	30	78	53	34	67
9	डिग्री कालेज	--	1	1	2	5	7	2	6	8
10	स्नातकोत्तर महा विद्यालय	--	2	2	7	7	14	7	9	16
11	विश्व विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	आई0टी0आई0/पालीटेक्निक	--	02	02	--	--	--	--	02	02
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	--	--	--	--	5	5	--	5	5
14	आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	1812	--	1812	--	--	--	1812	--	1812
15	मकतब/मदरसा	--	--	--	4	--	4	4	--	4
16	संस्कृत पाठशालायें	--	--	--	6	--	6	6	--	6
17	अन्धे व विकलांग विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	--	01	01	--	--	--	--	01	01
19	बी0आर0सी0	19	--	19	--	--	--	19	--	19
20	एन0पी0आर0सी	191	--	191	--	--	--	191	--	191

स्रोत :- बेसिक शिक्षा एवं डीपीईपी

सारणी 2.5 (अ)
परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	विद्यालय से 1 कि0मी0 से कम दूरी पर स्थित असेवित बस्तियां /मजरों की संख्या	1 से 1.5 कि0मी0 के बीच अवस्थित सेवित बस्तियों/मजरों की संख्या	1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर उपलब्ध असेवित बस्तियों/मजरों की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 या अधिक है	2724	658	83
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है	599	420	257

स्रोत : शिक्षा विभाग

जनपद में 4741 आबादीमुक्त बस्तियां हैं। 3547 बस्तियों ऐसी हैं जिनकी आबादी 300 यो इससे अधिक है। इसमें से 2724 बस्तियों के [illegible]60 प्रा0वि0 है जिसमें 36 बस्तियां में दो-दो प्रा0वि0 हैं तथा मानक के अनुसार 83 असेवित बस्तियां हैं। जहां विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। अवशेष बस्तियां में राज्य सरकार के मानक के अनुसार निर्दिष्ट व्यवस्था (विद्या केन्द्र) की व्यवस्था की जायेगी।

सारणी 2.5 (ब)

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	3 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता	3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	741	61
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है	3839	0

जनपद में परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त कुल 640 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो 3203 बस्तियों को सेवा प्रदान कर रहे है तथा 162 बस्तियां मानक के अनुसार असेवित है जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। 56 विद्यालय ग्यारहवें वित्त आयोग से स्वीकृत है। अतः इन्हें कम करते हुये कुल 106 उ0प्रा0वि0 सर्व शिक्षा अभियान में खोले जायेंगे।

प्राथमिक विद्यालयों के आंकडे एवं उनसे सम्बन्धित इण्डीकेटर्स

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सितम्बर, 1997 से संचालित है जिसके अर्न्तगत क्षमता संवर्द्धन किया गया है। जनपद स्तर पर ई0एम0आई0एस0 सेल की स्थापना सहित ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवं न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी हैं। यहां पर शैक्षिक आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर प्राप्त आंकड़ों का उपयोग प्रतिवर्ष कार्ययोजना बनाने में किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घावधि योजना बनाने में इन आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ आवश्यक वर्तमान आंकड़ें निम्नवत् हैं :-

सारणी 2.6 (अ)

छात्र नामांकन : 2002-03

प्राथमिक स्तर

विवरण	बालक	बालिका	योग
6-11 आयुवर्ग के कुल बच्चे	302015	243324	545339
परिषदीय विद्यालयों का नामांकन	276543	220654	497197
मान्यता प्राप्त विद्यालयों का नामांकन	66587	43971	110558
गैरमान्यता प्राप्त विद्यालयों का नामांकन	16211	11897	28108
कुल नामांकित बच्चे	292754	232551	525305
सकल नामांकन अनुपात	96.93 :	95.57 :	96.33 :

स्रोतः जि0प्रा0शि0का0

सारणी 2.6 (ब)

छात्र नामांकन : 2002-03

उच्च प्राथमिक स्तर

विवरण	बालक	बालिका	योग
11-14 आयुवर्ग के कुल बच्चे	99531	71773	171304
परिषदीय विद्यालयों का नामांकन	29576	16686	46265
मान्यता प्राप्त विद्यालयों का नामांकन	31538	23144	54682
गैरमान्यता प्राप्त विद्यालयों का नामांकन	30821	20983	51804
कुल नामांकित बच्चे	91935	60813	152743
सकल नामांकन अनुपात	92.36 :	84.72 :	89.16 :

स्रोतः बेसिक शिक्षा

सारणी 2.6 (अ) एवं सारणी 2.6 (ब) में प्रदर्शित किये गये आंकड़े ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियें द्वारा सभी परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अधिकांश गैरमान्यता प्राप्त विद्यालयों से प्राप्त नामांकन को संकलित कर जिला स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अनुसार नामांकन में पर्याप्त रूप से वृद्धि प्रदर्शित हो रही है। अवशेष अनामांकित बच्चों हेतु आगामी वर्षों में विस्तृत कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

वर्ष 2000-01 के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सकल नामांकन अनुपात की गणना की गयी है जिसे सारणी 2.6 में प्रदर्शित किया गया है जिससे नामांकन वृद्धि प्रमाणित हो रही है।

सारणी 2.7

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात : 2000-01

प्राथमिक स्तर

कुल नामांकन			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
95.92	82.00	89.31	99.3	98.43	98.86

स्रोत -ई0एम0आई0एस0

तालिका 2.7 में प्रदर्शित आंकड़ों से प्रतीत होता हैं कि गत वर्ष बालकों का नामांकन बालिकाओं की अपेक्षा अधिक रहा जबकि बालिकाओं का नामांकन औसत सकल नामांकन से भी कम रहा जबकि अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं का नामांकन तथा सकल नामांकन प्रतिशत समस्त नामांकन प्रतिशत से भी अधिक रहा जो इनकी शिक्षा में सुधार को प्रमाणित करता है। सर्व शिक्षा अभियान में समस्त नामांकन पर जोर देने की आवश्यकता है।

सारणी 2.8

ई0एम0आई0एस0 आंकड़े-प्राथमिक विद्यालय का नामांकन

वर्ष	97-98	98-99	99-2000	2000-2001
कक्षा-1	125379	102336	131716	125110
कक्षा-2	97416	103803	103683	116139
कक्षा-3	70465	86733	101567	97034
कक्षा-4	50352	58949	78122	85373
कक्षा-5	38590	43700	57136	67742

स्रोत -ई0एम0आई0एस0

सारणी 2.8 के आंकड़ों से प्रतीत होता है, कि कक्षा-1 का नामांकन 2000-01 तक घटता बढता रहा हैं तथा शेष कक्षाओं का नामांकन बढ़ता रहा है जो जि0प्रा0शि0का0 द्वारा आयोजित गतिविधियों को प्रमाणित करता है।

सारणी 2.9

सकल नामांकन अनुपात व शुद्ध नामांकन अनुपात

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात			शुद्ध नामांकन अनुपात		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
97-98	96.79	73.71	86.03	86.37	65.37	76.58
98-99	95.58	76.22	86.51	87.27	69.40	78.90
99-2000	108.11	89.53	99.44	99.40	82.54	91.53
2000-2001	105.00	89.26	97.53	95.92	82.00	89.31

स्रोत -ई0एम0आई0एस0

उपरोक्त आंकड़ों से प्रतीत होता है कि बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 97-98 से 2000-01 तक निरंतर बढ़ा है। परन्तु बालकों एवं बालिकाओं के बीच बराबर नहीं हुआ है। अतः विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

सारणी 2.11

जनपद की शालात्याग दर : 1999-2000

जनपद का ड्राप आउट दर

कुल ड्राप आउट			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	योग
41.3	38.4	40.1	33.4	27.4	30.9

सारणी 2.12

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता राज्य सरकार के मानक 800 की आबादी एवं 3 कि.मी. की दूरी के आधार पर

विवरण	ग्रामीण	नगर
वर्तमान प्रा0वि0 (2003-04)	2124	77
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	130	--
वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्रा0वि0 (2003-04)	448	--
आवश्यक उ0प्रा0 विद्यालय	--	--
मानक के अनुसार आवश्यक उ0प्रा0 विद्यालयों की मांग	--	--

जनपद के सभी ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बन्धित सुविधाओं का आंकलन नगर शिक्षा अधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों द्वारा कराया गया तथा

सारणी 2.13

विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरणः 2003-04

विवरण	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्रा0 विद्यालय	
	ग्रामीण	नगर	ग्रामीण	नगर
कुल विद्यालय	2134	77	373	14
एक कक्षीय विद्यालय	37	14	--	--
द्वि कक्षीय विद्यालय	1461	24	9	--
तीन कक्षीय विद्यालय	527	20	100	06
चार कक्षीय विद्यालय	030	14	282	08
पांच कक्षीय विद्यालय	010	04	24	--
पांच से अधिक कक्षा वाले वि0	002	01	19	--
मरम्मत योग्य कुल विद्यालय	799	31	167	07
लघु मरम्मत योग्य विद्यालय	529	09	107	01
वृहद मरम्मत योग्य विद्यालय	270	22	60	6
शौचालय युक्त विद्यालय	1567	37	394	12
शौचालय विहीन विद्यालय	650	40	41	01
हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय	1765	25	177	11
हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय	434	41	207	02
चहारदीवारी युक्त विद्यालय	364	37	92	08
चहारदीवारी विहीन विद्यालय	1859	14	272	05
भवनविहीन विद्यालय	00	24	4	01

उपर्युक्त सारणी में प्रदर्शित सभी आंकड़े ब्लाक संसाधन केन्द्रों एव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों से एकत्र कर जिला स्तर पर संकलित कर भेजा गया है।

सारणी 2.14

डी0पी0ई0पी0 परियोजना लागू होने के बाद से प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की वृद्धि का विवरण निम्नप्रकार है :-

विवरण	1997-98	2001-02	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि	1911	2211	+13.56 प्रतिशत
प्राथमिक शिक्षकों में वृद्धि	4823	5178	+6.85 प्रतिशत

स्रोत :- बेसिक शिक्षा विभाग

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात ढांचागत सुधार के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 13.56 प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि शिक्षकों के स्वीकृत 5924 पदों एवं 97-98 में कार्यरत 23 पदों के सापेक्ष भर्ती होने एवं उनके सेवानिवृत्त होने के कारण 6.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आवश्यक शिक्षकों की कमी को शिक्षा मित्रों एवं नियमित शिक्षकों की नियक्ति करके पूरा किया जायेगा।

सारणी 2.15

अन्य आंकडे वर्ष 2003–2004

अध्यापक छात्र अनुपात	1:56
एकल अध्यापकीय विद्यालय	472
छात्र कक्षा कक्ष अनुपात	1.94

स्रोत :– ई0एम0आई0एस0

गत वर्ष छात्र–शिक्षक अनुपात 68:1 था जो वर्ष 2001 में 71:1 हो गया जबकि मानक 40:1 का है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में इसे मानक के अनुसार लाने का प्रयास किया जायेगा। एकल अध्यापक विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक तथा छात्र–कक्षा अनुपात 60:1 लाने का प्रयास किया जायेगा।

सारणी 2.16

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रम	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डीपीईपी वित्त अन्य से स्वीकृत	मांग	कमी	ग्यारहवें वित्त/अन्य आयोग से स्वीकृत	मांग
1	नवीन विद्यालय	83	83	0	61	61	0
2	विद्यालय पुर्ननिर्माण	5	0	5	30	25	5
3	अतिरिक्त कक्षाकक्ष प्रति शिक्षक/ प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि	1384	429	955	..	..	..
4	पेयजल सुविधा	385	85	300	209	115	94
5	शौचालय	850	200	650	150	109	41

स्रोत --डी0पी0ई0पी0

ग्राम शिक्षा समितियों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/नगर शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सर्वेक्षण आख्याओं के आधार पर वर्तमान में नवीन प्राथमिक विद्यालयों 83 खोलने की आवश्यकता है जबकि छात्र नामांकन के आधार पर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 1384 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में पेयजल सुविधा 300 प्राथमिक विद्यालयों, 94 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 850 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय स्थापित करने की आवश्यकता है।

अध्याय 3
नियोजन प्रक्रिया
(Planning Process)

बेसिक शिक्षा/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है तथा विभिन्न स्तरों से नियंत्रण की व्यवस्था की गयी है जैसे–जिल स्तर विकास खण्ड स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर आदि–आदि।

वर्तमान में जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शत–प्रतिशत नामांकन, शतप्रतिशत ठहराव तथा सम्प्राप्ति के साथ–साथ पहुँच का विस्तार करने सम्बन्धी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में समुचित सहयोग हेतु सामुदायिक सहभागिता सम्बन्धी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इसी के एक भाग के रूप में जनपद में सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया अपनायी गयी है। यह एक विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया है जिसमें ग्राम की परिस्थितियों एवं वहां की आवश्यकताओं के अनुसार ही योजना निर्माण को महत्व दिया गया है। इस प्रकिया के उद्देश्य निम्न प्रकार रहेः–

1– सामुदायिक गतिशीलता एवं जागरुकता का विकास करना
2– आवश्यकताओं की पहचान तथा उनका प्राथमिकीकरण
3– उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करना
4– उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्यक्रमों का निर्धारण
5– निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करना तथा उनका अनुश्रवण करना
6– बदली हुई परिस्थितियों में योजना में बदलाव लाना

इस प्रकार सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया पूर्णरूप से समुदाय आधारित है तथा इसे कई चरणों में पूरा किया गया है यथा :--

1– जिला संदर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षण
2– ब्लाक संदर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षण
3– ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण
4– ग्राम शैक्षिक मान चित्रण
5– परिवार सर्वेक्षण
6– आंकड़ो का संग्रह एवं विश्लेषण
7– ग्राम शिक्षा योजना निर्माण

1– जिला संदर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षण

जनपद में इस समूह के गठन हेतु डायट हरदोई से दो प्रवक्ता, नेहरू युवा केन्द्र के दो सदस्य तथा जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) को सम्मिलित किया गया। इन्हें राज्य स्तर पर चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

2– ब्लाक संसाधन समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण

जनपद के सभी 19 विकासखण्डों में एक–एक ब्लाक संसाधन समूह का गठन 25–30 सदस्यों को मिलाकर किया गया। इनमें सेवानिवृत्त व्यक्ति, उत्साही युवक, गैर सरकारी संगठनों के व्यक्ति सम्मिलित

हुए। इन सदस्यों को डायट हरदोई के माध्यम से तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सभी 19 समूहों के कुल 526 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

3- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण

ब्लाक संसाधन समूह के सदस्यों के माध्यम से सभी 1101 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षित करने के लिए उक्त में से दो सदस्यों को नियुक्त किया गया। इस प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्य उत्साही प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित हुए। सभी 1101 ग्राम शिक्षा समितियों के कुल 27160 सदस्यों को वर्ष 1998-99 में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार थेः-

(1) ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता
(2) ग्राम शिक्षा समिति की संरचना एवं गठन
(3) ग्राम शिक्षा समिति के कर्तव्य एवं दायित्व
(4) बालिका शिक्षा की स्थिति , लिंग विभेदीकरण एवं उसका समाधान
(5) ग्राम शैक्षिक मानचित्रण
(6) परिवार सर्वेक्षण
(7) ग्राम शिक्षा योजना पंजिका भरना एवं आंकडो का विश्लेषण
(8) ग्राम शिक्षा योजना निर्माण
(9) समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकीकरण
(10)विद्यालय अनुश्रवण
(11)ग्राम शिक्षा समिति का अन्य विभागों से सहयोग/ समन्वय
(12)संसाधनों का प्रबन्धन
(13)वित्तीय नियमों की जानकारी
(14)उत्साहवर्धक योजनाएं एवं मूल्यांकन

4- ग्राम शैक्षिक मानचित्रण

प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के माध्यम से 99-2000 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में शैक्षिक मानचित्रण कराया गया। इसमें ग्राम के समस्त रास्तों (सडक/गली/गलियारा/कच्ची/पक्की/खडंजा/ पडंजा), घरों (कच्चे/पक्के/मिश्रित), पेयजल सुविधायों, विद्युत आपूर्ति, लघु उद्योग तथा अन्य सरकारी/ गैर सरकारी सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही प्रत्येक घर में 6-11 आयु वर्ग के पढ़ने/ न पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रदर्शित किया गया। इसीलिए इसे ग्राम शैक्षिक मानचित्र कहा गया। ग्राम के मुख्य प्रवेश मार्ग की ओर से मकानों को एक क्रमांक भी प्रदान किया गया तथा मकान के मुखियाओं की सूची बनाकर परिवार सर्वेक्षण कार्य कराया गया।

5- परिवार सर्वेक्षण

-प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों की सहायता से सम्पूर्ण जनपद की ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों का परिवार सर्वेक्षण कार्य 99-2000 में ग्राम शैक्षिक मानचित्र के आधार पर कराया गया। परिवार सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित प्रपत्र पर कराया गया जिसे जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध

कराया गया था। इस प्रपत्र में परिवार के कुल सदस्यों एवं उनकी शैक्षिक स्थिति की जानकारी दी गयी है।

6- आंकड़ो का संग्रह/ संकलन

पूरित प्रपत्रों को ग्राम/ मजरानुसार एकत्र करके ग्राम शिक्षा योजना के परिवार सर्वेक्षण संकलन प्रपत्र ब में मकानों के क्रम में अंकित किया गया। अंकित कराने से पूर्व विकास खण्ड वार ग्राम शिक्षा समिति के चुनिंदा सदस्यों एवं ब्लाक तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को पंजिका भरने का आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रतिभागियों के सुझावों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार सदस्यों ने ग्राम शिक्षा योजना पंजिका में ग्राम/ मजरा तथा जातिवार परिवारों को प्रविष्ट करके अन्त में कुल पुरूष/ महिला संख्या, धर्मावलम्बियों, भाषा-भाषियों, 0-6 वर्ष के बच्चों, 6-11 वय वर्ग तथा 11-14 वय वर्ग के पढने/ न पढने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन निकाला। इसमें विकलांग बच्चों से सम्बन्धित तथा बच्चों के विद्यालय न जाने का कारण भी प्रदर्शित किया गया है। विद्यालय संसाधनों/ शैक्षिक सुविधाओं के आंकलन तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों के आधार पर इसी ग्राम शिक्षा योजना पंजिका में ही ग्राम शैक्षिक योजना का निर्माण किया गया है। ग्राम शिक्षा योजना के अधिकांश आंकड़ो जैसे जनसंख्या, साक्षरों की विधिवत संख्या, 0-6 आयु वर्ग के, 6-11 वय वर्ग, 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या ग्राम पंचायतवार एकत्र की गयी है। ग्राम शैक्षिक योजना के आधार पर असेवित बस्तियों, विद्या केन्द्रों/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने, अतिरिक्त कक्ष वाले विद्यालयों, हैण्ड पम्प विहीन, चहारदीवारी विहीन तथा अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताओं का भी संकलन किया गया है तथा सर्व शिक्षा में इसका उपयोग विभिन्न अध्यायों के संकलन कर किया गया है। इस योजना पंजिका में प्रतिवर्ष आकड़ों का संशोधन भी किया गया ।

7- ग्राम शिक्षा योजना निर्माण

ग्राम शिक्षा योजना पंजिका में संकलित एवं विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इसमें ग्राम पंचायत की सेवित-असेवित बस्तियों में प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र आदि खोलने के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर जागरूक करने के प्रयास किये जाने, विद्यालय के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने, शिक्षकों की कमी को पूरा करने आदि के सम्बन्ध में संस्तुतियां की गयी हैं। इन संस्तुतियों को ग्राम पंचायतवार ब्लाक स्तर पर संकलित किया गया है, जिसके आधार पर परियोजना के तहत कार्यवाही की जा रही है तथापि परियोजना संसाधनों को देखते हुए उन्हें पूरा कर पाना सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में एक लम्बी अवधि के कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिसके माध्यम से पहुँच के विस्तार के साथ-साथ शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक संसाधनों से सम्पन्न किया जा सके। इस प्रकार इसमें सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

सारणी- 3.1

परिवार सर्वेक्षण की स्थिति एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चेः 2003-04

आयु वर्ग	परिवार सर्वेक्षण के आधार पर कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की कारण वार संख्या																	
				धरेलू कार्य			मजदूरी में संलग्न			शिशु देखरेख			विद्यालय दूर होने के कारण			अन्य कारण			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	325755	258068	583823	9743	6655	16398	447	26	473	6030	6089	12119	1940	1340	3280	24477	20054	44537	42637	34164	76801
11-14	116114	83803	199917	5360	3751	9111	1030	217	1247	1899	2376	4275	548	582	1130	7998	5448	13446	16835	12374	29209
योग	**441869**	**341871**	**783740**	**15103**	**10406**	**25509**	**1477**	**243**	**1720**	**7929**	**8465**	**16394**	**2488**	**1922**	**4410**	**32475**	**25502**	**57977**	**59472**	**46538**	**106010**

स्रोतः जनपदीय परिवार सर्वेक्षण

सारणी-3.2

स्कूल चलो अभियान की प्रगतिः 2003-04

जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाकर वर्ष 2003-04 में सर्वेक्षित बच्चों में अधिकांश को औपचारिक विद्यालय में नामांकित कराया गया है तथा शेष के लिए प्रयास किये जा रहे है तथा विभिन्न कारणों से शेष रहे बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।

आयु वर्ग	कुल बच्चे			विद्यालय में नामांकित			अवशेष		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	325755	258068	583823	321046	254035	575081	4709	4033	8742
11-14	116114	83803	199917	110469	78606	189075	5645	5197	10842
योग	441869	341871	**783740**	**431515**	332641	**764156**	**10354**	**9230**	**19584**

स्रोतः जनपदीय परिवार सर्वेक्षण

सारणी- 3.3

नामांकन हेतु अवशेष बच्चों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

वैकल्पिक कार्यक्रम का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ई0जी0एस0/ विद्या केन्द्र	257	257	257	257
ब्रिज कोर्स एनपीआरसी स्तर	191	20	5	5
एआईई केन्द्र	--	25	25	25

सारणी- 3.4

प्रस्तावित वैकल्पिक कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले बच्चें

प्रस्तावित कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	केन्द्र	बच्चें	केन्द्र	बच्चें	केन्द्र	बच्चें	केन्द्र	बच्चें
ईजीएस केन्द्र	257	7710	257	7710	257	7710	257	7710
ब्रिज कोर्स एनपीआरसी स्तर	191	9550	20	1000	5	1000	5	1000
एआईई केन्द्र	---	---	25	1250	25	1250	25	1250

सर्व शिक्षा अभियान में नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान की योजना तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं अन्य विभागों के अधिकारियेां/कर्मचारियेां तथा जनप्रतिनिधियों के साथ सर्व शिक्षा अभियान की चर्चा कर आवश्यक सुझाव आमंत्रित किये गये जिनका सर्व शिक्षा अभियान की योजना में समावेश किया गया है। इन बैठकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः-

क. सं.	स्तर	आयोजन सील	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक में प्राप्त सुझावों का विवरण
1	जिला स्तर 1. जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक	कलेक्ट्रेट सभागार	1.जिलाधिकारी 2.मुख्य विकास अधिकारी 3.अन्य विभागों के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि	1.राज्य सरकार के मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में विद्यालय खोले जायें। 2.स्थायी विद्यालयेां की सीपना तक ई0जी0एस0 केन्द्र की व्यवस्था की जाये। 3.नवाचार केन्द्रों की स्थापना द्वारा कामकाजी बच्चों को शिक्षित किया जाये।
2	जिला स्तर	29.9.2001 विकास भवन	1.मुख्य विकास अधिकारी 2.जिला बे0शि0अ0 3.समस्त स0बे0शि0अ0 4.समस्त ब्लाक समन्वयक 5.उप बे0शि0अधिकारी	1.असेवित बस्तियों के प्रा0शि0/उ.प्रा.शि. पर बल 2.अभियान के अर्न्तगत सभी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच का विस्तार किया जाये। 6-14 वर्ग में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना
3	जिला	2.10.2001 कार्यालय जिला बे0शि0अ0	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बी0आर0सी0 उप बे0शि0 अधिकारी	1.सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों के ग्रा0शि0स0स्तर पर ले जाने हेतु कार्यवाही करना 2.ग्राम/न्यायपंचायत स्तर आयोजित बैठक में प्रतिभाग 3.असेवित बस्तियों की पहचान 4. 6-14वय वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चों की गणना 5.विद्यालयों में आवश्यक सुविधा हैण्डपम्प, शौचालय अतिरिक्त कक्षा, चहारदीवारी का निर्माण
4	ब्लाक स्तर	5.10.2001 सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र	बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	1.असेवितबस्तियों में प्रा0वि0/बे0शि0वि0/विद्यालय केन्द्र खोले जायें 2.माता-शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक दल को और अधिक सकिय किया जाये। 3.ग्राम शिक्षा समिति को सकिय किया जाये 4.विद्यालयों के मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति को जाये।
.5	ब्लाक स्तर	6.10.2001 बी0आर0सी0	ब्लाक के समस्त प्रधान	1.प्राथमिक विद्यालयों के मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति

		सण्डीला	ब्लाक समन्वयक स0वे0शि0अ0	2.पुस्तकें सभी बच्चों को दी जायें 3.विद्यालयों को चहारदीवारी दी जाये 4.प्रधानों को विद्यालय सम्बन्धी और अधिकार दिये जायें।
6	ग्राम स्तरीय	8.10.2001 तिलोइयांकला	ग्रा0शि0स0सदस्य माता शिक्षक संघ अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य प्रधानाध्यापक	1.तिलाइंयाकला एवं खुर्द के विद्यालयों के बीच एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाये 2.विद्यालय भवन का पुर्ननिर्माण कराया जाये 3.तिलाइयां कला के मकतब को भी मजबूत किया जाये
7	ग्राम स्तरीय	8.10.2001	ग्राम शिक्षा समिति सभी अध्यापक माता शिक्षक संघ के सदस्य जनसमुदाय	1.अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये 2. मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति 3.सभी बच्चों को पुस्तकें दी जायें 4.शौचालय चहारदीवारी, हैण्डपम्प उपलब्ध कराये जायें। 5.सुल्तानपुर में विद्या केन्द्र खोला जाये 6.एक उ0प्रा0वि0 भी स्थापित किया जाये।
8	ग्राम स्तरीय	27.10.2001	शिक्षा समिति सदस्य तथा जन समुदाय (सभी 1101 ग्राम पंचायतों में सभी ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें)	1.बालिकाओं के लिए उनकी पहुंच के अनुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये 2.विद्यालयों की चहारदीवारी बनायी जाये 3.शिक्षकों की संख्या बढायी जाये 4. खेलकूद की गतिविधियों काआयोजन भली प्रकार से किया जायें 5.प्रत्येक मास पढाई का विवरण ग्राम शिक्षा समिति को बताया जाये 6.विद्यालयों को मिले वाली सुविधायें समिति के सदस्यों को भी बतायी जायें 7.पुस्तकें सभी बालकों को भी दी जायें 8.बालिकाओं के हित को देखते हुए प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक अध्यापिका की नियुक्ति की जाये 9.बालिकाओं एवं बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये 10.जर्जर विद्यालय भवनों का पुनर्निमाण तथा पेयजल व्यवस्था की जाये 11.विकलांग बच्चों के लिए भी

				शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाये
9		28.10.2001	सम्बन्धित समुदाय के सदस्य (406 ग्रामों में विशेष आवश्यकता वाले समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के साथ बैठक)	1.सभी बालिकाओं एवं बालकों को वजीफा दिया जाये। 2.अनुसूचित जाति के बालकों के अलावा अन्य बालकों को भी पुस्तकें दी जायें। 3.सम्बन्धित वर्गों की शिक्षिकाओं की नियुक्ति उनके विद्यालयों में की जाये 4.निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बच्चों को कापियां भी दी जायें 5. बालिकाओं को ले जाने एवं लाने के लिए आया की व्यवस्था की जाये।
10	ग्राम स्तरीय	3.11.2001 ग्राम नगरा ग्राम पंचायत वरसोइया विकास खण्ड बावन (पिछड़ा वर्ग की बैठक)	ग्राम प्रधान वी0डी0सी0 एवं अन्य ग्रामवासी	1.ग्राम से प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी 4 कि0मी0 से अधिक होने तथा वर्षाकाल के नदी नालों के अवरोध होने के कारण उक्त दोनों विद्यालय तत्काल खोलने की आवश्यकता है। 2.जब तक विद्यालय भवन नहीं तैयार होना है तब तक श्री राम सिंह अपना दो कमरे का मकान अथवा बच्चों के छप्पर आदि की व्यवस्था देने के लिए तैयार है।

प्रारम्भिक शिक्षा में अन्य विभागों से समन्वय

प्राथमिक शिक्षा में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अन्य विभागों से समन्वय करके कुछ संसाधन जुटाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

- आई0सी0डी0एस0 विभाग से समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय (डीपीईपी) के जिला समन्वयक बालिका शिक्षा को सम्मिलित करते हुए जिला सन्दर्भ समूह का गठन, ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, न्याय पंचायत समन्वयक एवं सी0डी0पी0ओ0 को सम्मिलित कर ब्लाक सन्दर्भ समूह का गठन किया गया है। वर्तमान में परियोजना द्वारा चार विकासखण्डों, कोथांवा, भरावन, सण्डीला एवं कछौना में क्रमशः 40, 13, 25, 22 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सहयोग एवं समर्थन देकर सशक्त किया गया है तथा यह निम्न प्रकार कार्य कर रहे हैं :-

अ- उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्यालय परिसर में विद्यालय समयानुसार लगाया जा रहा है।
ब- इससे पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया।

स- इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण अधिगत सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी है।
द- कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय भी दिया जा रहा है।
य- केन्द्रों के बेहतर संचालन हेतु नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

- समाज कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों के अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक के सभी बच्चों एवं पिछडी जाति के प्रत्येक विद्यालय के तीन बच्चों को प्रोत्साहन हेतु रू0 300 की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

- ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत की भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जहां पर विद्यालयों का निर्माण कार्य संचालित किया जा रहा है।

- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को 3 किलो प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

- विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र/छात्राओं का चिकित्सा मूल्यांकन कर सम्बन्धित सहायता की व्यवस्था की जा रही है। सितम्बर 2001 तक 2 छात्रों को ट्राई साइकिल, 20 छात्रों को बैसाखी एवं 1 छात्र को श्रवण यंत्र दिया गया है। इसी प्रकार गैर सरकारी संगठनों के द्वारा दो विकासखण्डों कछौना एवं सण्डीला में 172 अस्थि विकलांग बच्चों को बैसाखी व कैलिपर्स तथा 62 बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान किये गये।

- उ0प्र0 जलनिगम से समन्वय

इस विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/ छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।

- युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों को क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम

शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जा रही है।

- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (क्ल्क।) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40: धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60: धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय

स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है तथा चिन्हित अस्वस्थ छात्रों के उपचार हेतु उनके अभिवावकों को अवगत कराया जाता है जिससे छात्रों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जाती है।

वर्तमान में उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके सहयोग प्राप्त किया जा रहा है तथा सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के पश्चात् इसे और अधिक सुदृढ करने का प्रयास किया जायेगा।

अध्याय–4
सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

सर्व–शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में एक आकर्षक तथा अनूठा प्रयास है जिसमें सामुदायिक स्वामित्व वाले विद्यालय प्रबन्ध का मुख्य योगदान होगा। शैक्षिक गुणवत्ता, मानव क्षमताओं का विकास सामुदायिक स्वामित्व के आधीन किया जायेगा। यह अभियान बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास होगा। पंचायत राज संस्थाओं जैसे–विद्यालय प्रबन्धन समिति, ग्राम एवं नगर शिक्षा समितियों, माता–शिक्षक संघ, अभिवावक–शिक्षक संघ, जनजातीय स्वामित्व परिषदों एवं अन्य जमीनी रूप से प्रबन्ध से जुड़ी संस्थाओं को प्रभावी रूप से सक्रिय कर सहयोग लेने का प्रयास किया जायेगा। यह अभियान राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच भागीदारी होगी। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का अनुपात 85:15 तथा दशम पंचवर्षीय योजना में 75:25 तथा उसके बाद की अवधि में 50:50 की भागीदारी रहेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान 2007 तक 6–14 आयुवर्ग के बच्चों को उपयोगी एवं अर्थपरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा तथा विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक, धार्मिक एवं लिंग विभेदीकरण के बीच सेतु निर्माण का कार्य करेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिन्हें जनपद में यथावत स्वीकार किया गया है।

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारण्टी के केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों एवं पुनः विद्यालय वापस शिविरों के माध्यम से शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक/बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष प्राथमिक स्तर पर तथा 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव तथा सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौम ठहराव।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद के नामांकन तथा शालात्याग में निम्न लक्ष्य हैं–

सर्व शिक्षा अभियान के नामांकन लक्ष्य

जनगणना 2001 के सभी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है परन्तु जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति 23.6: पायी गयी है अतः आंकड़ों की स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से 2001 की जनगणना को आधार माना गया है, इसी के आधार पर 6–11 आयुवर्ग के आंकड़ों के आंकलन के लिये 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष का तथा 11–14 आयुवर्ग के आंकड़े ज्ञात करने के लिये 1.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि का उपयोग किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ें प्राप्त होने की स्थिति में अन्य विश्लेषित आंकड़ों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना में किया जायेगा।

सारणी 4.1
प्राथमिक स्तर पर नामांकन लक्ष्य

वर्ष	6.11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			कक्षा-1 से 5 तक का कुल नामांकन			GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	295901	249438	545339	285766	239539	525305	96
2001-02	302707	255174	557881	297418	249305	546723	98
2002-03	309740	261103	570843	309740	261103	570843	100
2003-04	317258	267440	584698	323657	272834	596491	102
2004-05	324554	273591	598145	331045	279062	610107	104
2005-06	332018	279883	611901	355259	299474	654733	107
2006-07	339665	286329	625994	356648	300645	657293	105

स्रोत : जि0प्रा0शि0का0

वर्ष 2001-02 के 6-11 आयु वर्ग के आंकड़ों को आधार मानते हुये अगले वर्षो के आंकड़ें प्रक्षेपित किये गये हैं। इस वर्ष सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर पर 96 पाया गया है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2003-04 तक 100 तक ले जाया जायेगा तथा इसके बाद के वर्षो में कमिक रूप से बढ़ाते हुए वर्ष 2005-06 तक 107 प्रतिशत तक ले जाया जायेगा तथा वर्ष 2007 तक 100 प्रतिशत नामांकन तथा ठहराव का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाये।

सारणी 4.2
उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन लक्ष्य

वर्ष	11.14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			11.14 वय वर्ग का कुल नामांकन			GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	92950	78354	171304	82882	69866	152748	89
2001-02	94710	79838	174548	87132	73451	160583	92
2002-03	96534	81375	177909	92672	78120	170792	96
2003-04	98367	82921	181288	98366	82922	181288	100
2004-05	97236	84495	184731	103241	87031	190272	103
2005-06	102140	86100	188240	109288	92127	201415	107
2006-07	104079	87736	191815	109282	92122	201404	105

स्रोत : जि0प्रा0शि0का0

वर्ष 2001-02 में उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन 89 प्रतिशत पाया गया है जिसे सघन प्रयासों के माध्यम से वर्ष 2005-06 तक 107 प्रतिशत तक ले जाया जायेगा तथा वर्ष 2007 तक 100 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा।

ठहराव के लक्ष्य : सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। अतः प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जो निम्नवत है :-

वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2000-01	41.1	18.4
2001-02	30.2	15.0
2002-03	23.00	12.4
2003-04	16.02	5.00
2004-05	9.00	1.00
2005-06	2.00	00.00
2006-07	00.00	00.00

वर्ष 2000-01 में प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग 41.1 पाया गया जो पर्याप्त अधिक था। शाला त्याग रोकने के लिए वर्ष 2003-04 में अतिरिक्त प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है कि यह 30.2 प्रतिशत तक रह जायेगी जिसे सर्व शिक्षा अभियान के प्रयासों से वर्ष 2006-07 तक शून्य कर दिया जायेगा तथा शतप्रतिशत ठहराव सुनिश्चित कराया जायेगा।

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद के ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी।

अध्याय-5

समस्यायें एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराई गई चर्चाओं में प्राप्त विचारों के विश्लेषण के उपरान्त उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रणनीति पर विचार किया गया है। इसमें जन जागरूता के साथ-साथ नामांकन के अनुसार शिक्षकों का पदस्थापन, नवीन भवनों एवं जीर्णशीर्ण भवनों का पुर्न-निर्माण, भवनों की मरम्मत, हैण्ड पम्प एवं शौचालयों का निर्माण स्कूलों को आकर्षक बनाने आदि से लेकर उनको साधन सम्पन्न बनाने का प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित तैयार की गयी रणनीति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः

समस्यायें	रणनीति
शिक्षा की पहुंच सम्बन्धी	
1- भौगोलिक कठिनाई एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण शिक्षा में बाधा	जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर मौजूद नदी,नाला, जंगल आदि के कारण मौजूद शिक्षा अवरोधों को दूर करने हेतुशिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गतविद्या केन्द्रों एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों को खोला जायेगा तथा वर्षा काल में बाढ के कारण विस्थापित हुए परिवारों के बच्चों हेतु विशेष कैम्पों का आयोजन भी किया जायेगा।
2- शिक्षा की पहुॅच का न होना	अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शैक्षिक केन्द्र खोलने के बाद भी जनपद में सैकडों मजरे/ पुरवे ऐसे हैं जहां पर शैक्षिक केन्द्र नहीं खोले जा सके हैं! ऐसे स्थानों पर शिक्षा केन्द्र खोलकर शिक्षा की पहुॅच का विस्तार किया जायेगा।
3- समेकित शिक्षा की समुचित व्यवस्था	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं गैर सरकारी संगठन के द्वारा जनपद के दो-दो विकासखण्डों में समेकित शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों को प्रशिक्षण बच्चों का सर्वेक्षण एंव उनका चिकित्सीय मूल्यांकन कराकर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है तथा उन्हें मुख्य धारा से जोडा गया है। अन्य 14 विकासखण्डों में इस अभियान के माध्यम से उपरोक्त प्रयास किये जायेंगे।
नामांकन सम्बन्धी	
1-आर्थिक पिछडापन एवं गरीबी	जनपद में गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण आर्थिक पिछडापन पर्याप्त संख्या में मौजूद है जिससे अभिववाकों के व्यवहार एवं विचारों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए उनसे सम्पर्क के

	साथ-साथ विभिन्न जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम जैसे कलाजत्था एवं मीना कम्पेन फिल्म का प्रदर्शन, ग्राम शिक्षा समितियों एवं अन्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संस्थाओं की मदद से जागरूकता सम्बन्धी प्रयास किये जायेगें।
2- शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता में कमी	जनसामान्य में अनेक प्रयासों के बावजूद अभी भी शिक्षा के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अतः इसकी उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए सिलाई कढाई फल संरक्षण स्थानीय क्राफ्ट बुनाई का ज्ञान स्वाबलम्बन हेतु दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मेंहदी, फाइन आर्ट ब्यूटीपार्लर चटाई निर्माण, सन एवं सनई के बैग आदि बनाने तथा प्रबन्धन सम्बन्धी ज्ञान भी दिया जायेगा। इन सबके लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराये जायेगें।
3- विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों के माध्यम से विद्यालय भवन को सुसज्जित किया जायेगा विद्यालय को चाहार दीवारी देकर उसके परिवेश को फुलवाडी से सजाने का प्रयास किया जायेगा। शिक्षकों की नियुक्ति कर पढाई का वातावरण आकर्षक बनाया जायेगा जिससे अभिवावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता समाप्त हो तथा बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था हो।
4- बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि में कमी	वर्तमान व्यवस्था में हो रही शिक्षण प्रक्रिया से बच्चों में शिक्षा के प्रति अपेक्षित रूप से रुचि उत्पन्न नहीं हो सकी है। अतः इस अभियान के माध्यम से रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का विकास खेल द्वारा शिक्षा पर बल समय विभाजन चक्र आदि बनाकर शैक्षणिक गतिविधियों को बच्चों की रुचि के अनुसार आयोजित किया जायेगा।
5- आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना	जनपद आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा है अतः बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगीं
6- चरवाहा/ बाल श्रमिक/ घुमंतू बच्चों के अभिभावकों को जागरुक करना	जनपद में इस वर्ग के बच्चों की संख्या काफी कम है तथापि इन्हें भी मुख्य धारा से जोडने के लिए इनके अभिवावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सरकारी/ गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुक करने का प्रयास किया जायेगा तथा उनसे अपेक्षित सहयोग की अपील की जायेगी।

ठहराव सम्बन्धी

1– अध्यापकों की शिक्षण कार्य में अरुचि	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से नई नई तकनीकों द्वारा शिक्षकों को पढाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे न केवल अध्यापकों में बल्कि बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि का विकास हो सकेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को रुचिकर सहायक सामग्री बनाने हेतु अनुदान भी दिया जायेगा।
2– आदर्श शिक्षक व्यक्तित्व का निर्माण	वर्तमान समय में शिक्षक के व्यवहार एवं कर्तव्यों में मौजूद नकारात्मक गुणों को दूर कर आर्दश शिक्षक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।
3– विद्यालय स्तर पर गठित संघों को सक्रिय करना	सभी विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संघ, अभिवावक शिक्षक संघ आदि को सक्रिय कर शिक्षकों/अभिवावकों एवं छात्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा जिससे तीनों के विचारों में शिक्षा के प्रति पर्याप्त बदलाव लाया जा सके।

गुणवत्ता सम्बन्धी

1– मानक के अनुसार शिक्षकों का न हो	वर्तमान में जनपद में छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 70:1 का है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इसे 40:1 के अनुरूप लाने का प्रयास किया जायेगा इसके लिए अतिरिक्त शिक्षकों/ शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 5 शिक्षक प्रति विद्यालय करने का प्रयास किया जायेगा।
2– शिक्षकों द्वारा अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाना	शिक्षकों को इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समय के समुचित उपयोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन दिया जायेगा तथा विद्यालय दायित्व के प्रति जिम्मेदार ठहराया जायेगा तथा सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन भी आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।
3– भली भांति अनुश्रवण का न होना	अब तक मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुश्रवण प्रक्रिया हेतु व्यवस्था को और अधिक सक्रिय एवं सशक्त किया जायेगा।
4– सतत् मूल्यांकन का अभाव	गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों का नियमित अन्तराल के बाद मूल्यांकन किया जाय जिसे अभियान के माध्यम से सुनिश्चित कर कुछ पुरुष्कारों की भी व्यवस्था की जायेगी।

संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी

1– विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों को भौतिक

संसाधनों की कमी	संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनुदान धनराशियां दी जायेगीं। अतिरिक्त कक्षा कक्षों की व्यवस्था की जायेगी। शौचालय, हैण्डपम्प, चाहारदीवारी आदि की व्यवस्था की जायेगी।
2– सामुदायिक सहभागिता का अभाव	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित की गयी अनेक वातावरण सम्बन्धी गतिविधियों के बाद समुदाय के बीच आये हुए अल्प बदलाव को और अधिक बढाया जायेगा जिससे विद्यालय का प्रबन्धन भली प्रकार किया जा सके।

जनपद में उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त अन्य अल्प समस्यायें भी हैं जो एक दूसरे से जुडी हुयी हैं। वार्षिक योजनाओं के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

अध्याय -6

शिक्षा की पहुंच - ।

1- शिक्षा की पहुँच का विस्तार : नवीन विद्यालयों की स्थापना

भवन की व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा 1.5 किमी की परिधि/300 की आवादी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का मानक निर्धारित किया गया है। इसी को दृष्टिगत रखतें हुये सितम्वर 97 से जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की ओर से स्वीकृत परिव्यय सिविल वर्क्स की अधिकतम सीमा का उपयोग करते हुये 358 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके है। सर्व शिक्षा अभियान की तैयारी में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / माइक्रोप्लानिंग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में मानक को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2003-04 में 61 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 83 प्राथमिक विद्यालय खुलने के बाद असेवित बस्तियां समाप्त हो जायेगी। अतः नवीन विद्यालयों को प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है।

भौतिक लक्ष्य

प्राथमिक स्तर

वर्ष	2002-03	2003-04
विद्यालयों की संख्या	0	83

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 83 प्राथमिक विद्यालयों नें एक प्रधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जायेगी। प्रधानाध्यापक को रू0 10000/- तथा शिक्षा मित्र का मानदेय रू0 2250/- प्रतिमाह प्रस्तावित किया गया है।

प्रत्येक नवीन विद्यालय को रू0 10000/- आवश्यक फर्नीचर/साज-सज्जा/उपकरण क्रय करने हेतु भवन निर्माण होने के तत्काल बाद दिया जायेगा।

शिक्षकों की नियुक्ति का भौतिक लक्ष्य (नवीन विद्यालय)

प्राथमिक स्तर

वर्ष	2002-03	2003-04
प्रधानाध्यापक	0	83
शिक्षा मित्र	0	83

भौतिक लक्ष्य

उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	30	31	--	--	--

शिक्षकों की व्यवस्था

निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे। प्रधानाध्यापक का वेतन 12000/- तथा सहायक अध्यापक का वेतन रू0 10000/- प्रतिमाह होगा।

शिक्षकों की नियुक्ति का भौतिक लक्ष्य (नवीन विद्यालय)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सहायकों की संख्या	90	93	--	--	--

शिक्षण सामग्री उपकरण/उपस्कर

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को शिक्षण सामग्री / कास्ट उपकरण / उपस्करों से सुसज्जित करने हेतु रू0 50000/- का मानक निर्धारित है। इसका व्यय भवन निर्मित होने के पश्चात द्वितीय एवं तृतीय वर्ष किया जायेगा।

निर्माण कार्य की तकनीकी पर्यवेक्षण व्यवस्था

निर्माण कार्यो के तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये यद्यपि कई जनपदों में उक्त पर्यवेक्षण आर0ई0एस0/लघु सिंचाई के अवर अभियंताओं को मानदेय के आधार पर व्यवस्था की गई है। इन अभियंताओं द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता एवं कम अवधि में निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संविदा पर अभियंताओं की नियुक्ति समीचीन होगी।

अध्याय 7
शिक्षा की पहुँच-II
शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना

जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-द्वितीय का उद्देश्य 6-11 वयवर्ग के समस्त बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना रहा है, जिसको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सीमित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी है। राज्य सरकार के मानक (निकटतम प्राथमिक विद्यालय से 1.5 कि.मी. दूरी एवं 300 की आबादी) के अनुसार औपचारिक स्कूल खोले गये है। जनपद की कुल आबाद बस्तियों की संख्या 4741 के सापेक्ष कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 2294, मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय 561 एवं गैर मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय 178 अर्थात जनपद में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2950 है। परन्तु फिर भी लगभग 1700 आबाद बस्तियों में औपचारिक विद्यालय नहीं हैं। इन बस्तियों / मजरों में से जिनकी दूरी निकटतम प्राथमिक विद्यालय से 1 कि0मी0 या अधिक है, तथा 6-8 वर्ष वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 30 या अधिक है, में प्राथमिक स्तर के 257 ई0जी0एस0 केन्द्र / विद्या केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। नवाचार (ए0आई0ई0) के लक्ष्य समूह (9-14 वयवर्ग) हेतु आवश्यकतानुसार करने का प्रस्ताव किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर निम्न विषय के अनुसार विद्यालय न जाने वाले बच्चें अगणित किये गये है। इनमें से अधिकांश बच्चें स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकित कराये जा चुके है तथापित 19584 बच्चें अभी भी नामांकित होने शेष है जिनके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।

सारणी-7.1

स्कूल चलो अभियान की प्रगतिः 2003-04

जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाकर वर्ष 2003-04 में सर्वेक्षित बच्चों में अधिकांश को औपचारिक विद्यालय में नामांकित कराया गया है तथा शेष के लिए प्रयास किये जा रहे है तथा विभिन्न कारणों से शेष रहे बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।

आयु वर्ग	कुल बच्चे			विद्यालय में नामांकित			अवशेष		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	325755	258068	583823	321046	254035	575081	4709	4033	8742
11-14	116114	83803	199917	110469	78606	189075	5645	5197	10842
योग	**441869**	**341871**	**783740**	**431515**	**332641**	**764156**	**10354**	**9230**	**19584**

स्रोतः जनपदीय परिवार सर्वेक्षण

स्कूल न जाने वाले बालक/बालिका का विवरण

क्रम	विवरण	वर्ष 5-6		वर्ष 7-10		वर्ष 11-14		कुल योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य में लगे रहने के कारण	3783	2058	5960	4597	5360	3751	15103	10406	25509
2.	छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण	3616	3077	2414	3012	1899	2378	7929	8467	16396
3.	वि0 की पहुंच से दूर रहने के कारण	1291	801	649	539	548	582	2488	1922	4410
4.	बाल मजूदरी के कारण	37	4	410	22	1030	217	1477	243	1720
5.	अन्य कारण से	16794	14150	7683	5904	7998	5448	32475	25502	57977
	योग	**25521**	**20090**	**17116**	**14074**	**16835**	**12376**	**59472**	**46540**	**106012**

सारणी- 7.2

प्रस्तावित वैकल्पिक कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले बच्चें

प्रस्तावित कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	केन्द्र	बच्चें	केन्द्र	बच्चें	केन्द्र	बच्चें	केन्द्र	बच्चें
ईजीएस केन्द्र	257	7710	257	7710	257	7710	257	7710
ब्रिज कोर्स एनपीआरसी स्तर	191	9550	20	1000	5	1000	5	1000
एआईई केन्द्र	--	--	25	1250	100	5000	100	5000

प्राथमिक स्तर

क्र. सं.	वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	ई0जी0एस0/विद्या केन्द्रों की संख्या	257	257 प्रति वर्ष 06-07 तक	--	--
2	ए0आई0ई0/ज्ञान केन्द्र की संख्या	0	0	--	--
3	ब्रिज कोर्स एन0पी0 आर0सी0स्तर	11	4	4	4

उच्च प्राथमिक स्तर

क्र. सं.	वर्ष	2003-04	2004-05	2005- 06	2006-07
1	ई0जी0एस0/ज्ञान केन्द्रों की संख्या	0	25	100	100
2	ब्रिज कोर्स/शिविर की संख्या	191	20	5	5

उच्च प्राथमिक स्तर

क. सं.	वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	ई0जी0एस0/ज्ञान केन्द्रों की संख्या	0	25	100	100
2	ब्रिज कोर्स/शिविर की संख्या	191	20	5	5

प्राथमिक शिक्षा (कक्षा-1 व 2) हेतु ई0जी0एस0 केन्द्रों के प्रस्ताव

ई0जी0एस0 केन्द्रों हेतु प्रस्ताव

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत ऐसी सभी असेवित बस्तियों / ग्रामों / मजरों में ई0जी0एस0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है:-

1. जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।
2. 6-8 आयु वर्ग के बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण शिक्षा से वंचित हैं।

आचार्य चयन की शर्ते

1. आचार्य यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का उपयुक्त व्यक्ति होगा जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल व आयु न्यूनतम 18 वर्ष होगी।
2. चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा हाईस्कूल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बनी वरीयता सूची में पहले स्थान पर आये व्यक्ति के आधार पर होगा।
3. आचार्य का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव पर आचार्य को हटाया जा सकता है एवं इस हेतु ग्राम शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

मानदेय

आचार्य के मानदेय की धनराशि रू0 1000/- प्रति आचार्य प्रति माह की दर से देय होगा।

संचालन समय

विद्यालय केन्द्र का संचालन सुविधानुसार नियमित रूप से प्रातः 9 से 4 बजे के बीच कभी भी लगातार 4 घंटे होगा।

पर्यवेक्षण

केन्द्र क निकट के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों/उपप्रधान/प्रधान/बी0डी0सी0 सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहें व ग्राम शिक्षा

समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को प्रतिमाह प्रगति से अवगत कराते रहें साथ ही केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग व पर्यवेक्षण का कार्य स0बे0शि0अ0/प्र0उ0वि0नि0/ब्लाक समन्वयक या सहसमन्वयक/न्याय पंचायत केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत केन्द्र प्रभारी/ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा आचार्यो की पाक्षिक बैठक आयोजित की जायेगी तथा प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु विशेष योजनाबद्ध प्रयास किये जायेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर के ई0जी0एस0 केन्द्रों का प्रस्ताव

प्राथमिक विद्यालय लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित है वहीं लगभग 3 ग्राम पंचायतों में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का औसत है। अतएव प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अधिकांश बच्चे विशेषकर बालिकायें उच्च प्राथमिक विद्यालय दूर होने के कारण कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ जाते हैं। अतः ऐसे असेवित ग्रामों /बस्तियों /मजरों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के विद्या केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया जाता है :-

1. जिन असेवित बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं एवं निकटतम उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1.5 कि0मी0 या अधिक है।
2. 9से 14 आयु वर्ग के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हों
3. प्रत्येक केन्द्र पर न्यूनतम दो आचार्यो की नियुक्तियां की जायेगी।

आचार्य चयन के मानदण्ड

1. आचार्य की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये
2. जहां स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।
3. शेष सभी शर्तें प्राथमिक स्तर के आचार्य के चयन की शर्तों के अनुरूप ही रहेंगी।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम

शालात्यागी होने के कारण तथा अधिक आयु होने के कारण, झेंपू एवं दब्बूपन होने के कारण विशेषकर बालिकायें, कामकाजी एवं बाल श्रमिकों को जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गये हैं। ऐसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों, अल्पकालीन, ग्रीष्मकालीन शिविरों, दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिजकोर्स शिविरों का आयोजन, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव है।

प्रमुख रूप से झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहां पर 9-14 वय वर्ग के शालात्यागी एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे वहां पर वैकल्पिक शिक्षा एवं

नवाचार केन्द्र संचालित होंगे। विकलांग बच्चों के लिये यह आयु सीमा 18 वर्ष तक होगी। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किसी भी उपयुक्त कक्षा में (जिस स्तर के बच्चे हों) किया जा सकेगा। इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढाई पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रवेश दिलाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी जिससे ये बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर सकें।

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर

सड़क, प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू बच्चों, बाल श्रमिकों, नौकरी पेशा, कूड़ा बीनने वाले (पालीथीन, लोहा, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी कागज आदि)/ रिक्शा चालक बच्चे/खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक कारावास में हैं एवं सामान्यतः जिनका वय वर्ग 9–14 वर्ष है, किशोर कारावासों में सजा काट रहे बच्चे एवं प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे बच्चों के लिये ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर संचालित करने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार अधिक आयु के बच्चों को भी इन शिविरों में लाया जायेगा सामान्यतः इन बच्चों का वय वर्ग 9–14 होना चाहिये। ब्रिज कोर्स / शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार ,4 माह से 18 माह तक हो सकती है। प्रत्येक ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविर में अधिकाधिक बच्चों को शामिल करने का प्रयास किया जायेगा एवं यह शिविर पूर्ण रूप से आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के आवास, खान–पान एवं शिक्षण व्यवस्था निशुल्क की जायेगी। निर्धारित मानकों के अर्न्तगत ब्रिज कोर्स/शिविर हेतु 1 केयरटेकर, 2 पैराटीचर, 1 कुक व 1 चौकीदार की आवश्यकता होगी। वर्ष 2001–02 में 1 तथा वर्ष 2002–03 में 9 अर्थात कुल 10 ब्रिज कोर्स/ शिविर जनपद की न्याय पंचायतों / विकास खण्डों / नगर पालिका क्षेत्रों / टाउनएरिया में आवश्यकतानुसार संचालित किये जायेंगे।

वित्तीय मानक

ई0जी0एस0, विद्याकेन्द्रों का वित्तीय मानक

प्राथमिक स्तर के केन्द्रों हेतु रू0 845/– प्रति छात्र–छात्रा प्रतिवर्ष और उच्च प्राथमिक स्तर हेतु रू0 1200/– प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष तक अधिकतम धनराशि को इस योजनार्न्तगत व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखे जाने का प्रस्ताव है :-

क0 सं0	आईटम	प्राथमिक केन्द्र	उच्च प्राथमिक केन्द्र
1	अनुदेशक का मानदेय	1000/- रू0 प्रति माह प्रति अनुदेशक	2000/- रू0 दो अनुदेशकों हेतु प्रति अनुदेशक 1000/- रू0
2	अनुदेशक का प्रशिक्षण	रू0 1500/- प्रति वर्ष 30 दिन हेतु 50 रू0 प्रति दिन की दर से	रू0 4000 प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों हेतु रू0 50 प्रतिदिन 40 दिन हेतु
3	बच्चों हेतु शिक्षणसामग्री	रू0 100 प्रति छात्र-छात्रा	रू0 150 प्रति छात्र-छात्रा
4	केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री	रू0 1100 प्रति केन्द्र	रू0 1200 प्रति केन्द्र
5	केन्द्र कन्टेंजेंसी	रू0 448 प्रति केन्द्र	रू0 500 प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय विकास खण्ड स्तर पर व्यय सम्मिलित है। विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की लागत अधिकतम निम्नवत् है :-

1. 80-100 केन्द्रों के मध्य - 2.5 लाख रू0 प्रति वर्ष
2. 50-80 केन्द्रों के मध्य - 2 लाख रू0 प्रति वर्ष
3. 25-50 केन्द्रों के मध्य - 1.5 लाख रू0 प्रति वर्ष
4. 25 केन्द्रों से कम - रू0 100 प्रति छात्र-छात्रा प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्सो/शिविरों का वित्तीय मानक

ब्रिज कोर्सो का संचालन नगर क्षेत्रों/टाउन एरिया क्षेत्रों / विकास खण्डों/ न्याय पंचायतों के मुख्यालयों में खोला जायेगा, जिसमें बच्चों रहने तथा खाने-पीने एवं शिक्षण सामग्री हेतु निशुल्क व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत 3000 रू0 प्रति छात्र/छात्रा से अधिक नहीं होगी। आवासीय व्यवस्था हेतु भवन निशुल्क अथवा किराये पर प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स संचालन हेतु एक केयरटेकर दो अनुदेशक एक रसोइया एक चौकीदार की आवश्यकता होगी जिसके लिये जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि की संविदा के अर्न्तगत व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। केयरटेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र एवं छात्रा की निशुल्क शिक्षण सामग्री हेतु वित्तीय मानक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक केन्द्र की भांति ही रखे जायेंगे। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने-पीने की निशुल्क व्यवस्था एवं साजसज्जा आदि हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम शिक्षा समिति, जनसमुदाय से कुछ अंश अवश्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/नवाचार शिक्षा केन्द्रों तथा ब्रिज कोर्स /शिविरों के कार्यक्रम का नियोजन एवं सूक्ष्म नियोजन

ई0जी0एस0 केन्द्र / विद्याकेन्द्र/वैकल्पिक केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स शिविरों का निर्धारण सूक्ष्म नियोजन के आधार पर किया जायेगा। जनपद हरदोई डी0पी0ई0पी0-द्वितीय से आच्छादित है जहां सूक्ष्म नियोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सूक्ष्म नियोजन कार्य के अर्न्तगत 6-14 वय वर्ग के प्रत्येक क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक स्तर के आंकलन हेतु घर-घर का सर्वेक्षण कराया गया है।

ई0जी0एस0 केन्द्र/विद्याकेन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिज कोर्सो / शिविरों में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता

ई0जी0एस0 केन्द्रों / वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार केन्द्रों, ब्रिज कोर्सो / शिविरों को संचालित करने की योजना के अर्न्तगत अभिनव कार्यकमों की रणनीति के विकास हेतु जनपद में उपलब्ध स्वयंसेवी संगठनों से शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लेने का प्रस्ताव है। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रकिया एवं पारदर्शी प्रकिया स्थापित की जायेगी जिसके अर्न्तगत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। बेसिक शिक्षा के अधिकारियें एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयंसेवी संगठनों का अप्रेजल व चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयंसेवी संगठनों कार्यक्षेत्रों एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत गठित शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। उक्त समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद में चयनित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ई0जी0एस0 / वैकल्पिक शिक्षा / ब्रिज कोर्स / शिविर कोर्स योजना को, कियान्वित किया जायेगा।

छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन

आचार्य द्वारा ई0जी0एस0 केन्द्रों / विद्याकेन्द्रों / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इस हेतु आचार्य / अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का मासिक, तिमाही, छमाही व वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि ई0जी0एस0केन्द्रों / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा यथाशीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा के उपयुक्त कक्षा में जिस हेतु वह योग्य हो किसी भी समय प्रवेश पा जाये। आचार्य जी का यह दायित्व होगा कि इनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे अतिशीघ्र व अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पायें। इसी सन्दर्भ में आचार्य/अनुदेशक का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति व जिला समिति द्वारा किया जायेगा तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक द्वारा प्रविष्टियां भी की जायेंगी। केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

अनुश्रवण की व्यवस्था

शिक्षा की पहुंच की दृष्टिकोण से जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में डी0पी0ई0पी0-प के अर्न्तगत एक ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना की गयी है तथा प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की गयी है। विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर के संसाधन केन्द्रों का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण कार्य में सहयोग करना, शैक्षिक उन्नयन हेतु सहयोग देना, पठन-पाठन सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु सुझाव खोजना, समुदाय को प्रेरित करने हेतु सहयोग प्रदान करना, समुदाय एवं शिक्षकों को आवश्यकतानुसार/समयानुसार प्रशिक्षित करना, समुदाय को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, सूचनाओं एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण करना, बैठकों का आयोजन करना, कार्यवृत्त एवं विवरणों को संकलित एवं प्रेषित करना आदि हैं। उपरोक्त लक्ष्यों को त्वरित गति प्रदान करने हेतु विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर कम्प्यूटराइजड मैनजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम की स्थापना/संचालन की आवश्यकता है। उक्त सिस्टम से निम्नानुसार सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी।

1. आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण शीघ्रातिशीघ्र हो सकेगा।
2. त्वरित भौतिक सत्यापन करने में सुविधा होगी।
3. साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक बैठकों के ,कार्यवृत्त, विवरणों का संकलन एवं त्वरित प्रेषण हो सकेगा।
4. प्रगति आख्याओं का प्रसारण एवं प्रेषण त्वरित गति से हो सकेगा।

विभिन्न गतिविधियों की इकाई लागत

1. ई0जी0एस0 प्राथमिक स्तर में प्रति बच्चा प्रति वर्ष व्यय त्र 845 रू0
2. ई0जी0एस0 उच्च प्राथमिक स्तर में प्रति बच्चा प्रति वर्ष व्यय त्र 1200 रू0
3. ब्रिज कोर्स / शिविर में प्रति बच्चा अधिकतम व्यय त्र 1500 रू0

अध्याय -8
ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

सारणी 8.1

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रम	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डीपीईपी वित्त अन्य से स्वीकृत	मांग	कमी	ग्यारहवें वित्त/अन्य आयोग से स्वीकृत	मांग
1	नवीन विद्यालय	83	83	0	61	61	0
2	विद्यालय पुर्ननिर्माण	5	0	5	30	25	5
3	अतिरिक्त कक्षाकक्ष प्रति शिक्षक/ प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि	1384	429	955	--	--	--
4	पेयजल सुविधा	385	85	300	209	115	94
5	शौचालय	850	200	650	150	109	41

उपर्युक्त सारणी में ठहराव में वृद्धि से सम्बन्धित भौतिक आवश्यकताओं को दर्शाया गया है, जिसके समबन्ध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैं :-

1-विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत निर्माण कार्य की निर्धारित सीमा समाप्त होने के पश्चात 65 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निमाण की आवश्यकता पायी गयी है जिनमें 60 डी0पी0ई0पी0 द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। शेष 5 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निमाण सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत किया जायेगा।

सर्वेक्षण के फलस्वरूप 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय जीर्ण-शीर्ण की अवस्था में है जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत निर्मित किया जायेगा।

नामाकंन के पश्चात ठहराव सुनिश्चित कराना एक गम्भीर समस्या पाई गई है। यह देखा गया है कि कतिपय सामाजिक एवं आर्थिक कारणों तथा उचित विद्यालय परिवेश के अभाव में ठहराव में अपेक्षित वृद्धि नही हो पा रही है तथा ड्रापआउट होता रहता है। सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के अतिरिक्त आकर्षक विद्यालय की स्थापना, प्रशिक्षित एंव लगनशील अध्यापको की नियुक्ति, गुणवत्तापरक शिक्षा, विद्यालय को संसाधनो से सम्पन्न करना, छात्र शिक्षक सम्बन्ध एवं शिक्षक-अभिभावक सम्बन्ध सुदृढ़ करना आदि ऐसे उपाय हैं जिनसे ठहराव की समस्या का पर्याप्त सीमा तक निदान किया जा सकता है।

विद्यालयों को आकर्षक रूप प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि समस्त विद्यालयो में अनिवार्य सुविधायें यथा आकर्षक भवन पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्ष, पेयजल सविधा बालक बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय चहारदीवारी, खेलकूद की सामग्री एंव मैदान हो।

डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय,पीने के पानी की सुविधा के पश्चात भी जनपद के विद्यालयों में उक्त सभी सुविधाओं की पूर्ति सम्भंव नही हो पाई है। अतः ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान के

अर्न्तगत भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, चहारदीवारी का निर्माण तथा पेयजल सुविधा का प्रस्ताव निम्नवत दर्शित किया जा रहा है।

पुनर्निर्माण का भौतिक लक्ष्य

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
प्राथमिक विद्यालय	0	0	25	20
उ0प्रा0 विद्यालय	0	25	5	0

विकासखण्डवार प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची निम्नवत् हैः-

क्रमांक	विकासखण्ड	स्थापना वर्ष	प्रा0विद्यालय	उच्च प्रा0वि0
1	हरपालपुर	1958	1	--
		1961	-	1
2	साण्डी	1944	1	--
		1968	--	1
3	बिलग्राम	1970	1	--
		1971	--	1
4	माधोगंज	1968	1	--
		1970	--	1
5	भरखनी	1970	1	--
6	मल्लांवा	1970	1	--
		1968	--	1

3- अतिरिक्त कक्षा-कक्ष

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय कक्षा कक्ष के अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है। परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान नामांकन के अनुसार कक्षा कक्षों की आवश्यकता नहीं हैं।, प्रस्तावित कक्षा कक्षों का विवरण निम्न प्रकार है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भौतिक लक्ष्य

विद्यालय	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्राथमिक विद्यालय	--	100	39	318	318
उच्च प्राथमिक विद्यालय	18	82	--	--	--

4- शौचालय

जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1339 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय नही है।

शौचालय निर्माण का भौतिक लक्ष्य

विद्यालय	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्राथमिक विद्यालय	---	200	400	250	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	9	100	41	---	---

सन 2001 की जनगणना के आधार पर [illegible] विस्तृत आकडे प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने** पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर** पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं** उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

5– पेयजल

जनपद के पेयजल विहीन 403 प्राथमिक विद्यालय 209 उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2004–05 में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने का लक्ष्य है।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
प्राथमिक विद्यालय पेयजल	––	––	200	100
उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल	––	110	50	44

6– अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र : प्राथमिक स्तर

जनपद में शिक्षकों की अत्यन्त कमी है। सूक्ष्म नियोजन/स0वे0शि0अ0 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 1:40 अनुपात में जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालयों के मांग के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी। आवश्यकता सम्बन्धी विवरण निम्नांकित है :–

वर्ष	परिषदीय नामांकन	सृजित पद		कुल पद	40:1 के अनुसार आवश्यकता	अतिरिक्त आवश्यकता	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षा मित्र	प्रस्तावित शिक्षक	प्रस्तावित शिक्षा मित्र
		शिक्षक	शिक्षा मित्र							
03-04	468080	5962	2068	8030	11702	3672	1836		---	---
04-05	478845	7798	3904	11702	11971	269	135	1970	1000	1000
05-06	489858	7933	4038	11971	12246	275	137	138	200	200
06-07	501124	8070	4176	12246	12528	282	141	141	1049	1049

विद्यालय मरम्मत तथा रख रखाव

डीपीईपी के अन्तर्गत ठहराव में विद्यालय विकास अनुदान की प्रभावकारिता को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी सभी विद्यालयों को प्रतिवर्ष रु0 5000/– की दर से प्रस्तावित है। विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार हैं-

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय पेयजल	2211	2294	2294	2294
उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल	378	448	448	448

उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 10–10 विद्यालयों को चयनित कर कुल 50–50 प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त रु0 60000 व्यय किये जायेगें।

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
कम्प्यूटर	25	––	––	––

विद्यालय विकास अनुदान

विवरण	2-3			3-4			4-5			5-6			6-7		
	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग
प्राथमिक	0	0	0	2211	25	2236	2294	30	2324	2294	30	2324	2294	30	2324
उ०प्रा०	387	--	387	448	80	528	448	21	469	448	21	469	448	21	469

अध्यापक अनुदान

विवरण	2-3			3-4			4-5			5-6			6-7		
	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग
प्राथमिक	--	--	--	6148	90	6238	6404	90	6494	6460	90	6550	6510	90	6600
उ०प्रा०	1977	--	1977	2443	240	2683	2460	240	2700	2510	240	2750	2560	240	2800

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

विवरण	2-3			3-4			4-5			5-6			6-7		
	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग	परि०	सहा०	योग
प्राथमिक	--	--	--	394422	5770	400192	404000	6000	410000	413500	6500	420000	47320	6800	430000
उ०प्रा०	34933	--	34933	80820	52000	132820	45000	10000	55000	48000	12000	60000	52000	13000	65000

नवाचार कार्यक्रम

जनपद में नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन ठहराव में वृद्धि के लिए किया जायेगा। आयोजन आवश्यकतानुसार होगा। इन कार्यो हेतु रू0 50 लाख प्रति वर्ष व्यय किया जायेगा।

4- बालिका शिक्षा

(क) पृष्ठभूमि

जनसंख्या में महिलाओं की संख्या का योगदान लगभग आधा या उसके आस पास पाया गया है। परन्तु विकास की अवस्था देखने पर पता चलता है कि महिलाओं का सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं अन्य प्रकार का विकास पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम रहा है। पुरूष एवं महिलायें गाड़ी के दो पहियों के समान माने गये हैं। इन्हीं पर विकास की प्रक्रियाओं की गति आधारित है।

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 52.64ः है जिसमें पुरूषेां की साक्षरता 65.08ः तथा महिलाओं की साक्षरता 37.62ः है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पुरूषों की साक्षरता क्रमशः 57.47 प्रतिशत एवं 83.3 प्रतिशत है तथा महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 26.7ः एवं 78.02ः है। इन आकड़ों से पता चलता है कि नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता दर 65 प्रतिशत से अधिक है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रतिशत 57.47 जो अत्यन्त कम है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है ।

जनपद में महिलाओं की साक्षरता दर 37.62 प्रतिशत को राष्ट्रीय साक्षरता दर 65 प्रतिशत के सापेक्ष अत्यन्त कम देखते हुये सितम्बर 1997 से बालिकाओं की शिक्षा में सुधार, लिंग विभेदीकरण को कम करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरम्भ किया गया। जिसके तहत ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण मीना कैम्पेन, फिल्म का प्रर्दशन, मां-बेटी मेला, कला जत्था प्रर्दशन तथा अन्य बलिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे बालिकाओं के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है तथा 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में महिलाओं की साक्षरता 19.6 प्रतिशत से बढकर 37.7 प्रतिशत हो गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से महिलाओं की शैक्षिक स्थिति सुदृढ करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुॅच एवं धारण में आने वाली कठिनाइयों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इसके लिये विशेष गतिविधियों का समयबद्ध आयोजन एवं उनका अनुश्रवण किया जायेगा। महिलाओं की साक्षरता एवं सकल नामांकन सम्बन्धी आंकड़े अध्याय 2 में दिये गये हैं :-

(ख) समस्यायें एवं विश्लेषण

जनपद में महिलाओं की साक्षरता में कमी के लिये कई समस्यायें जिम्मेदार है जिनके कारण महिलाओं का अपेक्षिक शैक्षिक विकास नहीं हो सका है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः-

समस्यायें एवं उनका विश्लेषण

आर्थिक पिछड़ापन एवं गरीबी

जनपद की अधिकांश जनसंख्या गांव मे निवास करती है जिसके पास अपनी जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन (खेती-बाड़ी) आदि नही है। जिससे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना पडता है। अनु0जाति एंव अल्पसख्यंक में यह समस्या अति विशाल है।

शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी

प्रायः यह देखा गया है कि लोग शिक्षा के प्रति अपेक्षित रूप से जागरूक नहीं है और न ही वे इस दिशा में कुछ जानने समझने की कोशिश करते पाये जाते है। जिससे समुचित रूप से बालिकाओं एंव बालको का नामाकंन नहीं हो पा रहा है और शैक्षिक विकास अवरोधित हो रहा है।

सुदूर ग्रामों /मजरों में शिक्षा की पहुँच का न होना

प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एंव जिला प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा की पहुँच का कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात भी जनपद में ऐसे सैकड़ो गांव / मजरे है जहाँ पर अनुसूचित जाति, पिछडी जाति एंव अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते है तथा शिक्षा की पहुँच का विस्तार नहीं किया जा सका है जबकि सैकडो गांवों में शिक्षा की पहुँच की व्यवस्था प्रौढशिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक केन्द्र,विद्या केन्द्र आदि खोलकर करने का प्रयास किया गया है।

शिक्षकों द्वारा अपवंचित वर्गो के प्रति रूचि न लेना

जनपद में 50: से अधिक अपवंचित वर्ग हे जिसके प्रति शिक्षकों में अपेक्षित रूचि में कमी पाई गई है। जिससे इन वर्गो के समस्त बच्चो का नामांकन नही कराया जा सका है।

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता

भारतीय समाज सदैव से पुरूष प्रधान रहा है जिससे महिलाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण उनकी स्थिति सदव से पिछड़ी रही है। पुरूषों द्वारा महिलाओं को विकास कार्यो एवं अन्य गतिविधियों में समुचित भागीदारी न दिये जाने से महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पिछड़ी रही है। यही स्थिति पुरूषों द्वारा महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपनाई गई है। जिससे महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पिछडी रही है।

बालिकाओं का घरेलू कार्य में लगे रहना

अपवंचित वर्गो के अभिभावको एंव परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा खेती/मजदूरी के कार्य में लगे रहने के कारण एवं घरेलू कार्य एवं बच्चों की देखरेख करने के कारण घरों में ही रहना पड़ता हैं जिससे वे स्कूल में नामांकित नहीं हो पाती हैं।

बाढग्रस्त क्षेत्र

जनपद के कई विकास खण्डों जैसे हरपालपुर, साण्डी, भरखनी, बावन, शाहाबाद, बिलग्राम के कई हिस्सों में वर्षाकाल में बाढ आ जाने के कारण परिवार विस्थापित एंव अस्त व्यस्त हो जाते है जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप नामांकन प्रभावित होता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पर्याप्त संख्या मे न होना

अनेक प्रयासों से जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। 3 कि0मी0 की दूरी / 800 की आबादी का मानक बालिकाओं की शिक्षा के लिये अधिक है। कक्षा 5 उत्तीर्ण करके सामाजिक प्रतिरोधियें के कारण बालिकायें इतनी दूरी पर पढ़ने नहीं जाती हैं। उनके माता पिता सुरक्षा के ध्यान में रखकर घर के कामकाज में लगा लेते हैं।

इसके अतिरिक्त अनेक बच्चे घरेलू जानवरों आदि को चराने के लिए दिनभर घरों से बाहर रहते हैं जिससे माता पिता उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी अनेक समस्याए हें जिनसे शिक्षा का कार्य बाधित हो रहा है।

(ग) रणनीति

समस्या	रणनीति
आर्थिक पिछड़ापन एंव	ऐसे परिवारों के अभिभावकों को रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों गरीबी एवं शिक्षा के प्रति ग्राम शिक्षा समिति, माता शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ एंव गैर सरकारी सगंठनो के माध्यम से जागरूक कर उनके बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
शिक्षा के प्रति जागरूकता	समाज के ऐसे विभिन्न वर्गो जिनमें शिक्षा के प्रति में कमी जागरूकता में कमी है उनके बीच कला जत्था एंव मीना कम्पैन फिल्म का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन तथा अन्य शैक्षिक गोष्ठियों का आयोजन कर शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा। इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों की भी मदद ली जायेगी।

सुदूर ग्रामों में शिक्षा की	अनेक कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात सैकडों बस्तियां पहुंच का न होना ऐसी है जहाँ पर किसी भी प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था नहीं हो सकी हैं। यहाँ पर शिक्षा गारण्टी योजना के अर्न्तगत विद्या केन्द्रो एंव निर्धारित दिवसों ब्रिज कोर्स कैम्पों का आयोजन करके शिक्षा की पहुँच का विस्तार किया जायेगा।
शिक्षकों द्वारा रुचि न	शिक्षको को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मानव मूल्यो लेजा के प्रति जागरूक कर अपवंचित वर्गो की शिक्षा के प्रति अतिरिक्त प्रयास करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
महिलाओं की शिक्षा के	पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की दयनीय शैक्षिक स्थिति प्रति उदासीनता को सुधारने हेतु लिंग संवेदीकरण का प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समिति, माता शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक सघं एंव विद्यालय शिक्षकों के लिये समय-समय पर आयेाजित कर महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक एवं लिंग विभेदीकरण रोकने के प्रयास किये जायेंगे।
महिलाओं का घरेलू कार्य	अभिभावकों को जागरूक करने के साथ-साथ विद्यालयो में में लगे रहना शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिससे शिशुओ की देख भाल में लगी बर्लिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराया जायेगा। इस कार्य में गैर सरकारी सगंठनों का सहयोग लिया जायेगा।
प्राकतिक आपदायें	जनपद के बाढग्रस्त क्षेत्रों के विस्थापित परिवारों के बच्चों हेतु अस्थाई शिक्षण शिविरों का आयोजन कर उन्हे शिक्षित करने का प्रयास किया जायेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों	कक्षा 5 उत्तीर्ण करके जो बालिकायें सामाजिक प्रतिरोधियों का पर्याप्त संख्या में नके कारण कक्षा 6 में अपना नामांकन नहीं कराती हैं तथा होना माता-पिता के द्वारा घर के कार्यो में लगा लिया जाता है, उनके लिये उनकी पहुंच के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

बालिका शिक्षा के कार्यक्रम
जेण्डर सवेंदीकरण प्रशिक्षण

लिंग विभेदीकरण को कम करने के लिये जनपद के सभी शिक्षकों,माता शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक- सघं, ग्राम शिक्षा समिति, महिला प्रेरक दल, बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को जेण्डर सवेदीकरण प्रशिक्षण

दिया जायेगा। इससे न केवल महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त होगा बल्कि बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने में मदद मिलेगी।

किशोरी संघो का गठन

ग्राम में कुछ ऐसी बालिकायें होती है जो बड़ी होने के कारण विद्यालय नहीं जाती है परन्तु उनमे से अधिकांश बालिकायें विद्यालय पढ़ने के लिये जाती हैं। इन दोनों प्रकार की बालिकाओं को मिलाकर किशोरी संघों की स्थापना की जायेगी तथा उनको विद्यालय जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा जिससे कोई भी बालिका विद्यालय जाने से वंचित न रह जाये।

बाल-मेलों का आयोजन

लिंग विभेदीकरण को कम करने के लिये ऐसी गतिविधियों से युक्त बाल मेलों का आयोजन किया जायेगा जिनमे बालक एंव बालिकायें दोनो प्रतिभाग कर सके तथा बालक बालिका का अन्तर समाज एंव विद्यालय से हट सके। उक्त मेला जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेगें।

माडल क्लस्टर डेवलेपमेंट अप्रोच

जनपद हरदोई में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत माडल क्लस्टर डेवेलपमेंट अप्रोच की अवधारणा का विकास राज्य परियोजना कार्यालय में जिला समन्वयक(बालिका शिक्षा) की बैठक में निकलकर आया था जिसमे तय किया गया था कि जिन न्याय पंचायतो में महिला साक्षरता दर कम है तथा जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है उन्हे माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जाये। इसी को आधार मानते हुये वर्ष 1998-99 से तीन चरणों में कमशः 2,15,8 तथा कुल 25 मॉडल क्लस्टर चयनित किये गये है। उनमें सघन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मीना कम्पैन फिल्म का प्रदर्शन, मॉ बेटी मेला, कला जत्था का प्रदर्शन, ग्राम शिक्षा समिति मेला,ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण, जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण तथा ठहराव

परिक्रमा सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों से न केवल जागरूकता उत्पन्न हुई है बल्कि लोगों का बच्चो की शिक्षा के प्रति रुझान बढा है। लोग विद्यालय एवं उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने लगे हैं तथा उनमें सहयोग करने का प्रयास करते हैं।

इन न्याय पंचायतो में बच्चो का शत प्रतिशत के अत्यंत निकट नामांकन भी कराया जा चुका है तथा ठहराव में भी वृद्धि हुई हैं। इनकी सूची निम्नांकित हैः–

मार्डल क्लस्टर सूची

कम स0	न्याय पचांयत का नाम	विकास खण्ड का नाम	चरण	चयन वर्ष
1	बेगम गंज	सण्डीला	प्रथम चरण	1998-99
2	बहर	टडियांवा	,, ,,	1998-99
3	गाजू	कछौना	द्वितीय चरण	1999-2000
4	पतसेनी	,,	,, ,,	1999-2000
5	मोहम्मदपुर	सण्डीला	,, ,,	1999-2000
6	सोम	,,	,, ,,	1999-2000
7	करीम नगर	पिहानी	,, ,,	1999-2000
8	कछेलिया	शाहाबाद	,, ,,	1999-2000
9	रारा	बावन	,, ,,	1999-2000
10	चठिया धनवार	टोडरपुर	,, ,,	1999-2000
11	ककरा	हरपालपुर	,, ,,	1999-2000
12	चौसार	साण्डी	,, ,,	1999-2000
13	दुर्गागंज	बिलग्राम	,, ,,	1999-2000
14	जलालपुर	,,	,, ,,	1999-2000
15	शाहपुर वसुदेव	माधौगंज	,, ,,	1999-2000
16	बासां	मल्लावां	,, ,,	1999-2000
17	कसरांवा	सुरसा	तृतीय चरण	2000-2001
18	चन्देली	पिहानी	,, ,,	2000-2001
19	बूढागांव	हरियांवा	,, ,,	2000-2001
20	जरैली	,,	,, ,,	2000-2001
21	शिरोमणि नगर	टोडरपुर	,, ,,	2000-2001
22	वासित नगर	शाहाबाद	,, ,,	2000-2001
23	सहजनपुर	भरखनी	,, ,,	2000-2001
24	करीम नगर	अहिरोरी	,, ,,	2000-2001
25	बेनीगंज	कोंथावा	,, ,,	2000-2001

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी माडल क्लस्टर का चयन प्रति विकास खण्ड किया जायेगा। इनकी संख्या 4 प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड होगी तथा गतिविधियों का आयोजन बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों में सम्मिलित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एम.सी.डी.ए. वर्षवार निम्नवत् खोले जायेगें:-

वर्षवार	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
एम.सी.डी.ए.	-	5	5	5

ग्रीष्म कालीन शिविर

लक्ष्य समूह

9-14 आयु वर्ग की बालिकायें तथा अनुसूचित जाति के बालक जो कक्षा 2,3या 4 के बाद विद्यालय छोड चुके है तथा किसी अन्य शिक्षण संस्थान मे शिक्षा नही प्राप्त कर रहे होते है।

उददेश्य

1. 9-14 आयु वर्ग की सभी वर्गो की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालको को मुख्य धारा से जोडना।
2. माता पिता तथा समुदाय को इन बालिकाओं एंव बच्चो को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना।

पूर्व तैयारी .

1. ई0एम0आइ0सी0आकंडो के आधार पर ऐसे अधिकतम शाला त्याग वाले विद्यालयो का चयन करना होता है।
2. पिछले पांच वर्षो के अभिलेखो के आधार पर ऐसे बच्चो की सूची तैयार की जाती है।
3. ऐसे बच्चो के अभिभावको से सम्पर्क कर विद्यालय छोडने अथवा न जाने की जानकारी प्राप्त की जाती है।
4. इन बच्चो के अभिभावको की बैठक पर चर्चा करना तथा कैम्प सम्बन्धी जानकारी देना।
5. शिविर सचांलन हेतु दो शिक्षको का चयन जिसमे एक आवश्यक रूप से महिला होती है।
6. शिविर मे न्यूनतम 30 एवं अधिकतम 40बच्चे प्रतिभाग करेंगे।
7. शिविर का आयोजन मॉडयूल के आधार पर किया जायेगा।
8. शिविर का आयोजन ब्लाक एंव न्याय पंचायत के समन्वयकों के सहयोग से किया जायेगा।
9. शिविर आयोजक शिक्षको को मानदेय रू0600/. प्रति शिक्षक के अनुसार समस्त बच्चो के विद्यालय में नामांकन कराने पर ही देय होगा।
10. शिविर सचांलक शिक्षको का प्रशिक्षण जनपद स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

जनपद हरदोई में इस प्रकार के कैम्प वर्ष 2000 में 105 तथा वर्ष 2001 में 100 आयोजित किये गये तथा प्रतिभागी बच्चो को मुख्य धारा से जोड़ा गया।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार के कैम्पो का विशेष महत्व होगा। अतः इनका आयोजन आवश्यकतानुसार प्रति विकास खण्ड 5 शिविर के अनुसार कराया जायेगा। बच्चों के जलपान, सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण देय सहित कुल 4640 रू0 प्रति कैम्प होगा –

प्रस्तावित ग्रीष्म कालीन शिविर

2004–05	2005–06	2006–07
95	95	95

प्रति शिविर व्यय

कुल प्रतिभागी	=	40 बच्चे, 10 दिन, 6 रू0 प्रति बच्चा
बच्चों का जलपान व्यय	=	40 ×10 ×6 ×2400
शिक्षक प्रशिक्षण व्यय	=	2 ×120 ×240
शिक्षक मानदेय	=	600 ×2 ×1200
सहायक सामग्री एवं आकस्मिक व्यय	=	760
शिक्षण सामग्री	=	400
योग	=	5000

ग्रीष्मकालीन शिविर व्यय विवरण

प्रति वर्ष व्यय 14 ×8 ×4640 = 705280
(रुपये सात लाख पांच हजार दो सौ अस्सी)

ठहराव परिक्रमा एवं तारांकन

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु माह के अन्त में ठहराव परिक्रमा का आयोजन किया जायेगा। इसमें 15 दिन एंव उससे अधिक दिन तक उपस्थित रहने वाले बच्चों को हरा निशान, 8–14 दिन तक उपस्थित रहने वालों को पीला निशान तथा 7 एवं इससे कम दिन उपस्थित रहने वालो को लाल निशान दिया जाता हैं। इसके बाद बच्चे पक्तिबद्ध होकर ग्राम में भ्रमण करते है तथा साथ में नारे लगाते है। सम्बन्धित बच्चे के घर के दरवाजे पर उसका निशान अकिंत कर अभिभावकों को उसकी जानकारी दी जाती है। यह परिक्रमायें वर्तमान में सभी मॉडल क्लस्टर में आयोजित की जा रही हैं। भ्रमण के दौरान निम्नांकित नारे बच्चों द्वारा बोले जाते हैं :–

1– रोज स्कूल जाना है,
हरा निशान पाना है।

2– मां–बाप ने दिया ध्यान,
हमने पाया हरा निशान।

3– लाल निशान पाते हैं,
कक्षा में शर्माते हैं।

4– रोज स्कूल जाना है,
अपना ज्ञान बढाना है।

इसकी तैयारी हेतु प्रति विद्यालय रू0 500/– एकान्तर वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

सत्र के मध्य एंव सत्रान्त अभिभावक सम्मेलन .

बच्चो के नामाकंन, उपस्थिति एंव शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में अभिभवको का सम्मेलन वर्ष के आरम्भ में तथा सत्र के अन्त में आयोजित कर अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। अगले सत्र के लिये भी आवश्यक प्रयास करने के लिये भी कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी .

मॉडल क्लस्टर के विद्यालयो तथा अन्य विद्यालयो में कोहार्ट स्टडी की जायेगी तथा शाला त्याग की स्थिति जानने का प्रयास किया जायेगा तत्पश्चात आवश्यकतानुसार कार्यकम तैयार किया जायेगा।

कार्यानुभव / जीवन कौशल का विकास

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत जनपदों में संचालित कार्यानुभव योजना के अध्ययन में पाया गया है, कि जिन विधालयों में यह योजना चलायी गयी है, उन विधालयों में ठहराव शतप्रतिशत रहा तथा शिक्षा के प्रति बालिकाओं के रूझान में वृद्धि हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम के अर्न्तगत जीवन कौशलों के विकास हेतु इस प्रकार की योजना बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि के साथ–साथ उनमें शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न कर सकेगी तथा भविष्य में उनके कैरियर निर्माण में सहायक होगी। विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा देने के फलस्वरूप अभिभावक / माता–पिता भी अपनी बालिकाओं को शिक्षित करने के प्रति जागरूक होंगे।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में प्रचलित कतिपय व्यवसाय यथा सिलाई–कढ़ाई, चिकन एवं दरदोजी आदि के लिये विद्यालयों में क्षेत्र की आवश्यकतानुसार व्यावसायिक प्रथम 2 वर्षो में पायलट परियोजना के रूप में आरम्भ की जायेगी। योजना के सफल होने पर यह कार्यक्रम सम्पूर्ण अभियान की अवधि तक चलाया जायेगा।

प्रथम चरण में जनपद के 4 विकास खण्डों– बेंहदर, सण्डीला, सुरसा तथा बावन के 4–4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना चलायी जायेगी। सण्डीला, बेंहदर, सुरसा तथा बावन में चिकन तथा दरदोजी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। सिलाई–कढ़ाई हेतु 4 विकास खण्ड शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर एवं अहिरोरी प्रस्तावित किये जा रहे हैं। इनमें भी निम्न साक्षरता दर वाले क्षेत्रों के 4–4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

दरदोजी के कार्य हेतु बजट विवरण

क. सं.	सामग्री / उपकरण	मात्रा / संख्या	व्यय (रूपया)
1	अड्डा	2	2500
2	दरदोजी सूईयां	100	1000
3	जरी	--	1000
4	धागा	--	1000
5	कपड़ा	--	4000
6	प्रशिक्षक मानदेय	--	16000
7	आकस्मिक व्यय	--	1000/-
		योग	25000/- (प्रति विद्यालय/ प्रतिवर्ष)

प्रति वर्ष व्यय = 25000 x 2

= 50000(रू0 पचास हजार)

चिकन के कार्य हेतु बजट विवरण

क. सं.	सामग्री / उपकरण	मात्रा / संख्या	व्यय (रूपया)
1	गोल फ्रेम	30	900/-
2	कढ़ाई सूईयां	500	100/-
3	छपाई ठपपे	50	1000/-
4	कढ़ाई कपड़ा	300 मीटर	5000/-
5	श्रंग	--	500/-
6	धागा	--	1000/-
7	प्रशिक्षक मानदेय	--	16000/-
8	आकस्मिक व्यय	--	500/-
		योग	25000/- (प्रति विद्यालय/ प्रतिवर्ष)

प्रति वर्ष व्यय = 25000 x 2

= 50000(रू0 पचास हजार)

उक्त कार्यक्रम में निर्मित वस्तुओं को विकास खण्डवार समय-समय पर आयोजित प्रदर्शनियों कार्यक्रमों में स्टाल लगवाकर प्रदर्शितकर बिक्री भी की जायेगी एवं इसमें हुई आय को सम्बन्धित बालिकाओं में वितरित कर दी जायेगी। इस कार्यक्रम का अनुश्रवण विशेष रूप से किया जायेगा तथा सफलता प्राप्त होने पर इसी प्रकार की अन्य उपयेागी कार्यक्रम यथा चाक बनाना, मोमबत्ती बनाना खिलौने बनाना आदि कार्यक्रमआदि लागू किये जायेंगे।

मीना मंच

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जूनियर हाईस्कूलो में मीना मंचों का गठनं किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन सम्बन्धित उच्च प्राथमि विद्यालयों में किया जायेगा। प्रतिवर्ष 10 मीना मंचों का गठन प्रस्तावित है।

निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत **वर्ष** 1998-1999 से कक्षा 1 से 5 तक अनु0जाति / अनु0जनजाति एवं सभी वर्गों की बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की योजना संचालित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2002-03 से समस्त उच्च प्राथमिक विधालयों में अनु0 जाति के बालक एवं सभी वर्गो की बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का कार्यक्रम डी0पी0ई0पी0 से आच्छादित किया जायेगा। डी0पी0ई0पी0 योजना समाप्त होने के बाद समस्त कक्षा 1 से 8 तक के अनु0जाति के बालक एवं सभी वर्गो की बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक का कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित किया जायेगा।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का भौतिक लक्ष्य

वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2001-02	--	--
2002-03	--	34933
2003-04	400192	132820
2004-05	410000	55000
2005-06	420000	60000
2006-07	430000	65000

स्रोत : डी0पी0ई0पी0

समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 5-10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिये समेकित शिक्षा

अवधारणा और प्रक्रिया

एकीकत शिक्षा का आशय विकलांग या अक्षमताग्रस्त बच्चो को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें उनकी सीखने की प्रक्रिया में कम से कम बाधायें रह जायें, वे कक्षा के शेष बच्चों की भांति सीख समझकर आगे बढ़े और उनका समुचित विकास हो।

सामान्यतः सभी बच्चों के लिये और, विशेषतः अध्यापकों के लिये हृदयंगम करने की बात यह है कि विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है और देश तथा समाज के विकास कार्यों में वे भी अन्य लोंगो की भाति महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष के रूप में समेकित शिक्षा का आशय इस प्रकार है .

1. समाज द्वारा अन्य सामान्य बच्चो की भातिं इन अक्षमताग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हे शिक्षा तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।

2. सामान्य बच्चों तथा अक्षमताग्रस्त बच्चो के बीच स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित करना जिससे इन बच्चो के प्रति भेदभाव मूलतः दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके।
3. जीवन तथा रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के इन बच्चो के नागरिक अधिकारो के उपभोग हेतु आवश्यक सामर्थ्य का विकास सुनिश्चित करना।
4. उन्हे स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता इन अक्षमताग्रस्त बच्चो के लिये है :-

1. श्रवण से सम्बन्धित अक्षमताग्रस्त बच्चो के लिये।
2. द्रष्टि से अक्षमताग्रस्त बच्चो के लिये।
3. अस्थि से अक्षमताग्रस्त बच्चो के लिये।
4. मानसिक अक्षमता वाले बच्चो के लिये।
5. अधिगम की दृष्टि से अक्षम बचचो के लिये।

अक्षमता के फलस्वरुप

क.सं.	बच्चों में	परिवार में	समाज में
1	आत्म निर्भरता में कमी	अधिक ध्यान देने की आवश्यकता	उत्पादन में कमी
2	समाज में उपेक्षित	आर्थिक बोझ अधिक होना	ध्यान देने की आवश्यकता
3	चलने में कठिनाई		एकीकरण में कमी

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता उन बच्चों के लिये होती है, जिनका रोग असाध्याय एवं गम्भीर रूप धारण कर चुका हैं जबकि कम या मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल अध्यापकों को कुछ मनोवृत्ति में बदलाव लाकर विशेष रूप से तैयार की गयी

अधिगम सामग्री द्वारा विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जिससे इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।

जनपद हरदोई में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य (2000-2001)

1.जनपद हरदोई में समेकित शिक्षा के लिये दो ब्लाक चयनित किये गये हैं -सुरसा तथा बावन है। दोनों ब्लाक में विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कार्य हो चुका है।
2. दोनों के मास्टर ट्रेनर ने 10 दिवसीय प्रशिक्षण रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है।
3.एक अध्यापक मानसिक मंदिता के क्षेत्र में एक माह का ब्रिज कोर्स किया है।
4.सहायक समन्वयक न्याय पंचायत प्रभारी ने 45 दिनों का फाउण्डेशन कोर्स पांचो प्रकार की विकलांगताओं के लिये किया है।
5.दो विकास खण्ड सुरसा और बावन में मास्टर ट्रेनर द्वारा समस्त प्राथमिक अध्यापकों (701) को समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
6. प्रशिक्षण के दौरान समस्त अध्यापकों को साहित्य का वितरण जिसमें एक शिक्षक हस्तपुस्तिका और 6 फोल्डर्स वितरित किये गये।
7.नेशनल एसोसियेशन फार द ब्लायंड संस्था द्वारा दो ब्लाक का चयन सण्डीला और कछौना किया गया. जिसमें संस्था द्वारा सण्डीला और कछौना ब्लाक में विकलांग बच्चों का चिन्हांकन का कार्य तथा प्राइमरी अध्यापकों (326) को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया। संस्था की तरफ से सण्डीला एवं कछौना में 172 विकलांग बच्चों (अस्थि विकलांग,62श्रवण विकलांग) को उपकरण और उपस्कर दिलाये गये हैं तथा इसके साथ ही साथ एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित ब्लाक सण्डीला और कछौना में कार्यरत अध्यापक (325) के लिये समेकित शिक्षा का साहित्य का मुद्रण का आदेश निर्गत हो चुका है।

सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण, कारण एवं बचाव-

अक्षमता से ग्रस्त बच्चों का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास सामान्य बच्चों से धीमा होने के कारण इस वर्ग के कुछ बच्चों का शैक्षणिक विकास भी धीमा होता है।

अक्षमता आनुवांशिकता के कारण, गुण सूत्रों की संख्या एवं बनावट के कारण, माता एवं पिता के नजदीकी रिश्तेदारी के कारण, आर एच फैक्टर के कारण, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय एवं जन्म के बाद कुछ कमियों के कारण होती है। इसके अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। हर प्रकार की अक्षमता के लिये जन्म के बाद के कारण अलग-अलग हो सकते हैं।

अक्षमता से बचाव की इसका इलाज है -

1. मां को 18 वर्ष से पहले एवं 35 वर्ष के बाद गर्भधारण से बचना चाहिये।
2. नजदीकी रिश्तेदारी में शादी से बचना चाहिये।

3. अगर परिवार में अक्षमता का इतिहास है तो आनुवांशिकत परीक्षण कराना चाहिये।

4. गर्भावस्था के शुरूआत से ही परीक्षण अवश्य कराना चाहिये एवं आरम्भ के तीन महीने अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं।

5. किसी प्रकार की दवा के सेवन से गर्भावस्था के दौरान बचना चाहिये।

6. किसी भी प्रकार के गर्भपात से, एक्सरे कराने से (गर्भधारण के प्रथम तीन माह में) भारी वजन उठाने से बचना चाहिये।

7., प्रसव प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में कराना चाहिये।

8. बच्चे को सभी प्रकार के टीके समय से लगवाने चाहिये।

समय-समय पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अक्षम बच्चों का सर्वेक्षण कराया गया। जिसमें सबसे अधिक शारीरिक विकलांग बच्चे पाये गये। जनपद हरदोई के अक्षम बच्चों का प्रतिशत औसत से अधिक है। माह जून, 2001 के अनुसार स्थिति निम्निवत् है :-

क्रं	विकास खण्ड का नाम	विद्या. की सं0	दृष्टि अक्षम			श्रवण एवं वाणी			शारीरिक अक्षम			मानसिक मंदता			अधिगम अक्षमता			योग		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बावन	79	54	47	101	54	57	114	165	95	260	94	65	159	2		2	369	264	633
2	सुरसा	114	06	04	10	11	06	17	142	91	233	16	07	23	09	05	14	184	113	297
3	सण्डीला	101	15	10	25	34	20	54	196	120	316	22	10	32	18	08	26	285	168	453
4	शाहाबाद	118	17	09	26	09	14	23	164	61	225	25	19	44				215	103	358
5	भरखनी	50	05		05	13	04	17	54	35	89	16	05	21	05	04	09	93	48	141
6	सण्डी	96	06	02	08	10	06	16	113	46	159	06	01	07	01		01	136	55	191
7	अहिरोरी	113	17	08	25	38	15	53	103	38	141	04	04	08	03	01	04	165	66	231
8	मल्लावां	64	07	02	09	09	08	17	83	43	126	06	06	12		01	01	105	60	165
9	हरियावां	90	14	10	24	18	09	27	114	72	186	11	05	16	01		01	158	96	254
10	पिहानी	80	05	05	10	04	03	07	64	60	124							73	68	141
11	माधौगंज	99	03	05	08	04	02	06	39	32	71	06	05	11				52	44	96
12	हरपालपुर	90	10	01	11	10	04	14	100	46	146	09	06	15				129	57	186
13	बेंहदर	92	17	13	30	16	14	30	59	16	75	07	07	14				99	50	149
14	टड़ियावां	95	07	05	12	15	05	20	90	45	135	2		02				114	55	165
15	टोडरपुर	82	08	04	12	12	07	19	74	58	132		02	02				94	71	379
16	कछौना	76	14	07	21	40	27	67	151	84	235	22	11	33	17	06	23	244	135	177
17	भरावन	97	06	05	11	11	10	21	104	32	136	4	05	09				125	52	78
18	बिलग्राम	80	03	04	07	09	05	14	32	10	42	10	02	12	03		03	57	21	182
19	कोथावां	85	11	07	18	12	10	22	69	36	105	28	05	33	04		04	124	58	4405
		1701	225	148	373	329	226	555	1916	1020	2936	288	165	153	63	25	88	2821	1584	4405

अक्षम नामांकित बच्चों का विवरण (कक्षावार) 2001-2002

क्र0स0	विकास खण्ड	विद्यालों की सं.	कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा3		कक्षा4		कक्षा 5		कुल योग		
			बा	बालि	बा	बालि	बा	बालि	बा	बालि	बा	बालि	बा	बलि	योग
1	बावन	79	79	50	82	63	78	56	72	49	58	46	369	264	633
2	सुरसा	114	35	21	36	24	41	25	31	22	41	21	184	113	297
3	सण्डीला	101	180	118	42	21	29	10	20	12	14	7	285	168	453
4	शहाबाद	118	39	12	33	17	34	20	49	23	60	31	215	103	318
5	भरखनी	50	24	20	20	11	16	7	13	6	20	4	93	48	141
6	साण्डी	96	26	12	31	14	25	16	36	8	18	5	136	55	191
7	अहिरोरी	113	37	12	29	10	42	21	34	11	23	12	165	66	231
8	मल्लावां	64	13	10	18	12	23	9	20	11	31	18	105	60	165
9	हरियांवां	90	17	11	27	24	21	20	26	7	67	34	158	96	254
10	पिहानी	80	9	19	18	19	27	15	9	9	10	6	73	68	141
11	माधोगंज	99	6	9	8	5	12	15	6	8	20	7	52	44	96
12	हरपालपुर	90	24	10	25	16	34	19	17	8	29	4	129	57	186
13	बेहन्दर	92	17	9	22	17	17	7	23	10	20	7	99	50	149
14	टडियांवा	95	18	10	31	11	24	12	18	13	23	9	114	55	169
15	टोडरपुर	82	13	10	26	15	24	20	16	16	15	10	94	71	165
16	कछौना	76	156	87	31	15	25	13	19	11	13	9	244	135	379
17	भरावन	97	24	4	32	12	22	18	26	12	21	6	125	52	177
18	बिलग्राम	80	7	2	9	4	4	2	17	7	20	6	57	21	78
19	कोथावां	85	83	35	27	14	8	7	4	2	2		124	58	182
	योग	1701	807	461	547	324	506	312	456	245	505	242	2821	1584	4405

विद्यालय से बाहर के 6-11 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों का विवरण

क. सं.	विकास खण्ड का नाम	बालक	बालिका
1	बवन	15	6
2	सुरसा	15	16
3	सण्डीला	20	10
4	शहाबाद	30	10
5	भरखनी	12	12
6	साण्डी	13	5
7	अहिरोरी	6	16
8	मल्लावां	2	4
9	हरियांवां	6	7
10	पिहानी	8	9
11	माधोगंज	10	12
12	हरपालपुर	2	10
13	बेहन्दर	3	10
14	टडियांवा	10	15
15	टोडरपुर	20	10
16	कछौना	75	60
17	भरावन	2	3
18	बिलग्राम	10	15
19	कोथावां	--	6
	योग	259	236

लक्ष्य वर्ग

क्रम	कुल योग		विकलांगता का प्रकार									
			दृष्टि		अस्थि		श्रवण		मानसिक		अधिगम	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	4217	3431	482	109	2448	1817	703	630	444	410	140	165

लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनपद की कार्यनीति –

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में पूरी कार्ययोजना को निम्न कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है –

1. स्वास्थ्य
2. शिक्षा
3. जागरूकता
4. व्यावसायिक
5. सर्वेक्षण

1.स्वास्थ्य परीक्षण

जनपद हरदोई में 2002–03 में अब तक कुल 1,47,941 बच्चों का स्वास्थ्य किया गया । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत स्वास्थ्य परीक्षण के लिये जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जायेगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होंगे। यह स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सक और ए0एन0एम0 के द्वारा समस्त स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा और इसके लिये एक रजिस्टर प्रत्येक विद्यालय में बनेगा जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धी विवरण होगा।

मेडिकल एसेसमेंट कैम्प

समेकित शिक्षा के अर्न्तगत 2 चयनित ब्लाक सुरसा और बावन में कुल 5 मेडिकल एसेसमेंट कैम्प 3–3 न्याय पंचायत को मिलाकर एक स्कूल का चयन कर कैम्प .आयेाजित किये गये। जिसमें कुल 845 विकलांग बच्चों (0–14) वर्ष के बच्चों का चिकित्सकीय मूल्यांकन कराकर प्रमाण पत्र वितरित किये गये। जिसमें 710 अस्थि विकलांग, 86 श्रवण एवं वाणी विकलांग, 31 दृष्टि विकलांग, 8 मानसिक विकलांग इस प्रकार से कुल 845 विकलांग बच्चों का मेडिकल एसेसमेंट हुआ।

सर्व शिक्षा के अर्न्तगत विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा से जोड़ने हेतु विकास खण्ड स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेशानुसार एक आर्थोपेडिक सर्जन, एक ई0एन0टी0 सर्जन, एक आई सर्जन द्वारा चिकित्सीय मूल्यांकन

किया जायेगा। साथ ही में उन्हें चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी वितरित किये जायेंगे।

उपकरण / उपस्कर वितरण

सुरसा और बावन में विकलांग बच्चों के मेडिकल एसेसमेंट के उपरान्त 845 बच्चों में से 637 वे बच्चे निकल कर आये जिन्हें उपकरण और उपस्कर की आवश्यकता है।

इन 637 संख्या में 23 विकलांग बच्चों को 20 बैसाखी, 1 कान की मशीन और 2 ट्राई साइकिल प्रदान की गई।

सर्व शिक्षा के अर्न्तगत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से चिकित्सीय मूल्यांकन के आधार पर जो बच्चे निकल कर आयें उनके उपकरण और उपस्कर की व्यवस्था भी की जायेगी, जिससे बच्चों को उपकरण उपलब्ध हो जाने से उनके स्कूल में आने वाली बाधायें कम होंगी और उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

इसके लिये निम्नलिखित संस्थाओं का सहयोग ले सकते हैं :-

1. विकलांग कल्याण विभाग
2. समाज कल्याण विभाग
3. भारत विकास परिषद
4. नेशनल इंस्टीट्यूट फार द मेंटली हैण्डीकैप्ड, सिकंदराबाद
5. नेशनल इंस्टीट्यूट फार द आर्थोपेडिक हैण्डीकैप्ड
6. नेशनल एसोसियेशन फार द ब्लांइड एजू० डिपार्टमेंट, काटेनग्रीन, एल०पी०बाला काम्पलेक्स, बम्बई
7. नेशनल इंस्टीट्यूट फार द हेयरिंग हैण्डीकैप्ड
8. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून
9. अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बांद्रा, बम्बई
10. मंगलम ए-445, इंदिरा नगर, लखनऊ
11. यू०पी० विकलांग केन्द्र, 13, लूकरगंज, इलाहाबाद

2. शिक्षा -

मास्टर ट्रेनर का चयन

प्रत्येक ब्लाक स्तर पर 4-4 मास्टर ट्रेनर का चयन किया जायेगा, जिसमें एक न्याय पंचायत प्रभारी, एक ब्लाक समन्वयक, एक डायट के प्रवक्ता और एक अनुभवी अध्यापक होगा।

रिसोर्स टीचर प्रशिक्षण-

प्रत्येक न्याय पंचायत के एक-एक अध्यापक को 45 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाकर उसको न्याय पंचायत स्तर का रिसोर्स व्यक्ति बनाया जाना है।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

प्रत्येक सत्र में 2 चयनित विकास खण्ड में मास्टर ट्रेनर द्वारा समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में समेकित करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जायेगा। ये प्रशिक्षण 5 दिन का होगा। इसमें समेकित शिक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाना है।

शिक्षकों के लिये सामग्री का विकास

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास तथा 5 विकलांगताओं–दृष्टि, अधिगम, श्रव्य, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स मुद्रण कराकर चयनित विकास खण्ड पर वितरित किये जायेंगे। जनसमुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये " आप क्या कर सकते हैं ?" फोल्डर्स वितरित किये जायेंगे। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिये कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक में "दोस्ती" नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है :–

1. विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन
2. विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना
3 इन बच्चों के सभी समूहों के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना

रिसोर्स कक्ष की स्थापना –

प्रत्येक तहसील के बी0आर0सी0 स्तर पर रिसोर्स कक्ष की स्थापना की जानी है, जहां पर अक्षम बच्चों के लिये समस्त तकनीकी सुविधायें मिलेंगी। जैसे आडियोमीटर आदि।

विशेष शिक्षा केन्द्र

ब्लाक संसाधन केन्द्र के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इन अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिये उनकी अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुये रिसोर्स सेंटर पर ही 3 विशेष अध्यापक या रिसोर्स अध्यापक रखे जायेंगे तथा इसके साथ ही अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिये विकास खण्ड स्तर पर रिसोर्स कक्षा में ऐसेसमेंट टूल्स (शारीरिक एवं मानसिक आंकलन के लिये) खिलौने, पोस्टर, पम्पलेट, सहायक अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जायेगी जिससे विकलांग बच्चों का, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके।

3. जागरूकता

किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति, को उस कार्य के प्रति जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जागरूकता लाने के लिये निम्न योजनायें हैं –

1. जागरूकता रैली / प्रभात फेरी

जनपद के प्रत्येक स्तर पर बैनर एवं नारों के साथ अक्षमता के प्रति जागरूकता रैली एवं प्रभात रैली का आयोजन किया जायेगा।

2. दीवार लेखन

प्रमुख स्थलों या दीवारों पर नारों आदि का लेखन

3. नुक्कड़ नाटक / वीडियो प्रदर्शन

अक्षम बच्चों / सक्षम बच्चों की टीम बनाकर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कराना, विकलांगता पर आधारित शिक्षा पर फिल्मों का प्रदर्शन कराना

4. बी0आर0जी0 / डी0आर0जी0 का गठन

विकलांगता के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान कर जनपद स्तर पर ब्लाक स्तर पर टीमों का गठन करना।

5. अभिभावक संघ

विकलांग बच्चों के अभिभावकों की समस्याओं को समझने और उनके उचित मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर मास्टर ट्रेनर और जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ का गठन किया जायेगा।

6. वातावरण सृजन

चयनित विकास खण्ड मे न्याय पंचायत स्तर पर वातावरण सृजन का आयोजन किया जायेगा, जिसमें कम से कम 50 सदस्य प्रतिभागी होंगे। इन सदस्यों में ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पंचायत प्रभारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति, विकलांग बच्चों के अभिभावक, रिसोर्स पर्सन, जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा), विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि सदस्य होंगे।

इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पांचों प्रकार की विकलांगता की पहचान, उसके कारण, रोकथाम, विकलांग बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ विद्यालय में समाकलन पर जोर दिया जाना है।

7. विकलांग बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु प्रति वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन

विकलांग बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त के शुभ उपलक्ष्य में कला प्रतियोगिता का आयोजन बाल बिहार जू0हा0 स्कूल में कराया गया। जिसमें कुल 32 विकलांग बच्चों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इसमें सभी विकलांग बच्चों को पुरुस्कार भी दिये गये। इसमें बच्चों में उत्साह की लहर दिखायी दी कि हम भी कुछ कर सकते हैं।

सर्व शिक्षा के अर्न्तगत विकलांग बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। यह प्रतियोगिता खेल और कला

प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता का आयेाजन प्रति वर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त और 3 दिसम्बर (विकलांग दिवस) को किया जायेगा जिससे इन अक्षम बच्चेां में भी सक्षमता का पूर्ण विकास हो सके।

4. वोकेशनल ट्रेनिंग कैम्प

विकलांग बच्चे जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई की उम्र में स्कूल नहीं जा सके और उनकी आयु 16 वर्ष लगभग है, उनके लिये वोकेशनल ट्रेनिंग कैम्प की व्यवस्था की जायेगी जिसमें इन बच्चेां को कुछ वोकेशनल वर्क जैसे पेंटिग, सिलाई, फर्नीचर का कार्य, मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना आदि सिखाया जायेगा ताकि यह बच्चे भी कुछ कार्य सीखकर आत्मनिर्भर बनें और सामान्य लोगों की तरह जीवनयापन कर सकें।

5. सर्वेक्षण

समय-समय पर आवश्यकतानुसार अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिये तरह-तरह के सर्वेक्षण किये जाने है, जिससे कि इन बच्चों को आवश्यकतानुसार तत्कालीन सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें।

समेकित शिक्षा में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस अभियान में विकलांग बच्चों का शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। समेकित शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु सुनियोजित कार्यकम प्रस्तावित किये जायेंगे। इस कार्य के लिये स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इन स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रकिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसमें निम्न पात्रतायें रखती हों :-

1. संस्था / सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अर्न्तगत कम से कम 3 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
3. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
4. संस्था विकलांग अधिनियम 1995 की धारा-51 के अर्न्तगत पंजीकृत हो।

8- सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमः

समुदाय को जागरूक एवं विद्यालय में उसकी सहभागिता एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाने के पश्चात शैक्षिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। अतः लम्बी अवधि की परियोजना सर्व शिक्षा अभियान की इस कार्य महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

परियोजना पूर्व गतिविधियों का विवरणः

सर्व शिक्षा अभियान से पूर्व जनपद में वातावरण सृजन एवं सूक्ष्म नियोजन तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देन वाली गतिविधियों का आयेजन किया गया है। ये सभी गतिविधियां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत करायी गयी है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः-

1- 1998 से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर के मध्य विद्यालय चलो अभियान का आयोजन कराया जा रहा है। जिसमें प्रति सप्ताह रैलियों एवं बैठकों का आयोजन तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रेरित किया जा रहा है।

2- महत्वपूर्ण दिवसों पर (जैसे 15 अगस्त, साक्षरता दिवस, महिला दिवस, 26 जनवरी) पूर्ण साज-सज्जा (बैनर, नारे लिखे हुई तख्ती) के साथ प्रभात फेरियों एवं रैलियों का आयोजन किया जा रहा है तथा शैक्षिक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है।

3- ग्राम शिक्षा समिति मेलों का आयोजन न केवल शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है बल्कि इनसे नामांकन एवं ठहराव में भी वृद्धि हुई है।

4- फोल्डर, पम्पलेट्स, पोस्टर, स्टीकर आदि छपवाकर ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक वातावरण बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

5- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ उत्साही व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा जन समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किये जा रहे है।

सूक्ष्म नियोजनः-

जिला प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन का एक महत्वपूर्ण अभ्यास कराया गया है। यह प्रक्रिया अत्यन्त लम्बी एवं विस्तृत स्तर पर आयोजित की गयी है। इसके विभिन्न चरणें का विवरण निम्न प्रकार हैः

सूक्ष्म नियोजन के प्रथम चरण में जिला संसाधन समूह का गठन एवं प्रशिक्षण कराया गया इसमें डायट के दो प्रवक्ता एवं दो व्यक्ति नेहरू युवा केन्द्र के सम्मिलित हुये इनके साथ ही जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता को इनके प्रशिक्षण के सन्दर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय से मार्गदर्शित किया गया।

दूसरे चरण में सभी 19 ब्लाकों में 25 से 30 सदस्यों को मिलाकर ब्लाक संसाधन समूहो का गठन किया गया तथा डायट हरदोई के माध्यम से 97-98 में इन्हे तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

ब्लाक संसाधन समूहो के सदस्यों द्वारा जनपद की समस्त 1101 ग्राम शिक्षा समितियों को ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 1998-99 में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण जिला (सामुदायिक सहभागिता) के सहयोग से डायट द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 25 प्रतिभागी सम्मिलित हुये। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दुओं में ग्राम शिक्षा समितियों के कर्तव्य एवं दायित्व, गठन एंव संरचना, बालिका शिक्षा की स्थिति, लिंग विभेदीकरण एवं उसका समाधान, ग्राम शैक्षिक मानचित्र, परिवार सर्वेक्षण, आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण, विद्यालय अनुश्रवण, अन्य विभागों से समन्वय, संसाधनों का प्रबन्धन, वित्तीय नियमों की जानकारी आदि मुख्य बिन्दु सम्मिलित थे।

प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा उत्साही सदस्यों के द्वारा 98-99 में ग्राम शैक्षिक मानचित्र एवं परिवार सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है। ग्राम शैक्षिक मानचित्र में तत्कालीन स्थिति को दर्शाया गया जिसमें समस्त घर तथा सुविधाओं एवं संरचनाओं को प्रदर्शित किया गया तथा परिवारों के क्रमांक भी डाले गये इन्हीं क्रमांको के आधार पर जिला परियोजना कार्यालय से आपूर्ति किये गये परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र भरे गये।

उपरोक्त परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों से आंकड़ों को " ग्राम शिक्षा योजना पंजिका में संकलित किया गया जिनके आधार पर ग्राम शिक्षा योजना " का निर्माण किया गया तथा आवश्यकताओं की पहचान की गयी। उनके आधार पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की वार्षिक योजनायें तैयार करके कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2003-2004 में पुनः ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षत किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण/नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षणः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों/नगर शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर कराया जायेगा यह प्रक्रिया निम्न चरणें में आयोजित की जायेगी-

अ) जिला सर्न्दभ समूह का गठन

बेसिक शिक्षा के सदस्यों, डायट के प्रवक्ताओं एवं गैर सरकारी संगठनों के व्यक्तियों को मिलाकर जिला सर्न्दभ समूह का गठन किया जायेगा। जिसमें कुल 12 व्यक्ति सम्मिलत होगें। इनका प्रशिक्षण जनपद स्तर पर राज्य सन्दर्भ समूह के सदस्यों के द्वारा कराया जायेगा। प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा तथा आवासीय चलेगा।

ब) ब्लाक संसाधन समूह के सदस्यों का प्रशिक्षणः-

ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक संसाधन समूह का गठन एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा इस प्रशिक्षण में प्रत्येक न्याय पंचायत से दो व्यक्ति प्रशिक्षित होगें। अतः 191 न्याय पंचायतों के कुल 382, न्याय पंचायत प्रभरी तथा ब्लाक समन्वयक मिलाकर कुल 630 सदस्य प्रशिक्षित किये जायेगें। जो ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण में सहयोग करेगें।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षणः-

जनपद में कुल 1101 ग्राम शिक्षा समितियाँ (पांच सदस्य प्रति शिक्षा समिति) तथा 150 वार्ड शिक्षा समितियां (पांच सदस्य प्रति शिक्षा समितियां) हैं जिनके वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कुल 6255 सदस्य एवं ग्राम के अन्य उत्साही व्यक्तियों (18765 सदस्य) को मिलाकर कुल 25020 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

वातावरण सृजनः-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये है तथा इस दिशा में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई है उक्त कार्यक्रमों के अनुभवों को देखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी ब्लाक समन्वयक एवं न्याय पंचायत प्रभारियों को सामुदायिक सहभागिता का प्रशिक्षण देना तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित करना उचित होगा। यह प्रशिक्षण 2003-04 में आयोजित किया जायेगा।

प्रोत्साहन योजनायें :-

1. प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड की प्रथम एवं द्वितीय वी0ई0सी0 को क्रमशः रू0 15000/- एवं रू0 10000/- दिया जायेगा।

2. जनपद के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चयनित शिक्षा मित्रों को क्रमशः 2000, 1500 एवं 1000 रू0 दिये जायेंगे।

सर्वोत्तम ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन

जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड की 2 सर्वोत्तम ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2003-04 से प्रथम स्थान पर चयनित ग्राम शिक्षा समिति को रू0 15000/- तथा द्वितीय स्थान पर चयनित समिति को रू0 10000/- दिया जायेगा।

सर्वोत्तम शिक्षा मित्रों को प्रोत्साहन

प्रत्येक वर्ष जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में सर्वोत्तम शिक्षा मित्र का चयन कर रू. 5 हजार का पुरूष्कार दिया जायेगा।

स्वास्थ्य परीक्षण

चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रत्येक प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। इस प्रकार 2294 प्रा0 तथा 448 उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल 2742 विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को माह सितम्बर से दिसम्बर के मध्य उक्त कार्यक्रम चलाया जायेगा।

अध्याय–9

गुणवत्ता सम्वर्द्धन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना संकल्पना एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह अनुभव किया गया कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संचालित दीक्षा विद्यालयों द्वारा मात्र प्रशिक्षण दिया जाता है। दीक्षा विद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की विद्यालयों में नियुक्ति के बाद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रभावी एवं गुणवत्तापरक बनानें हेतु नवाचार जैसे विषयों को सम्मिलित करने के आशय से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया ताकि प्रार्थमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हो सके।

जनपद हरदोई में द्वितीय चरण के अन्तर्गत 1991 में डायट की स्थापना की गयी प्रशिक्षण/ शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु 7 संकायों (सेवापूर्व, सेवारत, कार्यानुभव, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी, जिला सन्दर्भ इकाई, नियोजन एवं प्रबन्धन) में विभाजित किया गया। डायट की स्थापना के प्रमुख **उद्देश्य** निम्नवत् हैः–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अर्न्तगत प्राथमिक शिक्षा,प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकर्मियों/सन्दर्भदाताओं को प्रशिक्षित करना।
- शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण की व्यबस्था करना।
- शिक्षकों की समस्र्याओं के निराकरण हेतु शैक्षिक अनुसर्मथन पदान करना।
- शिक्षा में गुणवत्ता संर्वधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देना।
- शैक्षिक समस्याओं हेतु क्रियात्मक शोध करना।
- तकनीकी संकाय के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों, दूरसंचार(टेलीकान्फ्रेंसिग) द्वारा प्रचार प्रसार करना।
- पाठ्यक्रम निर्माण एवं लागू करना।
- विभिन्न विषयों के अनुरूप शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
- सेवा पूर्व दो वर्षीय बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्यों/लक्ष्यों की पूर्ति हेतु गुणवत्तापरख प्रशिक्षण, कार्यशालायें, संगोष्ठी, सेमीनार आदि का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रर्दशनी एवं मेलों आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिये भी डायट सतत प्रयत्नशील है।

जनपद स्तर पर विगत 5 वर्षों में सम्पादित क्रियाकलापः

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता सम्वुर्द्धन के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में उन्नयन के लिए जनपद हरदोई में वर्ष 1997 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं तथासंसाधनो का सृजन और सम्बर्द्धन करने के अतिरिक्त शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण 'अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षको को कार्यस्थल पर सहयोग एवं अनुसमर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 19 बी०आर०सी० तथा 191 एन०पी०आर०सी० के संचालन हेतु 19 समन्वयक और 19 सहायक समन्वयक तथा 191 न्याय पंचायत प्रभारियों को उनके उत्तर दायित्व एवं कर्तव्य बोध हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अकादमिक पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट के सम्बन्ध में 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर आयोजित किये गये। आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण शैक्षिक खेल एवं गतिविधियों के उदाहरण प्रस्तुत कर शैक्षिक अनुसमर्थन किया गया। डायट के प्रवक्ताओं एवं वरिष्ठ प्रवक्ताओं को विकास खण्ड स्तर पर मेन्टर नियुक्ति किया गया। माह के चतुर्थ शनिवार को न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो पर एक दिवसीय बैठक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिनमें विद्यालय के अध्यापकों द्वारा गणित एवं सामाजिक अध्ययन के आदर्श पाठ प्रस्तुत किये गये। और पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलो की पहचान करके सरलीकरण के प्रयास किये गये विकास क्षेत्र/न्याय पंचायत स्तरों पर

निर्मित स्व निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री के मेले/प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। उनमें से चयनित माडलों को जनपद स्तर पर शिक्षण सामग्री मेलो/प्रदर्शनियों में रखा गया।

प्रशिक्षण/गोष्ठियां/सेमिनार आदिः

ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के अन्तर्गत ही बालिकाओं को छोटे भाई बहनों के लालन पालन के बोझ से मुक्त कराने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों को ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों (शिशु घरों) के रूप में ही डी0पी0ई0पी0 के कार्यक्रम के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिसमें तीन से साढ़े पांच/छः वर्ष के बच्चों को विद्यालय के साथ ही चल रहे ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों पर स्कूल पूर्व तैयारी अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु व्यवस्था की गयी है इस तारतम्य में वर्ष 1998-99 में कोथावां व सण्डीला में 50 केन्द्रों का संचालन किया गया। संस्थान में 3 प्रवक्ताओं तथा कोथावां के सुपरवाइजर द्वारा लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में 2-2 शिविरों में अभिमुखीकरण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया। केन्द्रों पर कार्य करने वाली कार्यकत्रियों को केन्द्रों की जानकारी के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। उनसे सामग्री का निर्माण कराया गया तथा जनपद के आंगनबाड़ी पर ले जाकर प्राप्त प्रशिक्षण को भली भांति क्रियान्वित करने का अवसर दिया गया।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :-

सामुदायिक सहभागिता हेतु प्रत्येक विकास क्षेत्र के बी0आर0जी0 25 से 30 (ब्लाक संसाधन) समूहो के 25 से 30 सदस्यों को न्यायट स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षित किया गया जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ-साथ उत्साही नव युवकों, नेहरू युवा केन्द्रो के सदस्यों तथा सेवा निवृत्त अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया गया इस प्रशिक्षण हेतु संस्थान के प्रवक्ताओं ने प्रशिक्षण में सहभागिता की

तदुपरान्त बी0आर0जी0 सदस्यों ने विकास खण्ड/न्यायपंचायत वार प्रत्येक ग्राम सभा के ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो के शिक्षण में सक्रिय सहभागिता हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करके उनको अपने ग्राम स्थित विद्यालय एवं बच्चों के प्रति उत्तरदायित्वों का बोध कराया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि वे इस प्रकार अभिभावकों को उनके अपने बच्चो के प्रति उत्तरदायित्वों का बोध कराये उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि वे इस प्रकार ग्राम के विद्यालयों के उन्नति पक्ष में सहायक हो सकते है। बी0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण निम्नांकित बिन्दुओं पर किए गए :-

1. प्रतिभागिता परक विश्लेषण और समस्या समाधान का अभ्यास कार्य।

2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।

3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।

4. प्रतिभागिता उपागम, रोलप्ले केश स्टडी, क्षेत्र भ्रमण।

5. सम्प्रेक्षण अभ्यास, फिश बाउल मेथड का अभ्यास।

6. सूक्ष्म नियोजन, परिवार सर्वेक्षण, ग्राम शिक्षा योजना

ग्राम शिक्षा समितियो के अधिक क्रियाशील बनाने तथा विद्यालय के गति विधियों में उनकी सहभागिता बृद्धि तथा शैक्षिक सपोर्ट हेतु सहयोग देने के लिए इस प्रशिक्षण में स्कूल मानचित्रण, माइक्रोप्लानिंग का ज्ञान कराया गया। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर बनायी गयी तथा उसके क्रियान्वयन का प्रयास किया गया।

विद्यालय स्तर पर नियोजन स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं उनके स्कूल न जाने के कारणों की जानकारी के लिए सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण (स्कूल मैपिंग) का कार्य किया गया। ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षणों के लिए संकल्प एवं प्रयास नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण तथा विद्यालय निर्माण योजना से विद्यालय के क्रिया कलापों में स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण और अनुश्रवण में सहयोग प्राप्त हुआ सामुदायिक सहभागिता के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों उत्साही नवयुवकों एवं स्वयं सेवी संगठनो के सदस्यों के प्रशिक्षण एवं संगोष्ठियों की भविष्य में और भी आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक निरक्षर एवं नाम मात्र पढ़े लिखे होते है जो अपने कृषि कार्यो में संलग्न रहने के कारण बच्चों की शिक्षा में सहयोग नही कर पाते हैं। और न ही शिक्षा के प्रति जागरूकता पूर्वक ध्यान ही दे पाते हैं। शहरी या नगरी क्षेत्रो में परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों के अध्ययन के लिए आते है जिनके माता पिता या अभिभावक अधिकतर मजूदरी का कार्य करते है तथा स्वयं भी शिक्षित नही होते इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग नही कर पाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के परिषद के विद्यालय में शिक्षा के लिए बच्चे को केवल शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग प्राप्त होता है।

अतः ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों सम्भ्रान्त व्यक्तियों, उत्साही नवयुवकों, सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा नगरीय क्षेत्रों के सभासदों, श्रमिक नेताओं तथा श्रेष्ठ एवं न्यून अंक पाने वाले छात्रों के अभिभावकों को प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों को सहयोग एवं अनुसमर्थन की व्यवस्था

शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों, निरीक्षक वर्ग में बी०एस०ए०, उप बी०एस०ए०, ए०बी०एस०ए०,बी०आर०.सी०, एन०पी०आर०सी०, समन्वयकों को त्रिदिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया, राज्य स्तर पर तैयार किये गये अनुश्रवण प्रपत्रों पर विद्यालयों तथा बी०आर०सी० और एन०पी०सी० के श्रेणीकरण की योजना सुनिश्चित की गयी जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न स्तरों पर ग्रेडिंग की गयी इसी तरह बी०आर०सी० ग्रेडिंग एवं प्राचार्य डायट द्वारा एन०पी०आर०सी० ग्रेडिंग बी०एस०ए० डायटमेन्टर्स बी०आर०सी० समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सभी सात संकायों के माध्यम से विगत पांच वर्षो में सम्पन्न कार्यो का विवरण निम्न सारणी में संख्यात्मक/व्याक्ष्यात्मक प्रर्दर्शित किया गया है–

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

सारिणी 9.1

क्रसं	कार्य विवरण	वर्ष/ प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या				
		1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	सेवा पूर्व विभाग • (बी0टी0सी प्रशि0) • विशिष्ट बी0टी0सी0	38 298	..	89	..	97
2	सेवारत प्रशिक्षण • शिक्षक प्रशिक्षण • बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 • टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण • सतत व्यापक मूल्यांकन • लिंग संबेदीकरण प्रशिक्षण • शैक्षिक अनुसर्मथन • एस0ओ0पी0टी0 (विज्ञान,गणित,अंग्रेजी)	3,20 212 95	4859 .. 90	2950 96 100 70 225	1272 231 80 1103	4110 4105
3	कार्यानुभव (विभाग) टी0एल0एम0 निर्माण/प्रयोग	150	141	टी0एल0एम0 प्रर्दशनी मेला न्याय पंचायत विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर	265 टी0एल0एम0 प्रर्दशनी विकास खण्ड/जनपद स्तर पर	278 टी0एल0एम0 प्रर्दशनी न्या0पं0/विकास खण्ड/जनपद स्तर पर

4	डी0आर0यू0 विभाग ♦ अनौपचारिक शिक्षा के सन्दर्भदाता ♦ अनौपचारिक शिक्षा का शोध सर्वेक्षण ♦ ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण ♦ बी0आर0जी0 प्रशिक्षण ♦ बी0ई0सी0 प्रशिक्षण ♦ अनुदेशक प्रशिक्षण बालशाला/प्रहर ♦ आचार्यजी प्रशिक्षण(30 दिन) ♦ शिक्षा मित्र (30 दिन) ♦ शिक्षा मित्र पुनर्बोध(15 दिन) ♦ क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण	76 .. 62 400	75 .. 36 .. 1101 87	.. 623/11485 42 .. .. 63 182 733 .. 197	.. नोट-11485 छात्रों में से 623 छात्र मुख्य धारा से जुड़े। 526 1101 .. .. 522	.. .. 682 ..
5	शैक्षिक तकनीकी विभाग ♦ रंगीन टी0वी0,आडियो सेट प्रोजेक्टर द्वारा ♦ टेली कान्फ्रेसिंग	1998 से अघवधि तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में इनका उपयोग करके प्रशिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावी बनाया जा रहा है।				
		:				493
6	पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन ♦ डी0पी0ई0पी0 का शैक्षिक मूल्यांकन ♦ क्लास रूम आवजरवेशन स्टडी ♦ सतत व्यापक मूल्यांकन	1997 में डी0पी0ई0पी0 का आधारभूत मूल्यांकन(कक्षा2 व 5 का भाषा एवं गणित में) कराया गया				
		..	..	50 प्रा0वि0 मध्या0 मूल्यांकन ..	... 10 प्रा0वि0	50प्रा0वि0 अन्तिम मूल्यां0 ..
		प्रतिवर्ष शिक्षकों को मूल्यांकन तकनीकी मार्गदर्शन किया जाता है।				
7	नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग	प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना, माहवार शैक्षिक कैलेन्डर का निर्माण एवं अनुपालन कराया जाता है।				

जनपद में श्रेणीकरण के आधार पर विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार है :–

जनपद में स्कूलो की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति
सारणी 9–2

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	स्कूलो की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी			
			ए	बी	सी	
1.	साण्डी	54	7	20	15	12
2	हरपालपुर	106	4	61	37	4
3	टोडरपुर	114	14	43	50	7
4	शाहाबाद	112	25	45	32	10
5	भरखनी	139	20	50	60	9
6	सुरसा	144	10	88	21	25
7	माधौगंज	99	21	25	25	28
8	हरियावां	70	–	31	32	7
9	पिहानी	82	7	21	29	25
10	बवन	124	29	40	43	12
11	अहिरोरी	129	60	30	10	29
12	कोथावां	107	9	15	32	51
13	टड़ियावां	89	10	25	45	9
14	कछौना	81	–	20	31	30
15	बिलग्राम	111	–	37	49	25
16	मल्लावां	86	9	37	40	–
17	सण्डीला	100	–	30	38	32
18	बेहन्दर	92	10	25	27	30
19	भरावन	103	–	40	40	23
	योग	1942	235	683	656	368

स्रोत – डायट, हरदोई

विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के दौरान जिन समस्याओं की पहचान की गयी उनका समाधान मासिक बैटकों संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में किया जाता है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत प्राथमिक शिक्षकों को पांच चक्रों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। गत दो वर्षो में शिक्षकों को दो चक्र का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वर्तमान सत्र तृतीय चक्र का प्रशिक्षण समापन की ओर है। द्वितीय चक्र व तृतीय चक्र के प्रशिक्षण का आयोजन विकास खण्ड स्तरों पर बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा आयोजित किया गया।

प्रथम चक्र का प्रशिक्षण शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण (डिवनेट पटना के प्रशिक्षकों द्वारा तैयार प्रशिक्षण माड्यूल शिक्षकोदय के अनुसार दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें निम्न लिखित बिन्दुओं पर बल दिया गया:-

- शिक्षको को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरुक करना।
- शिक्षको को बच्चो की समझ एवं समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना।
- शिक्षण विधि को बाल केन्द्रित एवं क्रियात्मक बनाकर छात्रों की भागीदारी बढ़ाना।
- शिक्षण के दौरान वातावरण रूचिकर एवं जिज्ञासापूर्ण बनाना।
- शिक्षा के सहायक सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग।

द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण "सबल" प्रशिक्षण पिछले वर्ष ब्लाक स्तर परआयोजित किया गया, जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी। इस प्रशिक्षण में अधोलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गया :-

- यह प्रशिक्षण विषय परक अर्थात् पाठ्य पुस्तकों पर आधारित था।
- दक्षता आधारित प्रशिक्षण पर बल दिया गया।
- सहायक सामग्री जो 'स्वनिर्मित' हो या प्रकृति से संकलित की गयी हो के कक्षा शिक्षण में प्रयोग की जानकारी करायी गयी।

- विभिन्न विषयों पर गतिविधियों को तैयार करना तथा उनका कक्षा शिक्षण में

प्रयोग करना।

- पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों की पहचान कर उनका सरलीकरण करना।

<u>तृतीय चक्र</u> का प्रशिक्षण ''साधन'' प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार विकास खण्ड पर ब्लाक समन्वयकों की व्यवस्था में सम्पन्न कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कक्षा-कक्ष में क्रियात्मक शिक्षण पर बल दिया गया। अप्रैल मई में प्रारम्भ हुए उस समय विद्यालयों में परीक्षा हो रही थी, उसके बाद ग्रीष्मावकाश के कारण कक्षा-कक्ष में बच्चों की समुचित व्यवस्था नही हो सकी। इसलिए अगले प्रशिक्षणों को समय रहते ग्रीष्मावकाश होने से पूर्व समाप्त करने की आवश्यता है।

<u>सेवारत प्राथमिक अध्यापकों को दिये गये चक्रवार प्रशिक्षण का विवरण</u>

अतएव उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है :-

<u>सारणी-9-3</u>

क्रम संख्या	प्रशिक्षण चक्र	कार्यरत अध्यापक	प्रशिक्षित अध्यापक
1	प्रथम चक्र	4668	4550
2	द्वितीय चक्र	4895	4859
3	तृतीय चक्र	4315	4222
4	चतुर्थ चक्र	4170	4110

स्रोत-

डायट, हरदोई

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय नही आच्छादित किये गये थे। मात्र उच्च प्राथमिक शिक्षको के लिए एस0ओ0पी0टी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित विज्ञान तथा अंग्रेजी पढ़ने वाले अध्यापकों को तत्सम्बन्धित विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस क्रम में गणित के अध्यापको को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तथा विज्ञान तथा अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

अतएव उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनपद में कार्यरत शिक्षको की शैक्षिक योग्यता व अनुभव स्थिति निम्नवत है।

सारणी 9.4

क्र0सं0	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	शिक्षको की कुल संख्या	4170	1333
2.	हाईस्कूल से कम योग्यता धारी शिक्षक	27	3
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	615	63
4.	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	110	–
5.	स्नातक (अप्रशिक्षित)	33	02
6.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	34	10
7.	इण्टरमीडिएट (प्रशिक्षित)	1539	582
8.	स्नातक एवं प्रशिक्षित)	1111	359
9.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	701	314

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्नातक से न्यून योग्यता के अधिक अध्यापक हैं। जिन्हें विशिष्ट विषयो में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के अन्तर्गत जनपद में बी0आर0सी0 (19 बी0आर0सी0 तथा 191 एन0पी0आर0सी0) की स्थापना की गयी। बी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का चयन कर प्रतिनियुक्त किये गये। बी0आर0सी0 समन्वयक और एक न्याय पंचायत प्रभारी/न्याय पंचायत समन्वयक प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक कार्यरत थे एवं सह समन्वयक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक थे। इन समन्वयकों को बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के कार्य एवं दायित्वों के

सफल संचालन हेतु इन्हें पांच दिवसीय दायित्व एवं कर्तव्यबोध प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया।

प्रशिक्षणो का कक्षा में प्रभाव :-

प्रशिक्षणोपरान्त बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों तथा डायट के मेंटर्स द्वारा विद्यालयो के कक्षा कक्ष के अनुश्रवण से ज्ञात हुआ है कि प्रशिक्षण से शिक्षको की जागरूकता में वृद्धि हुई तथा गतिविधि एवं टी.एल.एम. आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाने लगा है और बच्चे गतिविधियों द्वारा सीखने लगे हैं।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :

डायट के तकनीकी मार्गदर्शन में ब्लाक स्तर पर कार्यरत है। यह विकेन्द्रीय कृत प्रशिक्षण और शिक्षण सहायता क्रियाकलापों के लिए सुविधा प्रदान करता हैं यह विद्यालय भ्रमण के रूप में प्रदर्शन, पुष्टपोषण, [illegible] अधिगम, सहायक सामग्रियों की तैयारी मासिक बैठक में विशिष्ट समस्याओं पर विचार विमर्श एवं शिक्षकों की सहायता प्रदान करता है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र की भूमिका :-

अकादमिक	नियोजन संगठन समन्वयन और प्रशासन	अनुश्रवण और अनुशासन
1-ब्लाक संसाधन केन्द्र को सन्दर्भ एन0पी0आर0सी0	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन	
केन्द्र बनाना जहां पुस्तके विचार के क्रिया कलापों	आयोजन कार्यशालायें समीक्षा	
पत्रक उपलब्ध	मासिक बैठक	का अनुश्रवण।
2-प्रशिक्षण का आयोजन की आख्याओं	एन0बी0एस0ए0 व डायट के	बैठकों
	मध्य समन्वय	का संकलन डायट को प्रेषित करना।
3-सहायक सामग्री निर्माण विद्यालय भवनों से	वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।	शिक्षकों का पश्चपोषण
4- विद्यालय प्रेक्षण, भ्रमण एवा वैकल्पिक पश्चपोषण	देयों का भुगतान करना। समीक्षा बैठकों में शिक्षा केन्द्रों तथा सकुल संसाधन केन्द्र से समन्वयक रखना।	भाग लेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0)

न्याय पंचायत में शैक्षिक (अकादमिक) एवं पाठ्येत्तर क्रिया कलापों को अनुसमर्थन प्रदान करता है। न्याय पंचायत का प्रभारी प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता। वह विद्यालय, मानचित्रण, अभिप्रेरण और सूक्ष्म नियोजन में ग्राम शिक्षा समितियों की सहायता करता हैं तथा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण तथा उनकी कठिनाइयों का यथोचित समाधान करता है। उक्त के अतिरिक्त समन्वयकों की भूमिका तथा दायित्व निम्नवत है :-

- मासिक कैलेन्डर तैयार करना।
- शिक्षको की मासिक बैठक तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
- कार्यक्रमों की संक्षिप्त आख्या बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
- शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना।
- स्कूल चलो अभियान, बाल गणना, ई0एम0आई0एस0आंकड़ों का संकलन

  तथा टेस्ट चेकिंग।

प्रोत्साहन योजनायें :-

प्रोत्साहन की अनेक योजनायें संचालित हैं, जिनमे से मुख्य रूप से निम्नांकित हैं

1. छात्रवृत्ति योजना :-

अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, तथा मेधावी छात्र, अल्पसंख्यक छात्रों को विकलांग छात्रों को समाजकल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है।

2. निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती है।

3. पोषाहार वितरण योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत सभी बच्चों को अल्पाहार की व्यवस्था की गयी जिसके अन्तर्गत 80 प्रतिशत उपस्थिति पर 3 किलो ग्राम गेहूँ अथवा चावल देने की व्यवस्था की गई।

उक्त प्रोत्साहन योजनाओं के फलस्वरूप प्रा0विद्यालयों में छात्रो/छात्राओं के नामांकन एवं ठहराव में अभिवृद्धि हुई है।

मूल्यांकन

मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन (एम.ए.एस.) :-

जनपद हरदोई में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित होने पर छात्रो की शैक्षिक स्तर ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम 1997 में बेस लाइन सर्वेक्षण किया गया।

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की लगभग आधी अवधिक 'समाप्ति पर कार्यक्रम के उद्देश्यों, लक्ष्यों की सम्प्राप्ति की स्थिति की जानकारी के लिए 31.7.2000 से 12.8.2000 तक मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे किया गया जिससे प्राप्त शैक्षिक सम्प्राप्ति के परिणाम निष्कर्ष निम्नवत है।

बेस लाइन स्टडी तथा मध्यावधिक स्टडी के अनुसार छात्रो की उपलब्धि

सारिणी 9-5

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जा0 मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछडा प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे 97	34.35	28.7	30.25	32.5	37.48
मध्यावधि सर्वे 2000	55.8	55.6	55.2	52.3	66.2
उपलब्धि में वृद्धि	21.45	26.9	24.85	19.8	27.72

श्रोत- बी0ए0एस0 एमएएस2000 से प्राप्त आंकडे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बेस लाइन व मध्यावधि स्टडी के अनुसार कक्षा 1 के छात्रों की भाषा का उपलब्धि स्तर बढा है।

कक्षा -1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

सारिणी-9-6

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जा0 मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछडा प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे 1997	30.64	21.14	25.36	28.21	34.21
मध्यावधि सर्वे 2000	67.6	63.7	63.7	64.8	75.00
उपलब्धि में वृद्धि	36.96	42.56	38.34	36.59	40.79

कक्षा 4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

सारिणी -9-7

परीक्षण	बालक	बालिका	अनु0 जाति	अन्य पिछडा	अन्य वर्ग
बेसलाइन सर्वे 1997	28.07	47.26	37.29	37.61	39.22
मध्यावधि सर्वे 2000	49.7	48.9	50.2	47.9	50.7
उपलब्धि में वृद्धि	21.63	1.67	12.91	10.29	11.48

श्रोत- बी0ए0एस0 एमएएस2000 से प्राप्त आंकडे

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा 4 की भाषा में बालक बालिकावार तथा अनुसूचित जाति अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य वर्गो में उपलब्धि स्तर बढा है।

कक्षा -4 गणित में छात्रों की उपलब्धि

सारिणी -9-8

परीक्षण	बालक	बालिका	अनु0जाति	अन्य पिछडा	अन्य वर्ग
बेसलाइन सर्वे 1997	29.07	28.1	27.75	30.62	29.7
मध्यावधि सर्वे 2000	38.1	38.0	39.03	36.9	36.9
उपलब्धि में वृद्धि	38.1	9.9	12.13	6.28	7.2

श्रोत- बी0ए0एस0 एमएएस2000 से प्राप्त आंकडे

उर्पयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि कक्षा 4 गणित में बालक बालिका तथा अनुसूचित जाति ,अन्य पिछडा **वर्ग** तथा अन्य **वर्ग** में उपलब्धि स्तर बढा है।

मध्यावधि मूल्यांकन (एमएएस-2000) में कक्षा 1 भाषा के छात्रों की लिंगवार न्यूनतम अधिगम स्तर के आधार पर सम्प्राप्ति

सारिणी -9-9

स्तर	बालक संख्या	प्रतिशत	बालिका संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	176	36.4	98	30.0	275	33.9
न्यूनतम अधिगम स्तर	123	25.5	114	34.9	238	29.3
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	184	38.1	115	35.2	299	36.8

श्रोत- एमएएस2000 ,से प्राप्त आंकडे

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 भाषा में 36.4 बालक तथा 30.0 बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं प्राप्त कर सकी हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन (एमएएस-2000) में कक्षा 1 गणित के छात्रों की लिंगवार न्यूनतम अधिगम स्तर के आधार पर सम्प्राप्ति

सारिणी -9-10

स्तर	बालक संख्या 485	प्रतिशत	बालिका संख्या 327	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	85	17.53	72	22.02	157	19.33
न्यूनतम अधिगम स्तर	114	23.91	75	22.94	189	23.28
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	286	58.97	180	55.05	466	57.39

श्रोत- एमएएस2000 से प्राप्त आंकडे

उर्पयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 गणित में बालक 17.53 प्रतिशत तथा बालिकाएं 22.02 प्रतिशत न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं प्राप्त कर सकी हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन (एमएएस-2000) में कक्षा 4 के भाषा के छात्रों की लिंगवार न्यूनतम अधिगम स्तर के आधार पर सम्प्राप्ति

सारिणी -9-11

स्तर	बालक संख्या 422	प्रतिशत	बालिका संख्या 315	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	140	33.2	101	32.1	241	32.7
न्यूनतम अधिगम स्तर	175	41.5	145	46.0	320	43.4
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	107	25.3	69	21.9	176	23.9

श्रोत- एमएएस2000 से प्राप्त आंकडे

उर्पयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि कक्षा 4 भाषा में 33.2 प्रतिशत बालक एवं 32.7 प्रतिशत बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके हैं। शेष ने अधिगम स्तर प्राप्त कर लिया है।

मध्यावधि मूल्यांकन (एमएएस-2000) में कक्षा 4 के गणित के छात्रों की लिंगवार न्यूनतम अधिगम स्तर के आधार पर सम्प्राप्ति

सारिणी -9-12

स्तर	बालक संख्या 422	प्रतिशत	बालिका संख्या 315	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	275	65.2	207	65.7	482	65.4
न्यूनतम अधिगम स्तर	108	25.6	87	27.6	195	26.5
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	39	9.2	21	6.6	60	8.2

श्रोत- एमएएस2000 से प्राप्त आंकडे

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा 4 में गणित में बालक 65.2 प्रतिशत तथा बालिकायें 65.4 प्रतिशत न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं प्राप्त कर सकी है।

सारिणी 9-13 में कक्षा 2 के छात्रों की आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वे में भाषा एवं गणित के अन्तर्गत लिंगवार उपलब्ध एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण के सापेक्ष अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि की वृद्धि को दर्शाया गया है।

सारिणी-9-13

विषय		BAS 1997	Improvement % BAS to Mas 2000 (MAS-BAS)	Improvement % MAS to TAS 2003 (TAS-MAS)	Total Improvement
भाषा	बालक	34.35	4.60	26.30	30.90
	बालिका	28.70	13.19	26.82	40.01
	योग	32.20	7.61	26.54	34.15
गणित	बालक	30.64	23.59	16.84	40.43
	बालिका	21.14	33.30	19.54	52.84
	योग	27.21	27.09	17.84	44.93

डीपीईपी का लक्ष्य भाषा एवं गणित की दक्षताओं में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना था जिसके सापेक्ष कक्षा 2 के बालक बालिकाओं की भाषा में 34.15 प्रतिशत तथा गणित में 44.93 प्रतिशत की शैक्षिक सम्प्राप्ति हुई जिससे डीपीईपी का लक्ष्य पूर्ण हुआ।

सारिणी 9.14 में कक्षा 5 के छात्रों की आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में भाषा एवं गणित के अन्तर्गत लिंगवार उपलब्धि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण के सापेक्ष अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि की वृद्धि को दर्शाया गया है।

सारिणी–9–14

विषय		BAS 1997	Improvement % BAS to Mas 2000 (MAS-BAS)	Improvement % MAS to TAS 2003 (TAS-MAS)	Total Improvement
भाषा	बालक	38.07	6.48	12.69	19.15
	बालिका	47.26	1.77	14.37	16.14
	योग	37.29	9.37	13.40	22.72
गणित	बालक	29.67	5.48	20.72	26.20
	बालिका	28.10	6.45	21.73	28.18
	योग	29.23	5.64	21.15	26.79

डीपीईपी के अन्तर्गत कक्षा 5 के बालक बालिकओं की भाषा एवं गणित में 25 प्रतिशत शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि के लक्ष्य से सापेक्ष गणित में 26.79 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। जिससे डीपीईपी के लक्ष्य की पूर्ति होती है। परन्तु भाषा में 22.72 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है जो लक्ष्य पूर्ति की ओर अग्रसर है।

<u>विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सन्दर्भ में :–</u>

संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की व्यवस्था दी गई है। जिसके अनुसार समाज के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा की आवश्यकता है जो बच्चे किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। जिससे सभी बच्चो का प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सम्भव हो और वह निर्धारित स्तर की कक्षा 5–8 तक की विद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके।

कुछ बच्चे ऐसे है जो विद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते है। जिनमें बाल श्रमिक, खेतिहर, बाल मजदूर, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे होटल वर्कशापों क्षेत्रीय उद्योग धन्धो में कार्य करने वाले बच्चों तथा कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे आते हैं। जो अपनी विशेष कठिनाइयों या समस्याओं के कारण विद्यालय नहीं आते है।

इन बच्चो को चिन्हित कर इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए इन बच्चों के माता–पिता तथा अभिभावकों को

इनको शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें।

ऐसे छात्रों को शिक्षित करने हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो छात्रों को समय में सुविधा के अनुसार उन्हें शिक्षित करते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग प्रदान करेगा।

वैकल्पिक शिक्षा में लगे अभिकर्मियों एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण करना आवश्यक है जिससे वे क्षेत्र में कारगर भूमिका का निर्वहन कर सके।

जनपद में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

सारिणी–9–15

एकल अध्यापक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय	पांच या अधिक शिक्षक विद्यालय
1243	462	220	176	1'10

श्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई कार्यालय

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में अधिकांश विद्यालयों में मानक से कम अध्यापक कार्यरत हैं। अतएव शिक्षण के सुचारू रूप से संचालन हेतु बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण एवं उनमें नियुक्त होने वाले शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान, विषयों को पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है क्योकि गणित, विज्ञान का पाठ्यक्रम संशोधित होने के कारण एस0ओ0पी0टी0 के प्रशिक्षण में स्वयं अध्यापकों ने अपनी कठिनाई का उल्लेख किया है। वर्तमान परिस्थितियों में सामान्य अध्यापकों को विशिष्ट विषयों का सामान्य प्रशिक्षण करना पड़ता है। इसलिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ज्ञानात्मक/पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान विषय का कार्य प्रयोगात्मक न होकर केवल सैद्धान्तिक ही हो पाता इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर एक आदर्श प्रयोगशाला की व्यवस्था की

आवश्यकता है। डायट, हरदोई में दिनांक 29.9.01 एवं 11.10.01 को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको में बैठक की गयी जिसमें शिक्षको में शैक्षिक कठिनाइयां बतलायी जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैंः–

शिक्षको का अभाव

- अभिभावकों का पूर्ण सहयोग न होना एवं उनमें जागरूकता की कमी।
- विषयों में कठिन स्थलों पर अध्यापकों की कठिनाइयी।
- अध्यापको से शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यो का लिया जाना।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों का अभाव।
- कक्षा पांच उत्तीर्ण करके आये छात्रो में कुछ छात्रों का स्तर न्यून होना ओर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था न होना।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त कठिनाइयों के निवारण हेतु वहां के अध्यापको को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण डायट, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर दिया जाना यथेष्ट होगा।

बी0आर0सी0 समन्वयक तथा डायट के मेन्टर्स से विचार विमर्श एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की बैठक दिनांक 29-9-2001 तथा 11-10-2001 में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि स्थानीय मेलों, अतिवृ[illegible]ट, [illegible]ीत लहर एवं अन्य आकस्मिक [illegible]ासकीय कार्यो के कारण विद्यालय में वास्तविक कार्य दिवस मानक से न्यून हो जाते हैं। फलस्वरूप पाठ्यक्रम पूर्ण करने में कठिनाइ होती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त कठिनाई निवारण हेतु वास्तविक कार्य दिवसों में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए 'समय' प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण/ कार्यशाला किये जाने की आवश्यकता है। जिसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें कार्ययोजनाएँ:-

सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अभियान है इसके अन्तर्गत जनपद हरदोई के 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा 2010 तक आच्छादित करना है। उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु रणनीति का विवरण निम्नवत है :-

1. 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को कक्षा पांच तक की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देने का लक्ष्य 2007 तक प्राप्त किया जायेगा।

2. इस हेतु विद्यालय न आने वाले सभी बच्चों को ई0जी0एस0, ए0आई0ई0 केन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों यथा आवश्यक नामांकित करके गुणवत्तापरक,
गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जायेगी।

3. स्कूल के नामांकन एवं ठहराव का लक्ष्य 2007 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

4. सभी बच्चे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के शत प्रतिशत रूप से नामांकन ठहराव और सम्प्राप्ति का लक्ष्य 2010 तक प्राप्त कर लेंगे।

शिक्षा के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रा0वि0/उच्च प्रा0 विद्यालय ई0जी0एस0 वैकल्पिक केन्द्रों नवाचार केन्द्रो में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं अनुदेशक, कार्य कर्त्रियों को विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट द्वारा कराये जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. शिक्षा मित्रों हेतु आधारभूत प्रशिक्षण

छात्र अध्यापक अनुपात वर्तमान 1:68 हेाने के कारण कुल 3290 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी जिनके प्रशिक्षण प्रस्तावित किये गये हैं। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल पूर्व में ही विकसित कर लिया गया है, जिसके द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त अध्यापकों एवं कार्यरत शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण वर्ष में चार चरणों में निम्न बिन्दुओं के अनुसार कराया जायेगा।

1- टी0एल0एम0 की संकल्पना, निर्माण, कक्षाकक्ष में प्रदर्शन एवं प्रयोग- 3 दिवसीय

2- गणित, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी, पर्यावरणीय एवं वन्य जन्तु संरक्षण आदि विषयों का दक्षता आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण

3- पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप यथा नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, राष्ट्रीय भावना का विकास करने सम्बन्धी 4 दिवसीय प्रशिक्षण

4- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर एक दिवसीय 6 कार्यशालायें होगीं।

3. प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का आधारभूत प्रशिक्षण

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त होने वाले 165 अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। प्रशिक्षण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार होगें।

सामुदायिक सहभागिता, ग्राम शिक्षा समिति, स्वयंसेवी संस्थाओं, अभिभावकों से सहयोग, छात्रों, अध्यापकों, स्वयं का सतत व्यापक मूल्यांकन आदि। प्रशिक्षण चार चरणों में सम्पन्न कराया जायेगा।

4. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का आधारभूत प्रशिक्षण

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति से नियुक्त समस्त प्रधान शिक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया गया है। 'यह प्रशिक्षण चार चरणों में सम्पन्न होगा। प्रथम चरण में अभिलेख एवं वित्त प्रबंधन तथा नेतृत्व क्षमता के विकास के सम्बन्ध में द्वितीय चरण में सामुदायिक समय प्रबंधन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु तृतीय चरण में-सामुदायिक सहभागिता, शिक्षक-अभिभावक ग्राम शिक्षा समिति, स्वयंसेवी संगठनों एवं उच्च अधिकारियों की सहभागिता हेतु। चतुर्थ चरण में-छात्रों, अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के सतत् व्यापक एवं स्वमूल्यांकन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सभी प्रशिक्षण पांच दिवसीय होंगे।

5 ई0जी0एस0/विद्या केन्द्र के आचार्यो एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण

शिक्षा गारण्टी योजना के अर्न्तगत विद्या केन्द्रों ज्ञानशालाओं के आचार्यो एवं अनुदेशकों के तीस दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ई0जी0एस0 के मद में ए-3 में प्रावधान किया जा चुका है। इस हेतु (प्राथमिक हेतु) प्रशिक्षण माड्यूल पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है तथा जूनियर हेतु माड्यूल तैयार किया जायेगा।

6. शिक्षा मित्रों हेतु पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

शिक्षा मित्रों के पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल पाठ्यक्रम एवं आवश्यकता के अनुरूप विकसित किया जायेगा। तदुपरान्त प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा।

7. शिक्षा गारण्टी के अर्न्तगत खोले ई0जी0एस0केन्द्रों/विद्या केन्द्रों ज्ञानशाला के आचार्यो एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण

शिक्षा मित्रों के लिए पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण माड्यूल निर्माण एवं प्रशिक्षण के अनुसार ही आचार्यो एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा।

8. बी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण

बी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रशिक्षण को चार चरणों में विभाजित किया गया है :-

प्रथम चरण में - सात दिवसीय प्रशिक्षण के अर्न्तगत विद्यालयों के श्रेणीकरण, गुणवत्ता सम्वर्धन एवं एन0पी0आर0सी0 के गुणवत्ता सम्बर्धन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण होगा एवं कार्यक्रम को संचालित करने हेतु दृष्टिकोण के विकास हेतु विजिनिंग कार्यशाला भी करायी जायेगी।

द्वितीय चरण में – पांच दिवसीय प्रशिक्षण में बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के वित्तीय प्रबंधन एवं अभिलेखों के रखरखाव के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

तृतीय चरण में– तीन दिवसीय प्रशिक्षण में समुदाय शिक्षा विभाग एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

चतुर्थ चरण में– पांच दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

1– गुणवत्ता सम्बर्द्धन एवं विद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण

2– वित्तीय प्रबन्धन एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण

3– समुदाय, विभाग तथा अभिभावकों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण

4– शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण

9. एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण

बी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रशिक्षण के भांति ही एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा। प्रशिक्षण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार होगें।

1– गुणवत्ता सम्बर्द्धन एवं विद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु 4 दिवसीय प्रशिक्षण

2– वित्तीय प्रबन्धन एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण

3– समुदाय, विभाग तथा अभिभावकों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण

4– शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण

10. बी0आर0सी0 समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

बी0आर0सी0 समन्वयकों का 5 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा।

11. एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

बी0आर0सी0 समन्वयकों की भांति ही एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा।

12. सन्दर्भ व्यक्तियों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण

उक्त प्रशिक्षण एस0पी0ओ0 एवं सीमेट द्वारा दिया जायेगा।

13. बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रबन्धन

यह प्रशिक्षण सीमेट द्वारा दिया जायेगा।

14. ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 का पांच दिवसीय प्रशिक्षण

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को गुणवत्ता सम्बर्द्धन प्रभावी निरीक्षण मूल्यांकन एवं अनुसमर्थन के सम्बन्ध में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा। परियोजना के कार्यक्रमों के संचालन हेतु दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विजिनिंग कार्यशाला भी सम्पन्न करायी जायेगी।

15. सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जनपद में संविदा पर नियुक्त सहायक अभियन्ता तथा 17 अवर अभियन्ताओं को निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

16. कम्प्यूटर आपरेटरों का प्रशिक्षण

प्रत्येक विकास खण्ड के चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। इनके प्रचालन हेतु 76 अध्यापकों, 19 बी0आर0सी0 सह समन्वयकों, डायट फैकल्टी स्टाफ, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियो सहित कुल 110 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

17. पांच बैचों में उन्नीस विकास खण्डों के आर0सी0आई0/आई0ई0डी0 को 45 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

18. टीचर ओरिण्टेशन (अध्यापक अनुस्थापन) प्रत्येक विकास खण्ड से पांच अध्यापकों को पांच दिवसीय अध्यापक ओरियण्टेशन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण / कार्यलशाला का विवरण
(प्राथमिक विद्यालय हेतु)

क्र. सं.	प्रशिक्षण / कार्यशाला का नाम	उद्देश्य / विवरण	अवधि दिनों में	प्रतिभागियों की संख्या			
				03-04	04-05	05-06	06-07
1	शिक्षा मित्रों का आधारभूत प्रशिक्षण	शिक्षा/आचार्यो के लिये विकसित 30 दिवसीय माड्यूल द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण	30		1788	132	141
2	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राथ0	टी0एल0एम0 की संकल्पना, निर्माण, कक्षाकक्ष में प्रदर्शन एवं प्रयोग	3	6369	6369	8157	8289
3	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राथ0	गणित, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी, पर्यावरणीय एवं वन्यजन्तु संरक्षण इत्यादि विषयों का	7				
4	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राथ0	पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप यथा नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	4				
5	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राथ0	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर एक दिवसीय कार्यशाला	6				

क्र. सं.	प्रशिक्षण / कार्यशाला का नाम	उद्देश्य / विवरण	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या			
				03-04	04-05	05-06	06-07
1	सहायक शिक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण प्राथमिक	शिक्षा/आचार्यो के लिये विकसित 30 दिवसीय माड्यूल द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण	30	00	1788	132	141
2	शिक्षा मित्रों का पुर्न-बोधात्मक प्रशिक्षण	छात्रों, अध्यापकों, स्वयं का सतत, व्यापक मूल्यांकन	3		2151	1466	
3	शिक्षा मित्रों का पुर्न-बोधात्मक प्रशिक्षण	टी0एल0एम0 की संकल्पना, निर्माण, कक्षा-कक्ष में प्रदर्शन एवं प्रयोग 3 दिन	7				
4	शिक्षा मित्रों का पुर्न-बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, भाषा, विज्ञान, पर्यायवरणीय संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण इत्यादि विषयों का दक्षताआधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण	4				

5	शिक्षा मित्रों का पुर्न-बोधात्मक प्रशिक्षण	पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप यथा नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, राष्ट्रीय भावना का विकास करने सम्बन्धी प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर	6				
6	आचार्य अनुदेशकों का प्रशिक्षण आधारभूत	आचार्य के लिये विकसित माड्यूल द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	30		257		
7	सन्दर्भ दाता प्रशिक्षण टी0ओ0टी	सेवारत शिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए	20	0	105	105	105
8	आचार्य जी का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	आचार्य के लिये विकसित माड्यूल द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	20	0		257	257
9	बी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	गुणवत्ता सम्बर्द्धन एवं विद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	7		57	57	57
10	बी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	वित्तीय प्रबन्धन एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु प्रशिक्षण	5				
11	बी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	समुदाय, विभाग तथा अभिभावकों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण	3				
12	बी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	5				
13	एन0पी0आर0सी0 का प्रशिक्षण	गुणवत्ता सम्बर्द्धन एवं विद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	7		191	191	191
14	एन0पी0आर0सी0 का प्रशिक्षण	वित्तीय प्रबन्धन एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु प्रशिक्षण	5				
15	एन0पी0आर0सी0 का प्रशिक्षण	समुदाय, विभाग तथा अभिभावकों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण	3				
16	एन0पी0आर0सी0 का प्रशिक्षण–	शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	5				
17	ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण--	विजनिंग कार्यशाला,गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रभावी निरीक्षण मूल्यांकन अनुसमर्थन हेतु	5		29	29	29
18	आई0ई0डी0 का प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण	5	95			

क्र. सं.	प्रशिक्षण / कार्यशाला का नाम	उद्देश्य / विवरण	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या			
				03-04	04-05	05-06	06-07
1	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	टी0एल0एम0 की संकल्पना, निर्माण, कक्षा-कक्ष में प्रदर्शन एवं प्रयोग 3 दिन	3	1333	1830	1830	1830
2	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप यथा नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, राष्ट्रीय भावना का विकास करने सम्बन्धी प्रशिक्षण	7				
3	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	एन0पी0आर0सी0 पर एक दिवसीय कार्यशालायें	4				
4	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	गणित, भाषा, विज्ञान, पर्यायवरणीय संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण इत्यादि विषयों का दक्षताआधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण	6				
5	उ0प्रा0वि0/ डायट के अध्यापकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण	डाटा इन्ट्री एवं कम्प्यूटर प्रचालन का प्रशिक्षण					

आवश्यकतानुसार आगामी वर्षो में भी प्रथम वर्ष की तरह प्रशिक्षण सम्पन्न कराये जायेगें।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई का सुदृढ़ीकरण

डायट हरदोई में स्वीकृत एवं कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है:-

सारिणी -9-16

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

पद का नाम	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	--
उप प्राचार्य	01	--	1
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	1	5
प्रवक्ता	17	9	8
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	--
तकनीकी सहायक	01	01	--
सांख्यकीकार	01	01	--
प्रतिनियुक्तिपर तैनात प्राथमिक अध्यापक	04	02	02
कार्यालयाध्यक्ष	01	01	--
लेखाकार	01	01	--
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	--
कनिष्ठ लिपिक	09	09	--
प्रयोगशाला सहायक	02	01	01
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	05	--

डायट हरदोई को पूर्व राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय को समायोजित करते हुए नवीन निर्माण कराया गया जिसके पूर्व दीक्षा विद्यालय का भवन पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण है नवीन डायट भवन से वर्ष 291.94 में पीडब्लूडी द्वारा प्राचार्य डायट को, हस्तगत कराया गया जो 1.770 हेक्टेयर में निर्मित है। नवीन भवन (मुख्य भवन) दो मंजिल की इमारत है। जिसमें प्रथम तल में कुल छह कक्ष एवं शौचालय है। जिसमें प्राचार्य कक्षा कार्यालय कक्ष एवं बीटीसी कक्षा स्थापित है। तथा द्वितीय तल पर कक्षा 5 है। जिसमें पुस्तकालय बीटीसी कक्षा तकनीकी कक्ष तथा गोपनीय कक्ष स्थापित है परन्तु इन कक्षाओं के अधिकांश खिड़कियों के शीशे पूर्णरूपेण से टूटे है और छत की मरम्मत की आवसश्यकत है। उक्त भवन में प्रयोगशाला शिक्षा कक्ष

कम्प्यूटर कक्ष तथा स्टोर कक्ष का अभाव है जो कि होना अत्यन्त आवश्यक है।

डायट के पीछे भाग में पुरूष महिला छात्रावास की स्थापना की गयी है जो कि दो मंजिल की इमारत है। जिसमें कुल 16-16 कक्ष ही छात्रावासों में उपलब्ध है जिसमें सिर्फ बीटीसी छात्र-छात्राओं को ठहराना ही अत्यन्त कठिनाइयों के साथ होता है।

अतः प्रशिक्षण हेतु अलग से दो छात्रावास पुरूष एवं महिला का निर्माण भी अति आवश्यक है। इसमें कम से कम पचास कक्षों का निर्माण होना अत्यन्त जरूरी है। जिसके लिए 100 तख्त, 200 गद्दे, दो सौ चादर, दो सौ कम्बल, 100 तकिया, 100 रैक, 100 मेज, 100 कुर्सी की भी आवश्यकता है।

डायट में प्रशिक्षार्थियों हेतु किसी प्रकार भोजनालय का निर्माण नही कराया गया है। जिसके लिए कम से कम 100 व्यक्तियों के भोजन बैठने की व्यवस्था हेतु मेस का निर्माण भी जरूरी है। जिनके बैठने के लिए फर्नीचर की आवश्यकता है।

डायट में बाहर से आये अधिकारियों के रूकने के लिए अतिथि कक्ष तथा भवन की भी आवश्यकता है।

डायट में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण भी अत्यन्त आवश्यक है। तथा विद्युत व्यवस्थ हेतु पांच किलो वाट का दो जरनेटरो की भी आवश्यकता है। कम्प्यूटर के साथ प्रिन्टर के साथ अन्य सुविधाओ के साथ जरूरी है।

डायट के सरकारी वाहन जीप रखने के लिए एक गैरेज की भी निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही पीने की व्यवस्था हेतु फ्रिज कूलिंग मशीन की आवश्यकता है।

सारणी 9.17

मद	आवश्यकता
नवीन भवन कक्ष	छात्रावास पुरूष एवं महिला प्रयोगशाला प्रशिक्षण।
	सभकक्ष अतिथि कक्ष, गैराज, भोजनालय, (मेस) कम्प्यूटर कक्ष, रीडिंग कक्ष।
मरम्मत/रखरखाव शौचालय,	डायट भवन की खिड़कियों की मरम्मत,
	मरम्मत भवन की छत की मरम्मत पुराने दीक्षा विद्यालयों की पूर्ण मरम्मत।
उपकरणसाज सज्जा पूर्ण रूप से	जनरेट 5 केबी दो कम्प्यूटर 4 सेट तैयार
जनरेटर कम्प्यूटर बीडीओ सेमिनार हेतु	वीडीयोग्राफी हेतु कैमरा (शिक्षण +
ग्राफी कैमरा एबीसीसी बीसीडी/एसीडी	प्रशिक्षण अवधि में तकनीकी कार्य हेतु

डी/एसीसीडी प्लेयर पुताथी एवं लान फर्नीचर कूलिंग वाटर मशीन 200 गद्दे, छोटी एवं

प्लेयर एवं डायट के सौन्दर्य करण हेतु तथा मैट पर्दा। बैठने हेतु तथा आवास हेतु 100 तख्त 100 चादर, दो सौ कम्बल, 100 तकिया, बड़ी 50 दरी, 200 कुर्सी, 200 मेंज, 100 अलमारी हाफ त‍ा 50 फुल अलमारी, 100 पंखे, 40 कूलर, 600 राड, 200 बल्ब 20 नक्शा बड़े, भोजनालय बर्तन, भोजनालय से समस्त जुड़े उपकरण डायट की बाउन्डी बाल हेतु रैलिंग, 5 सोफा से 5 डबल बेड 4 डायनिंग टेबल

वाचनालय

फर्नीचर 15 अलमारी 50कुर्सी 10 बडी मेज।

डायट के सुदृढीकरण हेतु प्रतिवर्ष निम्नांकित धनराशि की आवश्यकता होगी।

सारिणी -9-18

क्रमांक	मद का नाम	वांछित धनराशि (रू0 हजार मों)
1	फर्नीचर	50
2	उपकरण	200
3	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	600
4	हायरिंग वाहन	10
5	पी0ओ0एल0	50
6	सेमीनार	200
7	रिर्सच	200
8	फैक्लिटी डेवलपमेन्ट	50
9	एक्सपोजर विजिट	50
10	लाइब्रेरी	25
11	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन 12 माह	84
12	ड्राइवर का वेतन 12 माह	48
13	कम्प्यूटर, स्टेशनरी	20
14	कन्टेनजेन्सी	100

अध्याय-10
परियोजना प्रबन्धन

जनपद हरदोई में सर्व शिक्षा अभियान जनवरी 2001 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2010 तक प्रस्तावित है। इस अवधि में 6-14 वय वर्ग के शत-प्रतिशत बालक/ बालिकाओं का नामांकन तथा उन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी। राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का प्रबन्धन/ नियन्त्रण उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर पर उक्त अभियान अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति पदेन जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उनके कार्यालय स्टाफ द्वारा चलाया जाएगा। इस समिति के उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी हैं। ग्राम स्तर पर उक्त कार्यक्रम ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चलाया जाएगा। वस्तुतः यह वह मुख्य ईकाई है जिस पर सम्पूर्ण अभियान की सफलता निर्भर है।

राज्य सरकार की जटिल प्रक्रियाओं, नियमों से अलग इस कार्यक्रम का प्रबन्धन सरल एवं लचीली प्रणाली से युक्त होगा। यह एक संवेदनशील कार्यक्रम है एवं कार्यक्रम की गतिविधियों के संचालन हेतु त्वरित गति से राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक लाना अतिआवश्यक है। इस कार्यक्रम को टीम भावना से चलाना आवश्यक होगा। व्यक्तिगत पहल के लिए इस कार्यक्रम में पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधियों को जनसाधारण में प्रचारित/ प्रसारित किया जाएगा। तथा सामुदायिक सहभागिता प्राप्त की जायेगी।

अ- परियोजना की निर्णायक समितियां

निर्णायक समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबन्धन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजनापरिषद	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0 सामेट एस0आई0ई0टी0स्वयं सेवी संस्थायें
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट/ स्वयं सेवी संस्थायें
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

ग्राम शिक्षा समिति
:

गांव स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापों को सम्पन्न कराने हेतु वर्ष 2000 में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य/पदाधिकारी हैं:-

1- ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष

2- ग्राम पंचायत में स्थिति प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक और यदि वहां कई विद्यालय हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में ज्येष्ठ सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

३- प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के तीन संरक्षर जिनमें एक महिला संरक्षक होगी उसको सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

अधिकार एवं दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करती है:

क- पंचायत क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के संचालन हेतु प्रशासनिक नियन्त्रण और प्रबन्ध।

ख- विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए नई योजनाएं तैयार करना।

ग- पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा की अभिवृद्धि करना।

घ- विद्यालयों के भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए सुझाव देना।

ङ- विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।

च- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति, आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति ने बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जाएगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को प्रशिक्षित कर सभी विद्यालयों को आकर्षक एवं गुणवत्तापरक बनाने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए वांछित परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, आचार्यो, अनुदेशकों, सहायिकाओं, आंगनबाडी कार्यकत्रियों के स्टाफ से वेतन/ मानदेय का भुगतान, छात्रवृत्ति वितरण, पोषाहार, वितरण तथा निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0)

जनपद हरदोई के समस्त 191 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। संसाधन केन्द्र को फर्नीचर/ फिक्शर्स एवं उपकरण क्रय ग्राम शिक्षा निधि के खाते में धनराशि स्थानान्तरित कर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त के साथ न्याय पंचायत समन्वयकों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्याय पंचायत समन्वयकों को प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

क- न्याय पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त विद्यालयों का निरीक्षण

ख- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना

ग- अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने हेतु विचार विमर्श एवं उनका निस्तारण करना

घ- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना

च- न्याय पंचायत स्तर की समस्त सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन करना

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समितिः

जिले की भांति प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित की गयी है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगीः-

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नवत् पदाधिकारी/ सदस्य हैंः-

क-	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
ख-	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उ0वि0नि0	सदस्य/सचिव
ग-	विकासखण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
घ-	विकास खण्ड का एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं कर्तव्य

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति

के मध्य कडी का कार्य करेगी तथा अन्य योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि में से शिक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में सहायक होगी। समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन विकासखण्ड स्तर

प्रत्येक विकासखण्ड में एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कायक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रुप से विद्यालयों का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका मुख्य दायित्व है और इसके लिए आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं दी जाएगीं। विद्यालय सांख्यकी प्रपत्र को एकत्रित कर जिला परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करना एवं सांख्यकी की शुद्धता बनाये रखने में इनकी भूमिका एवं मुख्य उत्तरदायित्व है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं पदेन खण्ड परियोजना अधिकारी होगें। इनके मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें:

1- अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावशाली क्रियान्वयन

2- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

3- निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण।

4- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5- विकासखण्ड के शैक्षिक आंकडे एकत्रित कर जिला परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करना।

6- छात्रवृत्तियों/खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करना।

7- अनुसूचित जाति के सभी बालक एवं सभी वर्गो की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराना।

8- विद्यालयों का निरीक्षण तथा गुणवत्ता में सुधार।

9- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात सुनिश्चित करना तथा आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां कराना।

10-ग्राम शिक्षा समिति तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच सहयोगात्मक समन्वय स्थापित कराना।

11-अध्यापकों/ शिक्षा मित्रों/ आचार्यो/ अनुदेशकों/ सहायिकाओं/ आंगनबाडी कार्यकत्रियों/ गुरूजी एवं दीदी जी के वेतन/ मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।

12–ई0जी0एस0 तथा ए0आई0 के संचालन का अनुश्रवण। केन्द्र एवं विद्यार्थियों को आवश्यक उपकरण/ बालकिट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना तथा आवश्यक आख्यायें/ प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय को सूचित करना।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को भलीभांति निर्वहन करने हेतु एक मोटर साइकिल के साथ यात्राभत्ता तथा रखरखाव हेतु रू0 18000 प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। परियोजना की गतिविधियों/ कार्यक्रमों का भलीभांति क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा तथा अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता हेतु एक सह समन्वयक बी0आर0सी0 पर नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में एक बी0आर0सी0 भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बी0आर0सी0 को आवश्यक फर्नीचर/ उपकरण से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रत्येक विकासखण्ड में एक समन्वयक तथा एक सहायक समन्वयक वर्तमान में कार्यरत है। सर्व शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र पर कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रेड के कार्यरत ब्लाक समन्वयक के पद को उच्चीकृत करते हुए प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के ब्लाक समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी। ब्लाक समन्वयक के अन्तर्गत दो सहायक समन्वयक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/ सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होगें।

ब्लाक संसाधन केन्द्र वस्तुतः मिनी डायट के रूप में संचालित है। केन्द्र पर प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों यथा विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन शैक्षिक/ खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित किये जायेगें। विद्यालयों/ विद्यार्थियों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये जायेगें तथा परियोजना की गतिविधियों को जनपद स्तर से प्राप्त कर ग्राम शिक्षा समिति स्तर तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा।

वित्तीय स्वरूप के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्र विकासखण्ड के समस्त विद्यालयों/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों आदि को परियोजना से निर्गत धन के अनुश्रवण, उपभोग प्रमाण प्राप्त कर सुरक्षित रखने हेतु उत्तरदायी होगा।

कार्यक्रम की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढीकरण करने की योजना है जिसके लिए एक लाख रुप्ये का प्रावधान किया जा रहा है। यह भी प्रयास किया जाएगा कि कम्प्यूटर को इंटननेट से सम्बद्ध कर दिया जाय ताकि ब्लाक स्तर की सूचनायें सीधे इंटरनेट के माध्यम से जनपद/ राज्य स्तर को प्राप्त हो जायें एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान में समय की बचत हो सके।

कार्य एवं दायित्व

1– सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रदान करना

2– विद्यालयों का शैक्षिक प्रशिक्षण कर नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करना

3– विद्यालयों की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन तथा सूक्ष्म नियोजन

4– अकेडमिक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) का गठन/ सक्रिय करना

5– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना

6– विभिन्न अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना

7– विद्यालय से बाहर, ड्राप आउट बच्चों का नामवार कम्प्यूटराज्ड विवरण रखना

8– ई0सी0सी0ई0/ए0आई0ई0/ई0जी0एस0 केन्द्रों के संचालन का पर्यवेक्षण तथा इन केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का पूर्ण विवरण रखना

9– माइक्रोप्लानिंग तथा विद्यालय सांख्यकी का एकत्रीकरण एवं सैम्पुल चेकिंग।

जनपद स्तरीय समिति

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला शिक्षा परियोजना समिति पूर्व से ही गठित है। यही समिति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति–निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण का कार्यान्वयन करने के लिए कार्यवाही करेगी। समिति के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष पदेन मुख्य विकास अधिकारी तथा सचिव पदेन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। समिति का स्वरूप निम्नवत् है:

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
प्राचार्य, डायट	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
अधिशासी अभियंता, आर0ई0एस0	सदस्य
अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0	सदस्य
दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय/महा वि0 से जिला अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम में	

एक वर्ष के लिए	सदस्य
दो शिक्षक राष्ट्रीय/राज्य पुरूष्कार प्राप्त	सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व

जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिला शिक्षा परियोजना समिति सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। यह समिति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित सीमाओं नीतियों/निर्णयों के अन्तर्गत रहते हुए जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार, जन सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन एवं अन्य गतिविधियों के लिए संस्थाओं का निर्धारण प्रचार प्रसार आदि कार्य समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व भी इसी समिति का होगा।

परियोजना के कार्यक्रम को त्वरित गति प्रदान करने हेतु तथा आवश्यक निर्णय लेने के सम्बन्ध में समिति के अध्यक्ष, पदेन जिलाधिकारी में स्थानीय विभागाध्यक्ष के अधिकार निहित होगें।

जिला बेसिक शिक्षा समिति

उ0प्र0बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए निम्नवत् जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है।

जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थित में विद्यालय उप निरीक्षक	सदस्य
तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायेगें	सदस्य
विद्यालय उप निरीक्षक जो समिति का सहायक सचिव होगा"	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद, अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:

क– जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक विद्यालयों का प्रशासन करना

ख– नये बेसिक विद्यालय स्थापित करना

ग– बेसिक विद्यालयों के विकास प्रसार के लिए योजनायें तैयार करना

उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

प्रशासनिक तंत्र

जिला परियोजना कार्यालय

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उनका मुख्य दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में उनकी सहायता हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित कार्यालय का सुदृढीकरण किया जायेगा। आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार पद सृजित कर तैनाती की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी/ कर्मचारी होगें:–

1–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन जिला परियोजना अधिकारी)	एक
2–	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ई0जी0एस/ए0आई0ई0	एक
3–	समन्वयक	चार
4–	सलाहकार	दो (10000 नियत वेतन प्रति पद)
5–	ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	एक तदैव
6–	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यकी सहायक	एक (7000 नियत वेतन प्रति पद)
7–	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	एक
8–	लिपिक	एक (नियत मानदेय)
9–	परिचारक	एक (नियत मानदेय)

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिल्टी प्लान के अंतर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपरोक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी एवं नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें। विकासखण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने राजकीय कर्तव्य की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लिपिकीय सहयोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध सहायकों द्वारा किया जायेगा।

निर्माण कार्यो के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्यो की मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षक की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तकनीकी स्टाफ से कराना समीचीन रहेगा अन्यथा की स्थिति में निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्र सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओ से कराया जाएगा जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लघु सिंचाई विभाग के अभियंता पूर्व से ही विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू0 1000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र रू0 500 तथा प्रति शौचालय रू0 200 प्रति अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण में सम्मिलित माना जाय। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियंताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

निधि का हस्तान्तरण (फ्लो ऑफ फण्ड)

जनपद के पर्सपेक्टिव प्लान के साथ सलंग्न प्रथम वर्ष की वार्षिककार्य योजना एंव बजट स्वीकृत हो जाने के पश्चात् राज्य परियोजना कार्यालय से परियोजना के लिए प्रथम वर्ष हेतु स्वीकृत निधियां प्राप्त की जायेगीं। राज्य परियोजना कार्यालय से धनराशि प्राप्त होने पर सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिला शिक्षा परियोजना समिति के नाम से बैंक में संयुक्त खाता खोला जायेगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा यथा निर्देशानुसार सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार की गयी वित्तीय संदर्शिका पूर्व से ही स्थापित है। अतः संदर्शिका में वर्णित वित्तीय नियमों का पालन करते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति सर्व शिक्षा कार्यक्रम अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति पदेन जिलाधिकारी के अंतर्गत चलाया जायेगा।

स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में दी गयी गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि का स्थानान्तरण ग्राम शिक्षा समितियों/ ब्लाक संसाधन केन्द्रों/ न्याय पंचायंत संसाधन केन्द्रों आदि को स्थानान्तरित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू की गयी है। संस्थान का खाता भी प्राचार्य एवं सम्बन्धित लेखाधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र का खाता भी पूर्व से संयुक्त खाता चला आ रहा है इसे यथावत् इस अभियान में भी प्रयोग में लाया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों को सीमित धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। अतः यह खाता एकल रहेगा। राज्य परियोजना द्वारा प्रसारित वित्तीय संदर्शिका में आय व्यय के सम्बन्ध में लेखों

के रखरखाव हेतु स्पष्ट निर्देश उपलब्ध हैं जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान में भी अपनाया जायेगा। इसी प्रकार क्रय एवं प्रोक्योरमेन्ट भी वित्तीय संदर्शिका अथवा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्गत निर्देशानुसार किया जायेगा।

लेखों के नियमित एवं उचित ढंग से रखरखाव नियमों, नीतियों, निर्देशों के पालन हेतु सम्बन्धित लेखा स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय समय पर रेफ्रेशर कोर्स आयोजित किये जायेगें। पी0एम0आई0एस0 द्वारा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी। आय एवं व्यय के लेखों का रखरखाव वाउचर बेस्ड कम्प्यूटराज्ड किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति, ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत केन्द्र के बैंक खाते पूर्व से ही संचालित हैं इन्हीं खातों में धनराशि का स्थानान्तरण किया जायेगा।

सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत धनराशि का फण्ड फ्लो डायग्राम निम्नवत् दिया जा रहा हैः-

फ्लो आफ फण्ड

<u>राज्य परियोजना कार्यालय</u>

<u>जिला परियोजना कार्यालय</u>	<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान</u>
1-बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. 2-ग्राम शिक्षा समिति 3-अध्यापक 4-स्वंय सेवी संस्थायें आदि 5-जिला परियोजना कार्यालय के व्ययों का सीधा भुगतान	बी0आर0सी0 एवं एन.पी.आर.सी

सम्प्रेक्षण व्यवस्था

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों के लेखे जोखों का आडिट सर्वप्रथम चार्टेड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तत्काल बाद प्रारम्भ किया जायेगा। चार्टेड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरेशन्स फार आडिट का निर्धारण परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के लेखों का सम्प्रेक्षण महालेखाकार द्वारा स्टेट मेन्ट आफ एक्पेनडीचर प्रस्तुत कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नियमित उपचारात्मक प्रणाली

परियोजना के नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का क्रियान्वयन करने हेतु जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, नगर शिक्षा अधिकारी, बी0आर0सी समन्वयक की नियमित समीक्षा बैठकें पाक्षिक की जायेगीं जिसमें इस समयबद्ध कार्यक्रम की गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी। योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली कठिनाइयों/ समस्याओं पर चर्चा कर उनका निराकरण किया जायेगा। इसी प्रकार प्राचार्य डायट संकाय सदस्यों तथा बी0आर0सी समन्वयक की बैठकें आयोजित की जायेगीं जिसमें शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर विस्तृत चर्चा होगी तथा उत्पन्न कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। जिन समस्याओं का निराकरण जनपद स्तर पर नहीं किया जा सकेगा उन्हें राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में उपलब्ध जायेगा तथा मार्ग निर्देशन प्राप्त किया जायेगा। समस्याओं के निराकरण हेतु समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं कार्यशालायें आयोजित की जायेगीं। प्रत्येक माह कम्प्यूटराइज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार कर विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर क्रियान्वयक एवं संशोधन किया जायेगा। ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इन्डीकेटर्स का प्रयोग परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं नियोजन में किया जायेगा तथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास किये जायेगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट विगत वर्ष में प्राप्त अनुभवों कठिनाइयों इन्डीकेटर्स भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को ध्यान रखते हुए अगली वर्ष की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

एजूकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस)

सर्व शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी एवं संवेदनशील बनाने हेतु इसके नियमित पर्यवेक्षण/ अनुश्रवण की आवश्यकता है। प्रत्येक गतिविधि की अद्यावधि प्रगति कार्यक्रम के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। अतः जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित एम0आई0एस0 का सुदृढीकरण किया जायेगा। वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक के प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) के शैक्षिक आंकडें उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर, डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। जनपद में अनौपचारिक शिक्षा का एक कम्प्यूटर भी उपलब्ध है इस प्रकार उपलब्ध दो कम्प्यूटर से सर्व शिक्षा अभियान के समस्त गतिविधियों तथा वित्तीय स्थिति को कम्प्यूटराज्ड कर अनुश्रवण/आंकडों का संकलन तथा विश्लेषण किया जायेगा। दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अद्यावधि एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानीटरिंग उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक/ वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यकी के व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिए कम्प्यूटराज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी तथा तीन कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यकी सहायक नियुक्त किये जायेगें जिससे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा, रिपोर्ट/ विश्लेषण

तत्परता से उपलब्ध हो सके एवं जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स प्रस्तुत कर सके। जनपद में स्थापित कम्प्यूटर को इंटरनेट से जोडा जायेगा ताकि ब्लाक स्तर तथा राज्य स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान तत्काल हो सके।

ई0एम0आई0एस0 सहायक के कर्तव्य एवं दायित्व

अपने अधीनस्थ तीन कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यकी सहायक के सहयोग से जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित ई0एम0आई0एस0 सहायक के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगें:

1– विद्यालय हेतु सांख्यकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण

2– फील्ड स्टाफ बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित कराना

3– समय से प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना

4– भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पल चेकिंग

5– समयबद्ध रूप से प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना

6– संकुलवार व विकासखण्डवार ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट ,का प्रेषित करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना

5– सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार के शैक्षिक सांख्यकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना

6– राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना

7– परियोजना के अन्तर्गत व्यय का विस्तृत विवरण रखना तथा मासिक सूचनायें तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करने में सहयोग करना

8– माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित को प्रेषित/प्रस्तुत करना

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर में तीन वर्षीय डिप्लोमा/ एम0सी0ए0 होगी साथ ही सांख्यकी विश्लेषण प्रक्षेपण , तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक है।

प्रशिक्षण

विद्यालय सांख्यकी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्रशिक्षण जनपद स्तर पर आयोजित करेगा तथा उन्हें सम्बन्धित प्रपत्र भरने

संकलन आदि की जानकारी दी जायेगी। विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के 2 प्रतिशत सैम्पुल चेकिंग के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे आंकडो की जांच हो सके।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर राज्य परियोजना कार्यालय/सीमेट द्वारा ई0एम0आई0एस0 का प्रतिवर्ष एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में जिला परियोजना कार्यालय तथा बी0आर0सी0 के, कम्प्यूटर आपरेटर प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण में प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं द्वितीय तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी0एम0आई0एस0) का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडो का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए नीपा नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकडों को एकत्रित किया जायेगा तथा डाटा इन्ट्री के पश्चात् ई0एम0आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालय से प्राप्त प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भर कर भेजी गयी है वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि होगी तथा पाई गयी त्रुटियों को शुद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा।

आंकडो का उपयोग

शालात्यागी, रिपीटीशनदर, छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्षा अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इण्डेकेटर्स का उपयोग निर्णय रिपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार बार सूचनाओं के एकीकरण में समय की बचत हो सके और कार्ययोजना की संरचना में तदनुसार गतिविधियों का समावेश संशोधन किया जा सके। डायस के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडो से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूल के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण नहीं हो पाता है। यह प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडो का विश्लेषण किया जाय तथा कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश संशोधन किया जाय। ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकडो का प्रयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा:-

1- नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान

2- शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा लाभार्थियों के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण

3- नामांकन में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की पहचान

4- एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण

5- छात्र-अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वाले विद्यालयों की पहचान

6- बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों/न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण

7- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूह की संख्या का आकलन

8- अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आकलन व निर्धारण

9- शिक्षकों का विवरण

10- विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों के निरीक्षण का रोस्टर

11- विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता हेतु प्रयास करना

12- लघु/ वृहद मरम्मत हेतु विद्यालयों की पहचान

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त निष्कर्षो एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/ क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित कर उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी

छात्र/ छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण

एम0 आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमो के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमो में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ऐ0ग्‍ी0आई0 के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबधंन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0प्रयोग में लाया जायेगा।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण।	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ......06...... प्राथमिक एवं ......06...... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2003-04 में 200 की प्राप्ति हो चुकी है, कुल संख्या 1050 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	400	
2005-06	250	
2006-07	200	
योग	850	

Hoorjahan\Hkkjrh_Ilcopy

Annual Work Plan and Budget
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Hardoi

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	259	83	21497
A2	New Upper Primary Schools	451	31	8680
A3	Salary of PS Asst. Teacher (2002-03)	9	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher (3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	90	10800
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	53	1120.5
A6	Salary of Assistant Teachers (PS) 2003-04	9	93	2482
A7	Salary of Assistant Teachers (UPS) 2003-04 (six months)	10	93	5580
A8	Teaching Learning Equipment		0	
A8.1	PS	10	83	830
A8.2	UPS	50	31	1550
A9	TLE UPS not covered DPEP	50	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	54539.5
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11.1	EGS (for 25 child per center)	0.845	257	5429.125
A11.2	Honraria	1	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0
A11.4	Contingency	0.465	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.558	0	0
A12	AIE Primary-including all models of DPEP (per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0
A14	Back to school camps (per child) (for 40 children per center)	1.5	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	11	1980
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	191	6455.8
A17	Strengthening Maktab/Madarsa (per center)	[illegible]	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	68404.43
R	RETENTION		0	
R1	Reconstruction - PS	191	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	25	9575
R3	Additional Classrooms		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	100	7000
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	82	5740
R4.1	Toilets Upper Primary	10	100	1000
R4.2	Toilets Primary	10	200	2000
R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	110	1650
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	2211	11055
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	378	1890
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm (02-03)	8	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.[illegible]	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
R7.4	Salary of Fresh SM (PS)	2.25	0	0
R7.5	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR (11 mths)	2.25	2068	27918
R10.1	School improvement grant (p.a./school) Ps	2	2236	4472
R10.2	School improvement grant (p.a./school) UPs	2	528	1056
R12	Promoting Girls Education		0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0
R12.2	MCSA	75	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0
R12.5	Trg.-Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13.2	TLM (per center)	5	0	0
R13.3	Additional Honr. Of instructor + Worker (per mth)	0.375	0	0
R13.4	Contingency (per center)	1.5	0	0
R13.5	Training		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0
R16	Community Mobilization		0	
R16.1	MTA PTA training for 2 days per person	0.07	0	0
R16.2	Bal Mitra at NPRC (5 pa per NPRC)	5	0	0
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	1515	727.2
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	65.7	0	0
R20	Computer Edu. For UPS (equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	5000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	79083.2
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
Q1	Training Programmes		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra (/person for 30 days)	2.1	894	1877.4
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher (/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	6369	8916.6
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1.05	1333	1399.65
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra (/person for 20 days)	0.07	0	0
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers (/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators (/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators (/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET (/person for 20 days)	0.07	0	0
Q1.10	ABSA SDI Trg (/person for 5 days)	0.07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	2315	2778
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0
Q2.5	Support Services	5	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers (17.2 th /batch of 32 teachers	17.2	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0